मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय

मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय विधेयक, १९६८

(क्रमांक ३५ सन् १९६८)

के सम्बन्ध में

प्रवर समिति का प्रतिवेदन

(प्रवर समिति द्वारा यथासंशोधित विधेयक सहित)

भोपाल

शासन केन्द्रीय मुद्रणालय

१९७१

मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय विधेयक, १९६८

(क्रमांक ३५ सन् १९६८)

प्रवर समिति का गठन

सभापति

१. श्री रामकिशोर शुक्ल, उपाध्यक्ष.

सदस्य

२. श्री यज्ञदत्त शर्मा
३. श्री गणेशमल भण्डारी
४. श्री श्याम सुन्दर 'श्याम'
५. श्री सूर्यदेव शर्मा
६. श्री राजभानु शुक्ल
७. श्री नरेशचन्द्र जौहरी
८. श्री विमलचन्द जैन
९. श्री शिवप्रसाद चनपुरिया
१०. श्री रामकुमार अग्रवाल
११. श्री मथुराप्रसाद दुबे
१२. कुमारी विमला वर्मा
१३. श्री वसन्तराव उइके
१४. श्री जगदीश नारायण अवस्थी, शिक्षा मंत्री
१५. श्री कृष्णपाल सिंह, विधि मंत्री.

सचिवालय

१. श्री मदन गोपाल, सचिव
२. श्री नरेन्द्रसिंह, अवर सचिव.

प्रवर समिति का प्रतिवेदन

मैं, उस प्रवर समिति का सभापति, जिसे मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय विधेयक, १९६८ (क्रमांक ३५ सन् १९६८), निर्दिष्ट किया गया था, उसकी ओर से प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिये प्राधिकृत किये जाने पर, उसके इस प्रतिवेदन को, प्रवर समिति द्वारा यथा संशोधित विधेयक के साथ प्रस्तुत करता हूं.

२. विधेयक* विधान सभा में दिनांक १९ सितम्बर १९६८ को पुरःस्थापित किया गया था तथा उसी दिनांक को श्री धर्मपालसिंह गुप्त, शिक्षा मंत्री द्वारा विधेयक प्रवर समिति को निर्दिष्ट करने का प्रस्ताव किया गया जिस पर सदन में विचार किया गया और उसी दिन स्वीकार किया.

३. सभा ने प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की कोई अवधि निर्धारित नहीं की गई थी. मध्यप्रदेश विधान सभा नियमावली के नियम ७३ (१) के अनुसार समिति द्वारा आगामी सत्रों में प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाना था किन्तु यह संभव न हो सकने के कारण सदन में दिनांक २६ जून १९६९ को, ९जनवरी १९७०, २२सितम्बर १९७० को तथा अंततः दिनांक १८ मार्च, १९७१ को प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि में आगामी सत्र के प्रथम दिवस, तक की वृद्धि की गई.

४. दिनांक १४ अक्टूबर १९६८ को हुई समिति की प्रथम बैठक में समिति ने निर्णय लिया कि विधेयक में रुचि रखने वाले व्यक्तियों अथवा निकायों से दिनांक १८ नवम्बर, १९६८ तक उनसे सुझाव या आपत्तियां यदि कोई हों, आमंत्रित किये जायं तथा यदि कोई व्यक्ति या निकाय सुझाव या आपत्तियां भेजने के अतिरिक्त मौखिक रूप से समिति के समक्ष साक्ष्य देने के इच्छुक हों तो इस आशय के भी आवेदन आमंत्रित किये जायें. दिनांक २५ नवम्बर, १९६८ को हुई समिति की द्वितीय बैठक में सुझाव एवं आपत्तियां आदि भेजने की अवधि में दिनांक ३० नवम्बर, १९६८ तक की वृद्धि की गई. तदनुसार इस सम्बन्ध में दो प्रेस विज्ञप्तियां भी प्रसारित की गईं.

५. समिति को विधेयक के सम्बन्ध में सुझावों/आपत्तियों के ज्ञापन विभिन्न संस्थाओं/व्यक्तियों से प्राप्त हुए जिनके नामों की सूची परिशिष्ट १ में दी गई है.

६. समिति की कुल ३४ बैठकें हुईं.

७. समिति ने दिनांक ६ से ९ जनवरी, १९६९ तक रायपुर का, दिनांक ३ मई, १९६९ को जबलपुर का, दिनांक २१ से २३ अगस्त, १९६९ तक उज्जैन एवं इन्दौर का, दिनांक २२ से २५सितम्बर, १९६९ को सागर एवं ग्वालियर तथा दिनांक ५ नवम्बर, १९६९ को रीवा का वहां के विश्वविद्यालयों का अध्ययन करने के लिये दौरा किया तथा वहां के कुलपति एवं समिति के समक्ष साक्ष्य देने हेतु इच्छुक व्यक्तियों एवं निकायों की साक्ष्य ली जिनके नामों की सूची परिशिष्ट २ में क्रमांक १ से ८ तक दी गई है.

८. समिति ने प्रदेश से बाहर दिनांक २२ से ३० अप्रैल, १९७० तक क्रमशः मद्रास, बंगलौर, हैदराबाद एवं बम्बई, दिनांक ११ से १३ जुलाई, १९७० तक नई दिल्ली तथा दिनांक १९ से २४ नवम्बर, १९७० तक कलकत्ता एवं वाराणसी स्थित विश्वविद्यालयों का अध्ययन दौरा किया तथा विश्वविद्यालयों के कुलपतियों, आदि से विचार विमर्श किया जिनके नाम परिशिष्ट २ के क्रमांक ९ से १५ में दिये गये हैं.

समिति तामिलनाडु के शिक्षा मंत्री श्री व्ही. आर. नीडू चैंझियान, मैसुर राज्य के शिक्षा मंत्री श्री के. व्ही. शंकर गावडा तथा केन्द्रीय शिक्षा मंत्री श्री व्ही. के. आर. व्ही. राव के प्रति अपना आभार प्रदर्शित करना चाहती है जिन्होंने विधेयक के उपबंधों के संबंध में चर्चा करने का अवसर दिया तथा समिति को मार्गदर्शन दिया.

---

*"मध्यप्रदेश राजपत्र" दिनांक १९ सितम्बर, १९६८ में हिन्दी में प्रकाशित.

९. दिनांक २९ व ३० जुलाई, १७ अगस्त तथा २ एवं १२ सितम्बर १९७१ को हुई बैठकों में समिति ने विधेयक पर खण्डशः विचार किया. दिनांक १२ सितम्बर, १९७१ को हुई अन्तिम बैठक में समिति ने सभापति को विधेयक के विभिन्न खंडों में प्रस्तावित संशोधनों का प्रारूप तथा प्रतिवेदन अनुमोदित कर उसे विधान सभा में प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया.

१०. विधेयक में प्रस्तावित प्रमुख परिवर्तनों के संबंध में समिति के विचार आगे की कंडिकाओं में दिये गए हैं.

खण्ड २

समिति को विधेयक की प्रथम एवं द्वितीय अनुसूचियों में कतिपय संशोधन करना आवश्यक प्रतीत हुआ क्योंकि विधेयक को प्रवर समिति को सौंपने के पश्चात् भोपाल विश्वविद्यालय की स्थापना हुई अतः प्रथम अनुसूची में भोपाल विश्वविद्यालय अधिनियम अंत में जोड़ा गया है तथा भोपाल विश्वविद्यालय का क्षेत्राधिकार द्वितीय अनुसूची में दर्शाते हुए अन्य आनुषांगिक संशोधन किये गये.

खण्ड ३

सागर विश्वविद्यालय में कुलाधिपति के प्रावधान को वर्तमान परिस्थिति को देखते हुये समिति को उपखंड (१) अनावश्यक प्रतीत हुआ तथा उसे निकालने का निश्चय किया.

तदनुसार खंड संशोधित किया गया.

खण्ड ४

समिति का विचार था कि इस खण्ड में दी गई परिभाषाओं को देवनागरी वर्णमाला के अनुसार किया जाना जाहिये. तदनुसार खण्ड व पदों का पुनर्क्रमांकन किया गया है.

समिति का मत था कि संघटक महाविद्यालय की परिभाषा और सरल कर दी जाय ताकि दो विषयों की स्नातकोत्तर अध्यापन की व्यवस्था करने वाले महाविद्यालय की संघटक महाविद्यालय की श्रेणी में आने का पात्र हो सके.

तद्नुसार पद (पांच) में संशोधन किया गया.

समिति को यह आवश्यक प्रतीत हुआ कि खंड में कुल-सचिव की परिभाषा भी की जाना चाहिये. तदनुसार समिति ने खंड में नया पद जोड़ा है.

खण्ड ५

नये विश्वविद्यालय की स्थापना के विभिन्न पहलुओं के महत्व को देखते हुये समिति का मत था कि अधिसूचना द्वारा विश्वविद्यालय की स्थापना किये जाने का अधिकार शासन को देना उचित नहीं होगा. विश्वविद्यालय की स्थापना पर विधान मण्डल द्वारा विचार किया जाना चाहिये और उसके द्वारा संकल्प पारित किये जाने पर ही उसकी स्थापना होनी चाहिये.

तद्नुसार उपखंड (१) संशोधित किया गया है.

खण्ड ७

समिति का मत था कि स्वाध्यायी छात्रों को परीक्षाओं में बैठने का अधिकार प्रदान कर ही दिया गया है अतः उसका समावेश विधेयक में कर दिया जाना चाहिये. तदनुसार उपखंड (३) प्रतिस्थापित किया गया है.

खण्ड ११ एवं १४

समिति का विचार था कि "परिदर्शक" का प्रावधान अनावश्यक है. समिति ने यह भी उचित समझा कि परिदर्शक के कर्त्तव्यों का कुलाधिपति के कर्तव्यों के साथ समेकन किया जाना चाहिये और राज्यपाल को विश्वविद्यालय का कुलपति होना चाहिये. तदनुसार खंड ११ विलोपित किया गया तथा खंड १४ प्रतिस्थापित किया गया.

नया खण्ड १७-क

समिति का मत था कि कुलपति को हटाये जाने का प्रावधान भी भारत के कतिपय विश्वविद्यालय अधिनियमों में तथा प्रदेश के कतिपय विश्वविद्यालय अधिनियमों में भी किये गये हैं तथा कभी-कभी कुलपति का हटाया जाना वांछनीय हो जाता है अतः समिति ने इस आशय का उपबंध विधेयक में किया जाने का निर्णय लिया. तदनुसार नया खंड १७-क जोड़ा गया है.

खण्ड १८

समिति ने विश्वविद्यालय प्राचार्य के प्रावधान को अनावश्यक समझा अतः उसे निकाल दिया गया है.

खण्ड २३

समिति का मत था कि सभा के संगठन में संघठक महाविद्यालयों तथा सम्बद्ध महाविद्यालयों के प्राचार्यों की संख्या बढ़ाई जाय, रजिस्ट्रीकृत स्नातकों को अधिक प्रतिनिधित्व दिया जाय, राज्य विधान सभा के सदस्यों, विश्वविद्यालय के मुख्यालय में स्थित नगरपालिक निगम के महापौर, नगरपालिका परिषद् के अध्यक्ष तथा जिला पंचायत के सभापति को सभा में स्थान दिया जाय. साथ ही समिति का ध्यान इस ओर भी था कि सभा में अनावश्यक व्यक्ति न पहुंच जावें. उपर्युक्त उद्देश्यों को दृष्टिगत रखते हुए समिति ने इस खंड में संशोधन किये हैं.

विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय की सभा में प्रतिनिधित्व प्रदान करने की दृष्टि से उपखंड (१) में मद (उन्नीस) को प्रतिस्थापित किया गया है.

खण्ड २४

समिति चाहती थी कि सभा के सम्मिलन वर्ष में कम से कम दो वार, अक्टूबर तथा जनवरी में होने चाहिये. तदनुसार इस खण्ड को प्रतिस्थापित किया गया है.

खण्ड २५

समिति का मत था कि सभा विश्वविद्यालय की सर्वोच्च निकाय होनी चाहिये. अतः इस खण्ड में आवश्यक संशोधन किये गये हैं.

खण्ड २६

समिति विचार करती है कि कार्यपालिका परिषद् में २ सदस्य अधिष्ठाता विज्ञान-संकायों से और दो अन्य संकायों से लिये जाना चाहिये. तदनुसार उपखंड (१) का पद (तीन) प्रतिस्थापित किया गया है.

कार्यपालिका परिषद् में लिये जाने वाले दो प्राचार्यों में से एक शासकीय महाविद्यालयों से तथा दूसरा अशासकीय महाविद्यालयों से लिया जाय, तदनुसार पद (चार) प्रतिस्थापित किया गया है.

समिति का मत था कि पद (पांच) के अन्तर्गत चार व्यक्ति सभा द्वारा एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित किये जाना चाहिये. तदनुसार पद में संशोधन किया गया है.

कुलाधिपति को विधान सभा सदस्यों में से,जो सभा के सदस्य न हों, दो सदस्य नाम निर्देशित करने एवं राज्य सरकार द्वारा दो व्यक्तियों के स्थान पर एक व्यक्ति नाम निर्देशित करने की दृष्टि से क्रमशः पद (आठ) और (नौ) प्रतिस्थापित किये गये हैं.

समिति का मत था कि कार्य परिषद् के सदस्यों की पदावधि सभा की अवधि के साथ समाप्त होनी चाहिये अतः उपखंड (२) प्रतिस्थापित किया गया है.

तदनुसार खण्ड में संशोधन किये गये हैं.

खण्ड २८

समिति का मत था कि संचालक तांत्रिक शिक्षा, सभा तथा कार्य परिषद् द्वारा निर्वाचित क्रमशः दो व्यक्तियों को विद्या परिषद् में स्थान दिया जाना चाहिये अतः उपखण्ड (१) में पद (तीन-क), (दस) और (बारह) जोड़े गये हैं.

खण्ड ३१

समिति को सैन्य विज्ञान (मिलेट्री साइन्स) को विश्वविद्यालय की संकायों में स्थान देना उचित प्रतीत हुआ अतः स्पष्टतः की दृष्टि से मद (चौदह-क) जोड़ी गई है.

खण्ड ३४

समिति का मत था कि किसी भी विभाग का अध्यक्ष ऐसे अध्यापकों में से होना चाहिये जो आचार्य के पद से निम्न पद का न हो अतः उपखण्ड (२) प्रतिस्थापित किया गया है.

खण्ड ३४

समिति का मत था कि अध्ययन बोर्ड में कुलपति द्वारा नामनिर्देशित किये जाने वाले दो सदस्य ज्येष्ठता के अनुसार तथा बारी-बारी से नाम निर्देशित किये जाने चाहिये अतः उपखण्ड (२) की मद (दो) की कंडिका (ग) प्रतिस्थापित की गई है. इसी प्रकार उपखण्ड (२) की मद (एक) और (दो) में विनिर्दिष्ट किये गये सदस्यों को भी ज्येष्ठता के अनुसार तथा बारी-बारी से कुलपति द्वारा नामनिर्देशित किये जाने के लिये आवश्यक संशोधन किये गये हैं.

अध्ययन बोर्ड की शक्तियां तथा कर्त्तव्य परिनियमों में विहित किये जाने तथा उसकी पदावधि विद्या परिषद् के साथ ही साथ रखने की दृष्टि से क्रमशः उपखण्ड (३-क) जोड़ा गया है और उपखण्ड (४) प्रतिस्थापित किया गया है.

खण्ड ३८

समिति का मत था कि वित्त समिति में कार्य परिषद् द्वारा निर्वाचित किये जाने वाले सदस्यों की संख्या चार के स्थान पर दो की जाना चाहिये तथा वित्त समिति के पूर्व अनुमोदन के बिना किये गये व्यय को वित्त समिति द्वारा दो तिहाई के बहुमत से अनुमोदित किया जाना चाहिये.

तदनुसार उपखण्ड (१) की मद (पांच) प्रतिस्थापित की गई है तथा उपखण्ड (६) में आवश्यक संशोधन किये गये हैं.

खण्ड ४२

समिति का विचार था कि कार्य परिषद द्वारा बनाया गया अध्यादेश उसके बनाये जाने की तिथि से तीस दिन का अवसान होने पर प्रवृत्त होना चाहिये अतः उपखण्ड (२) में संशोधन किया गया है.

खण्ड ४३

समिति का मत था कि विद्या परिषद् के क्षेत्राधिकार में आने वाले विषयों के संबंध में कार्यपालिक परिषद् द्वारा किसी भी अध्यादेश में संशोधन बिना विद्या परिषद् के पूर्व परामर्श के तथा उसकी टीका टिप्पणी प्राप्त किये बिना नहीं बनाया जाना चाहिये. तदनुसार उपखण्ड (१) को प्रतिस्थापित किया गया है.

इस दृष्टि से कि विश्वविद्यालय के अधिकारियों तथा अन्य सेवकों के वेतनमानों पर राज्य शासन का नियंत्रण रह सके. इस संबंध में राज्य शासन के पूर्व अनुमोदन का प्रावधान खण्ड ४३-क जोड़कर किया गया है.

खण्ड ४५ एवं ४६

विश्वविद्यालयों में एकरूपता लाने की दृष्टि से समिति का मत था कि समन्वय समिति का गठन विस्तृत किया जाना चाहिये तथा प्रथम परिनियम एवं अध्यादेश बनाने का अधिकार भी समन्वय समिति को ही दिया जाना चाहिये. तदनुसार खण्ड ४५ निकाल दिया गया है तथा खण्ड ४६ का उपखण्ड (१) प्रतिस्थापित किया गया है.

खण्ड ४९

स्वाध्यायी छात्रों को परीक्षाएं उत्तीर्ण करने का प्रावधान किये जाने की दृष्टि से उपखण्ड (३) प्रतिस्थापित किया गया है तथा नया उपखण्ड (३-क) जोड़ा गया है.

खण्ड ५१

समिति का मत था कि कार्य परिषद् तथा राज्य शासन का महाविद्यालयों पर समुचित नियंत्रण होना चाहिये अतः उपखण्ड (४) जोड़ा गया है.

खण्ड ५७-क

समिति का विचार था कि क्योंकि सभा विश्वविद्यालय की सर्वोच्च निकाय है अतः प्राधिकारियों या निकायों के बीच उत्पन्न विवाद उसी को निर्दिष्ट किये जाने चाहिये तथा उसके विनिश्चय अन्तिम एवं संबंधित प्राधिकारियों या निकायों को आबद्धकर होना चाहिये. तदनुसार नया खण्ड ५७-क जोड़ा गया है.

समिति द्वारा किये गये अन्य संशोधन गौड़ या आनुषांगिक स्वरूप के हैं और स्वतः स्पष्ट है.

प्रवर समिति सिफारिश करती है कि विधेयक उसके द्वारा यथा संशोधित रूप में पारित किया जाय.

रामकिशोर शुक्ल
सभापति.

परिशिष्ट-१

(प्रतिवेदन की कण्डिका ५ देखिये)

उन व्यक्तियों के नाम जिनसे सुझाव/आपत्तियां प्राप्त हुई थीं.

अनुक्रमांक	नाम व पता
(१)	(२)
१	श्री पी. सी. मल्होत्रा, ३२ श्यामला रोड़, भोपाल.
२	डा. गोपालप्रसाद व्यास, प्राचार्य, हमीदिया कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, भोपाल.
३	डा. वी. डी. मेहता, सहायक प्राध्यापक, अर्थशास्त्र विभाग, हमीदिया कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, भोपाल.
४	डा. हरिनारायण शर्मा, प्राध्यापक, मोतीलाल विज्ञान महाविद्यालय, भोपाल.
५	प्रो. के. के. वर्मा, प्राध्यापक, मोतीलाल विज्ञान महाविद्यालय, भोपाल.
६	डा. म. गो. पैठणकर, प्राध्यापक, मोतीलाल विज्ञान महाविद्यालय, भोपाल.
७	डा. आर. जी. देव, प्राध्यापक, मोतीलाल विज्ञान महाविद्यालय, भोपाल.
८	श्री गुलाबचन्द कासलीवाल, प्राचार्य, शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, इन्दौर.
९	डा. रविप्रकाश, प्राचार्य, होल्कर विज्ञान महाविद्यालय, इन्दौर.
१०	श्री पी. बाजपेई, उप कुलसचिव, सागर विश्वविद्यालय, सागर.
११	प्रो. राजनाथ पाण्डेय, रीडर, हिन्दी विभाग, सागर विश्वविद्यालय, सागर.
१२	श्री प्यारेलाल शर्मा, एडवोकेट एवं कुल संसद सदस्य, सागर विश्वविद्यालय, सागर.
१३	डा. श्यामाचरण दुवे, प्राचार्य तथा अध्यक्ष, नृतत्व समाजशास्त्र विभाग एवं सदस्य कार्यपालिका परिषद्, सागर विश्वविद्यालय, सागर.
१४	श्री महेन्द्र भटनागर, एडवोकेट, मेम्बर सीनेट एण्ड सिंडीकेट, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन.
१५	प्राचार्य, शासकीय विज्ञान महाविद्यालय, रायपुर.
१६	श्री पी. एन. माथुर, प्रोफ़ेसर, हमीदिया कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, भोपाल.
१७	श्री अमरीक सिंह, सेक्रेटरी इन्टर यूनिवर्सिटी बोर्ड आफ इण्डिया एण्ड सीलोन, राउस एवन्यू, नई दिल्ली.

परिशिष्ट—२

(प्रतिवेदन की कण्डिका ७ देखिये)

समिति के समक्ष साक्ष्य देने वाले व्यक्तियों/संस्थाओं के नामों की सूची.

अनुक्रमांक	व्यक्ति/संस्था का नाम	साक्ष्य का दिनांक
(१)	(२)	(३)
१	जबलपुर	६-१-६८
	(१) श्री राजबली पांडे, कुलपति जबलपुर विश्वविद्यालय	
	(२) श्री हरिहर सहाय वर्मा, एडवोकेट, हाईकोर्ट जबलपुर	
	(३) श्री एन. एम. देशपांडे, प्राचार्य हितकारिणी महाविद्यालय, जबलपुर	
	(४) श्री ना. कवीश्वर, प्राचार्य, शासकीय विज्ञान महाविद्यालय	
	(५) श्री रामेश्वर शुक्ल अंचल, प्राचार्य, महाकौशल कला महाविद्यालय	
	(६) श्री आर. एस. अग्रवाल, संसद सदस्य, जबलपुर विश्वविद्यालय	
	(७) श्री के. एल. लूथरा, संसद सदस्य, जबलपुर विश्वविद्यालय	
	(८) श्री बैजनाथ शर्मा, अध्यक्ष, प्राचार्य, इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग जबलपुर विश्वविद्यालय.	
	(९) श्री सवाईमल जैन, एडवोकेट एवं सदस्य, कार्यपालिका परिषद, जबलपुर विश्वविद्यालय.	
	(१०) श्री अजय चौहान, डीन, स्टूडेन्ट वेल्फेयर जबलपुर विश्वविद्यालय.	
	शासकीय महाविद्यालयों के प्रतिनिधि	
	(११) डा. ओ. एन. त्रिपाठी, प्रोफेसर, शासकीय विज्ञान महाविद्यालय	
	(१२) श्री श्याम सुन्दर मिश्र, व्याख्याता महाकौशल	
	(१३) श्री मदनलाल पालीवाल, व्याख्याता, शासकीय विज्ञान महाविद्यालय	
	(१४) श्री केशरी सिंह चौहान, व्याख्याता, महाकौशल कला महाविद्यालय	
	(१५) श्री डी. एल. चौहान, प्रोफेसर, महाकौशल कला महाविद्यालय.	
२	रायपुर	६-१-६९
	(१) श्री बंशीलाल पांडे, कुलपति, रविशंकर विश्वविद्यालय, रायपुर ..	
	(२) श्री राजेश्वर गुरू, प्राचार्य, शासकीय विज्ञान महाविद्यालय	
	(३) श्री रणवीर शास्त्री, प्राचार्य, दुर्गा महाविद्यालय, रायपुर	
३	उज्जैन	२१-८-६९
	(१) श्री डा. शिवमंगल सिंह "सुमन" कुलपति विक्रम विश्वविद्यालय ..	
	(२) श्री महेन्द्र भटनागर, एडवोकेट, मेम्बर सीनेट एवं सिंडीकेट	

(१)	(२)	(३)
४	इन्दौर	२३-८-६९
	(१) श्री के. एल. जोशी, कुलपति, इन्दौर विश्वविद्यालय (२) श्री गुलाब चन्द कासलीवाल, प्राचार्य शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय. (३) श्री जयदेव प्रसाद दुबे, प्राचार्य, संस्कृत महाविद्यालय (४) श्री रविप्रकाश प्राचार्य, होल्कर विज्ञान महाविद्यालय (५) श्री लीलाधर पालीवाल, छात्र एल.एल. बी. (पूर्वाध) क्रिश्चियन कालेज, इन्दौर तथा अध्यक्ष महाविद्यालयीन छात्र संघर्ष समिति.	
५	सागर	२९-९-७१
	(१) श्री प्यारेलाल शर्मा, एडवोकेट एवं कुल संसद सदस्य (२) डा. एम. पी. शर्मा, कुलपति, सागर विश्वविद्यालय (३) श्री डी. एस. श्रीवास्तव, डिपार्टमेंट आफ जूलाजी (४) श्री अमरेश अवस्थी, प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, राजनीति विभाग	
६	ग्वालियर	२५-९-७१
	(१) श्री एस. एस. भंडारकर, कुलपति, जीवाजी विश्वविद्यालय (२) डा. व्ही. एस. दुबे, साइन्स ओनर एण्ड कंसल्टिग जियालाजिस्ट (३) श्री प्र. च. जोशी, संयुक्त संचालक, महाविद्यालयीन शिक्षा संचालनालय (४) श्री पी. एल. खानवलकर, प्राचार्य पा. गो. वि. (५) श्री मोतीलाल शर्मा (६) श्री भगवती प्रसाद सिंहल, एडवोकेट एवं रजिस्टर्ड ग्रेजुएट	
७	रीवां	५-११-६९
	(१) श्री बी. आर. बी. माथुर, कुल सचिव, अवधेश प्रतापसिंह विश्वविद्यालय	
८	भोपाल	१०-८-७०
	(१) श्री पी. सी. मलहोत्रा, सेवानिवृत्त प्राचार्य, हमीदिया कालेज	
९	मद्रास	२३-४-७०
	(१) श्री व्ही. आर. नीडू चैझियान, शिक्षा मंत्री तामिलनाडु (२) श्री सुन्दर वालीवेलू, उप कुलपति, मद्रास विश्वविद्यालय	
१०	बंगलौर	२५-४-७०
	(१) श्री टी. के. दुकोल, उपकुलपति, बंगलौर विश्वविद्यालय	
११	हैदराबाद	२७-४-७०
	(१) श्री आविदअली, कार्यवाहक कुलपति, ओसवालिया विश्वविद्यालय	

(१)	(२)	(३)
१२	बम्बई	३०-४-७०
	(१) श्री पी. व्ही. गजेन्द्रगड़कर, कुलपति, बम्बई विश्वविद्यालय	
१३	नई दिल्ली	११-७-७०
	(१) श्री प्रो. पी. के. त्रिपाठी, डीन, फैकल्टी आफ ला, दिल्ली विश्वविद्यालय (२) श्री अमरीकसिंह, सेक्रेटरी, इन्टर युनिवर्सिटी बोर्ड आफ इंडिया एण्ड सीलोन.	
१४	कलकत्ता	२१-११-७०
	(१) श्री ने. सी. सेन गुप्ता, सचिव, शिक्षा विभाग प. बंगाल	
१५	वाराणसी	२३-११-७०
	(१) राय गोविन्दचंद्र, संस्कृत विश्वविद्यालय (२) श्री राजाराम शास्त्री, उपकुलपति, काशी विश्वविद्यालय	
	श्री डा. के. एल. श्रीमाली, उपकुलपति, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय ..	२४-११-७०

(प्रवर समिति द्वारा यथा संशोधित)

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक ३५ सन् १९६८

[प्रवर समिति द्वारा विलोपित किये गये अंशों को वर्ग कोष्ठकों में बन्द कर दिया गया है और उसके द्वारा जोड़े गये और बदले गये अंशों को रेखांकित कर दिया गया है]

मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय विधेयक, १९६८

विषय सूची

खण्ड.

पहला अध्याय—प्रारम्भिक

१. संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.
२. निरसन तथा व्यावृत्ति.
३. अस्थायी उपबन्ध.
४. परिभाषाएं.

दूसरा अध्याय—विश्वविद्यालय

५. नवीन विश्वविद्यालय का स्थापन.
६. विश्वविद्यालय का निगमन.
७. विश्वविद्यालय की शक्तियां.
८. प्रादेशिक अधिकारिता.
९. विश्वविद्यालय से संबंधित समस्त बातों में विभेद का प्रतिषेध.
१०. विश्वविद्यालय में अध्यापन.
[११. परिदर्शक.]
१२. विश्वविद्यालय का निरीक्षण.

तीसरा अध्याय—विश्वविद्यालय के [आफिसर] अधिकारी

१३. विश्वविद्यालय के [आफिसर] अधिकारी.
१४. कुलाधिपति.
१५. कुलपति.

खण्ड.

[१६. कतिपय विश्वविद्यालयों में कुलपति की नियुक्ति के लिये विशेष उपबन्ध.]

१७. कुलपति की शक्तियां तथा कर्त्तव्य.

१७-क. कुलपति का हटाया जाना.

[१८. रेक्टर.]

१९. कुलसचिव.

२०. कतिपय परिस्थितियों में प्रशासी [आफिसर] अधिकारी को नियुक्त करने की [परिदर्शक] कुलाधिपति की शक्ति.

२१. अन्य [आफीसर] अधिकारी.

अध्याय चार—विश्वविद्यालय के प्राधिकारी

२२. विश्वविद्यालय के प्राधिकारी.

२३. सभा का संघटन.

२४. सभा के सम्मिलन.

२५. सभा की शक्तियां तथा उसके कर्त्तव्य.

२६. [कार्यपालिका परिषद्.] कार्य परिषद्

२७. [कार्यपालिका परिषद्.] कार्य परिषद् की शक्तियां तथा कर्त्तव्य.

२८. विद्या परिषद्.

२९. विद्या-परिषद् की शक्तियां तथा कर्त्तव्य.

३०. विद्या-परिषद् की स्थायी समिति.

३१. संकाय.

३२. अध्ययन-विभाग.

३३. विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारी.

पांचवा अध्याय—विश्वविद्यालय के बोर्ड

३४. अध्ययन बोर्ड.

३५. गठित किये जाने वाले बोर्ड.

छठवां अध्याय—वित्त व्यवस्था

३६. विश्वविद्यालय निधि.

३७. उद्देश्य जिनके लिये विश्वविद्यालय निधि का उपयोजन किया जायगा.

३८. वित्त-समिति.

धारा

सातवां अध्याय––परिनियम, अध्यादेश तथा विनियम

३९. परिनियम.

४०. परिनियम किस प्रकार बनाये जायेंगे.

४१. अध्यादेश.

४२. अध्यादेश किस प्रकार बनाये जायेंगे.

४३. अध्यादेशों के संबंध में प्रक्रिया.

४३.-क. अधिकारियों, आदि के वेतन के मान से संबंधित परिनियम तथा अध्यादेश किस प्रकार बनाये जायेंगे.

४४. विनियम.

[४५. प्रथम परिनियम तथा अध्यादेश बनाये जाने के लिये समिति.]

४६. समन्वय समिति.

आठवां अध्याय––नामांकन तथा उपाधियां, आदि

४७. विद्यार्थियों का निवास-स्थान.

४८. छात्रावास.

४९. विश्वविद्यालयीन पाठ्यक्रमों के लिये प्रवेश.

५०. परीक्षकों तथा [संयामकों] अनुसीमिको (मांडरेटर्स) की नियुक्ति.

५१. महाविद्यालयों का निरीक्षण एवं रिपोर्ट.

५२. रजिस्ट्रीकृत स्नातक.

नवां अध्याय––संपरीक्षा

५३. वार्षिक रिपोर्ट.

५४. लेखाओं की संपरीक्षा.

दसवां अध्याय––विश्वविद्यालय में अध्यापन-पदों पर नियुक्ति

५५. अध्यापन-पदों पर नियुक्ति.

५६. उन अध्यापकों का वेतन जिन्हें कि विश्वविद्यालय द्वारा वेतन दिया जाता हो.

ग्यारहवां अध्याय––अनुपूरक उपबन्ध

५७. विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों तथा निकायों के संघटन संबंधी विवाद.

५७-क. अधिकारियों या निकायों के बीच विवाद.

५८. समितियों का गठन.

५९. आकस्मिक रिक्तियों का भरा जाना.

खण्ड.

६०. विश्वविद्यालय तथा निकायों की कार्यवाहियां रिक्तियों के कारण अविधिमान्य नहीं होंगी.

६१. सेवा की शर्तें.

६२. पेन्शन तथा भविष्य निधि.

६३. कार्यों तथा आदेशों का संरक्षण.

६४. कुलपति की असाधारण शक्तियां.

६५. शिक्षण देने के लिये अनुमोदन.

६६. [प्राध्यापक] आचार्य, सहायक [प्राध्यापक] आचार्य तथा [प्रवाचक] उपाचार्य आदि.

६७. विश्वविद्यालय के प्राधिकारी के सदस्य की पदावधि.

६८. विश्वविद्यालय के सदस्य या [आफिसर] अधिकारी का त्यागपत्र.

६९. किसी प्राधिकारी का सदस्य होने के लिये निर्हता.

७०. स्नातकों के रजिस्टर में से या विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या निकाय में से किसी सदस्य को हटाने की शक्ति.

७१. कठिनाइयों का निराकरण.

प्रथम अनुसूची.

द्वितीय अनुसूची.

(प्रवर समिति द्वारा यथा संशोधित)

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक ३५ सन् १९६८.

[प्रवर समिति द्वारा विलोपित किये गये अंशों को वर्ग कोष्ठकों में बन्द कर दिया गया है और उसके द्वारा जोड़े गये और बदले गये अंशों को रेखांकित कर दिया गया है.

मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय विधेयक, १९६८

मध्यप्रदेश के विश्वविद्यालयों से संबंधित विधि को समेकित तथा संशोधित करने एवं उन विश्वविद्यालयों के संगठन तथा प्रशासन के लिये अधिक अच्छा उपबन्ध करने के हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के [उन्नीसवें] बाईसवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान मण्डल द्वारा इसे निम्नलिखित रूप में अधिनियमित किया जाय :—

पहला अध्याय—प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.

१. (१) यह अधिनियम मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, (१९६८) १९७१ कहा जा सकेगा.

(२) इसका विस्तार संपूर्ण मध्यप्रदेश पर है.

(३) यह ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, नियत करे.

निरसन तथा व्यावृत्ति.

२. धारा १ की उपधारा (३) के अधीन नियत की गई तारीख से निम्नलिखित परिणाम होंगे, अर्थात् :—

(एक) प्रथम अनुसूची में वर्णित अधिनियमितियां निरस्त हो जायंगी (जो इसमें इसके पश्चात् इस अध्याय में निरसित अधिनियमितियों के नाम से निर्दिष्ट हैं);

(दो) निरसित अधिनियमितियों के अधीन स्थापित किये गये विश्वविद्यालय इस अधिनियम के अधीन स्थापित किये गये विश्वविद्यालय समझे जायंगे तथा वे उन संबंधित विश्वविद्यालयों के नामों से जाने जायंगे जिनका अपना-अपना मुख्यालय ऐसे स्थानों पर हो तथा जिनकी प्रादेशिक अधिकारिता ऐसे क्षेत्र पर हो जो कि द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट है/हैं;

(तीन) खण्ड दो में निर्दिष्ट किये गये संबंधित विश्वविद्यालयों की समस्त आस्तियां तथा दायित्व इस अधिनियम के अधीन उन विश्वविद्यालयों के स्थान पर स्थापित किये गये समझे गये संबंधित विश्वविद्यालयों में निहित हो जायेंगे;

(चार) ऐसे समस्त वाद या अन्य विधिक कार्यवाहियां, जो निरसित अधिनियमितियों के अधीन संबंधित विश्वविद्यालयों द्वारा या उनके विरुद्ध संस्थित की गई हों, इस अधिनियम के अधीन उन विश्वविद्यालयों के स्थान पर स्थापित किये गये समझे गये संबंधित विश्वविद्यालयों द्वारा या उनके विरुद्ध चालू रखी जा सकेगी;

(पांच) निरसित अधिनियमितियों के अधीन की गई समस्त नियुक्तियां, जारी किये गये समस्त आदेश, प्रदान की गई समस्त उपाधियां, जारी किये गये समस्त उपाधिपत्र या समस्त प्रमाणपत्र, प्रदान किये गये समस्त विशेषाधिकार, या की गई समस्त अन्य बातें, जो पूर्वोक्त तारीख के अव्यवहित पूर्व प्रवृत्त हों, जहां तक कि वे इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हों, इस अधिनियम के अधीन क्रमशः की गई, जारी किये गये, प्रदान की गई, जारी किये गये, प्रदान किये गये, या की गई समझी जायंगी;

(छः) ऐसे समस्त परिनियम (स्टेट्यूट्स) / प्रविधान, अध्यादेश, विनियम/प्रबंध नियम तथा नियम, जो संबंधित विश्वविद्यालयों के विभिन्न प्राधिकारियों द्वारा निरसित अधिनियमितियों के अधीन बनाये गये हों और पूर्वोक्त तारीख के अव्यवहित पूर्व प्रवृत्त हों, जहां तक कि वे इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हों, इस अधिनियम के सुसंगत उपबन्धों के अधीन संबंधित विश्वविद्यालयों के समुचित प्राधिकारियों द्वारा बनाये गये परिनियम, अध्यादेश, विनियम तथा नियम समझे जायंगे :

परन्तु वे परिनियम (स्टेट्यूट्स) / प्रविधान तथा अध्यादेश, जो इस रूप में समझे गये हों, यथास्थिति [नियत दिन] नियत तारीख से एक वर्ष की कालावधि का अवसान हो जाने पर या धारा 45 के अधीन बनाये गये प्रथम परिनियमों (स्टेट्यूट्स) /प्रविधान तथा अध्यादेशों के प्रवृत्त होने की तारीख से, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, प्रवृत्त नहीं रहेंगे.

(सात) वे समस्त कर्मचारी, जो पूर्वोक्त तारीख के अव्यवहित पूर्व, खण्ड (दो) में निर्दिष्ट किये गये संबंधित विश्वविद्यालयों के हों या उनके नियंत्रणाधीन हों, उन्हीं निबन्धनों तथा शर्तों पर जो कि पूर्वोक्त तारीख के पूर्व उनको लागू हों, जब तक कि वे इस अधिनियम और उनके अधीन बनाये गये परिनियमों तथा अध्यादेशों के उपबन्धों के अनुसार परिवर्तित न कर दी जायं, इस अधिनियम के अधीन उन विश्वविद्यालयों के स्थान पर स्थापित किये गये समझे गये संबंधित विश्वविद्यालयों के कर्मचारी समझे जायंगे.

(आठ) खण्ड (दो) में निर्दिष्ट किये गये विश्वविद्यालयों के समस्त अभिलेख तथा कागज-पत्र इस अधिनियम के अधीन उन विश्वविद्यालयों के स्थान पर स्थापित किये गये समझे गये संबंधित विश्वविद्यालयों में निहित हो जावेंगे.

३. इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी,— अस्थायी उपबन्ध

[(एक) सागर विश्वविद्यालय की धारा १ की उपधारा (३) के अधीन नियत की गई तारीख के अव्यवहित पूर्व पद पर बना हुआ कुलाधिपति धारा २ के अधीन निरसित किये गये यूनिवर्सिटी आफ सागर एक्ट, १९४६ (क्र. ११ सन् १९४६) के अधीन विहित की गई अवधि तक पद पर बना रहेगा;]

(दो) वे कुलपति जो धारा १ की उपधारा (३) के अधीन नियत की गई तारीख [के] से अव्यवहित पूर्व पद पर बने हुए हों, संबंधित निरसित अधिनियमों के अधीन विहित की गई अवधि तक पद पर बने रहेंगे;

(तीन) संबंधित विश्वविद्यालयों के वे प्राधिकारी, समितियां या निकाय, जो निरसित अधिनियमितियों के अधीन गठित किये गये हों, उस समय तक कृत्य करते रहेंगे जब तक कि इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार उनका पुनर्गठन न हो जाय, किन्तु ऐसी कालावधि पूर्वोक्त तारीख के एक वर्ष के काल से अधिक नहीं होगी.

४. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,— परिभाषाएं.

[(एक)] (सोलह) "विद्या-परिषद्" से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय की विद्या-परिषद्;

[(दो)] (बाईस) "संबद्ध महाविद्यालय" से अभिप्रेत है वह संस्था जिसे कम से कम स्नातक की उपाधि तक शिक्षण की व्यवस्था करने के लिये इस अधिनियम तथा परिनियमों के उपबन्धों के अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा मान्य किया गया हो और जो संघटक महाविद्यालय न हो;

[(तीन)] (सात) "कुलाधिपति" से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय का कुलाधिपति;

[(चार)] (बारह) "महाविद्यालय" से अभिप्रेत है वह संस्था जिसे इस अधिनियम के उपबन्धों द्वारा या उनके अधीन सन्धारित किया जाता हो या विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार दिये गये हों और उसके अन्तर्गत सम्बद्ध महाविद्यालय या संघटक महाविद्यालय आता है;

[(पांच)] (इक्कीस) "संघटक महाविद्यालय" से अभिप्रेत है वह महाविद्यालय जिसमें [चार] दो या अधिक विषयों के स्नातकोत्तर अध्यापन की व्यवस्था हो या जो तकनीकी या

वृत्तिक शिक्षा सम्बंधी महाविद्यालय हो और जो इसके अतिरिक्त इस सम्बन्ध में परिनियमों में दी गई शर्तों को पूरा करता हो और [कार्यपालिका परिषद] कार्य परिषद द्वारा संघटक महाविद्यालय के रूप में घोषित किया गया हो;

[(छः)] (चौबीस) "समन्वय समिति" से अभिप्रेत है धारा ४६ के अधीन गठित की गई समिति;

[(सात)] (तेईस) "सभा" से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय की सभा (कोर्ट);

[(आठ)] (दस) "परीक्षक" के अन्तर्गत प्रश्नपत्र रचयिता (सेटर) [आयेगा] आता है;

[(नौ)] (चार) ["कार्यपालिका परिषद्"] "कार्य परिषद" से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय की कार्यपालिका परिषद्;

[(दस)] (बीस) "संकाय" से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय का संकाय;

[(ग्यारह)] (तेरह) "महाविद्यालय का विभागाध्यक्ष" से अभिप्रेत है महाविद्यालय के किसी विभाग का अध्यक्ष;

[(बारह)] (अठारह) "विश्वविद्यालय का विभागाध्यक्ष" से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को, परिनियमों में विहित की गई शर्तों के अधीन स्नातकोत्तर स्तर का शिक्षण देने के लिये विश्वविद्यालय द्वारा संधारित किये गये किसी विभाग का अध्यक्ष और उसके अन्तर्गत गवेषणा कार्य में अभिवृद्धि करने के लिये या विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को स्नातकोतर स्तर का शिक्षण देने के लिये विश्वविद्यालय द्वारा संधारित किये गये किसी संस्थान (इन्स्टीट्यूट) का संचालक आता है;

[(तेरह)] (आठ) "छात्रावास" से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के लिये निवास स्थान की इकाई जिसकी विश्वविद्यालय द्वारा व्यवस्था की गई हो, जिसे विश्वविद्यालय द्वारा संधारित किया गया हो या मान्यता दी गई हो;

[(चौदह)] (ग्यारह) "प्राचार्य" से अभिप्रेत है महाविद्यालय का प्रधान और जब कोई प्राचार्य न हो तो उसके अन्तर्गत ऐसा व्यक्ति आता है जो प्राचार्य के रूप में कार्य करने के लिये तत्समय सम्यक रूपेण नियुक्त किया जाय;

[(पन्द्रह)] (चौदह) "रजिस्ट्रीकृत स्नातक" से अभिप्रेत है इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रजिस्ट्रीकृत स्नातक;

(छः) "कुल सचिव" से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय का कुल सचिव जो धारा १६ के अधीन नियुक्त किया गया हो;

[(सोलह)] (नौ) "परिनियमों", "अध्यादेशों" तथा "विनियमों" से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय के तत्समय प्रवृत्त परिनियम, अध्यादेश तथा विनियम, जैसी भी कि दशा हो;

[(सत्रह)] (तीन) "अनुसूचित जातियों" से अभिप्रेत है भारत के संविधान के अनुच्छेद ३४१ के अधीन इस राज्य के सम्बन्ध में विनिर्दिष्ट की गई अनुसूचित जातियां;

[(अठारह)] (दो) "अनुसूचित जनजातियों" से अभिप्रेत है भारत के संविधान क अनुच्छेद ३४२ के अधीन इस राज्य के सम्बन्ध में विनिर्दिष्ट की गई अनुसूचित जनजातियां;

[(उन्नीस)] (एक) "[अध्ययनशाला"] "प्राध्ययन केन्द्र" से अभिप्रेत है उच्चतर विद्या के तथा विद्या की किसी विशिष्ट शाखा में गवेषणा के स्थान के रूप में विश्वविद्यालय द्वारा सन्धारित संस्था;

[(बीस)] (पन्द्रह) "विद्यार्थी" से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय के किसी भी महाविद्यालय या [अध्ययन शाला] प्राध्ययन केन्द्र या किसी अन्य संस्था में, विश्वविद्यालय के अध्यादेशों में अधिकथित निबंधनों तथा शर्तों के अधीन शिक्षण प्राप्त करने वाला या गवेषणा करने वाला व्यक्ति;

[(इक्कीस)] (उन्नीस) "विश्वविद्यालय के अध्यापकों" के अन्तर्गत वे समस्त व्यक्ति आते हैं जो विद्यापरिषद् के अनुमोदन से विश्वविद्यालय या किसी महाविद्यालय में शिक्षण देते हों या गवेषणा के सम्बन्ध में पथ-प्रदर्शन करते हों;

[(बाईस)] (सत्रह) "विश्वविद्यालय" से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीन स्थापित किया गया या स्थापित किया गया समझा गया तथा द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट किया गया विश्वविद्यालय;

[(तेईस)] (पांच) "कुलपति" से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय का कुलपति;

[(चौबीस) "परिदर्शक" से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय का परिदर्शक].

दूसरा अध्याय--विश्वविद्यालय

5. [(१) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, ऐसी तारीख से, जो कि उसमें विनिर्दिष्ट की जाय, किसी विश्वविद्यालय की स्थापना कर सकेगी.] **नवीन विश्वविद्यालय का स्थापन.**

(१) राज्य विधान मण्डल द्वारा यह संकल्प पारित किया जाने पर कि ऐसे नाम से तथा ऐसे क्षेत्र पर, जो कि उस संकल्प में विनिर्दिष्ट किया जाय अधिकारिता रखने वाले एक विश्वविद्यालय की स्थापना की जाय, राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा; उस नाम से तथा उस क्षेत्र के लिये उस तारीख से, जैसा कि उसमें (अधिसूचना में) विनिर्दिष्ट किया जाय, एक विश्वविद्यालय की स्थापना कर सकेगी."

(२) उपधारा (१) के अधीन जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना में,—

(एक) विश्वविद्यालय का नाम;

(दो) वह स्थान, जहां विश्वविद्यालय का मुख्यालय रखा जायगा;

(तीन) वह क्षेत्र, जो उसकी प्रादेशिक अधिकारिता के अन्तर्गत आता हो;

(चार) ऐसी अन्य विशिष्टियां, जो राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों द्वारा विहित की जायं;

विनिर्दिष्ट की जायंगी.

(३) उपधारा (१) के अधीन अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की गई तारीख से निम्नलिखित परिणाम होंगे, अर्थात् :--

(एक) विश्वविद्यालय के मुख्यालय तथा अधिकारिता सहित उसका (विश्वविद्यालय का) नाम द्वितीय अनुसूची में सम्मिलित हो जायगा और उक्त अनुसूची उस सीमा तक संशोधित हो जायगी;

(दो) उपधारा (१) के अधीन जारी की गई अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया गया क्षेत्र द्वितीय अनुसूची में वर्णित अन्य विश्वविद्यालयों की प्रादेशिक अधिकारिता में से अपवर्जित हो जायगा और उक्त अनुसूची उक्त सीमा तक संशोधित हो जायगी;

(तीन) कोई भी विशेषाधिकार, जो उपधारा (१) के अधीन अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की गई सीमाओं के भीतर की किन्हीं शिक्षण संस्थाओं को खण्ड (दो) में निर्दिष्ट किये गये किसी ऐसे अन्य विश्वविद्यालय द्वारा पूर्वोक्त तारीख के पूर्व प्रदान किये गये हों उक्त तारीख से प्रत्याहृत किये गये समझे जायेंगे;

(चार) धारा ८ की उपधारा (२) के परन्तुक के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, विश्वविद्यालय की प्रादेशिक अधिकारिता में सम्मिलित किये गये क्षेत्र के भीतर के ऐसे समस्त महाविद्यालयों के सम्बन्ध में, जिन्हें पूर्वोक्त तारीख के अव्यवहित पूर्व अन्य विश्वविद्यालयों के विशेषाधिकार दिये गये थे, यह समझा जायगा कि उन्हें उपधारा (१) के अधीन स्थापित किये गये विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार, पूर्वोक्त तारीख से, इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार दे दिये गये हैं :

परन्तु इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये परिनियमों, अध्यादेशों तथा विनियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी,--

(एक) ऐसे महाविद्यालय के, जो उपधारा (१) के अधीन स्थापित किये गये विश्वविद्यालय की प्रादेशिक सीमाओं के भीतर हो तथा द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट किये गये अन्य विश्वविद्यालय से सम्बद्ध हो, किसी विद्यार्थी ; या

(दो) किसी अन्य विद्यार्थी को, जो पूर्वोक्त तारीख के अव्यवहित पूर्व किसी ऐसे अन्य विश्वविद्यालय की परीक्षा के लिये यथास्थिति अध्ययन कर रहा था या उस परीक्षा के लिये पात्र था, इस बात की अनुज्ञा दी जायगी कि वह उस परीक्षा की तैयारी करने के लिये अपना पाठ्यक्रम पूरा कर ले और इस प्रकार स्थापित किया गया विश्वविद्याय ऐसे अन्य विश्वविद्यालय के अध्ययन पाठ्यक्रम के अनुसार, ऐसे विद्यार्थी के शिक्षण, अध्यापन, प्रशिक्षण तथा परीक्षा की, तीन वर्ष से अनधिक ऐसी कालावधि के लिये और ऐसी रीति में, जो कि परिनियमों द्वारा विहित की जाय, व्यवस्था करेगा.

विश्वविद्यालय का निगमन.

६. (१) विश्वविद्यालय के [कुलाधिपति, कुलपति तथा विश्वविद्यालय के प्राचार्य (रेक्टर)] कुलाधिपति तथा कुलपति तथा विश्वविद्यालय की सभा के, विश्वविद्यालय की कार्यपालिका परिषद् के तथा विश्वविद्यालय के विद्या-परिषद के प्रथम सदस्यों को और ऐसे समस्त व्यक्तियों को, जो इसके पश्चात् ऐसे [आफिसर] अधिकारी या सदस्य बनें, जब तक कि वे ऐसा पद धारण किये रहें या ऐसे सदस्य बने रहें, धारा ५ के अधीन जारी की गई अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किये गये विश्वविद्यालय के नाम से एक निगमित निकाय बनाया जाता है.

(२) विश्वविद्यालय का शाश्वत् उत्तराधिकार होगा तथा उसकी सामान्य मुद्रा होगी और वह उक्त नाम से वाद चलायेगा तथा उक्त नाम से उसके विरुद्ध वाद चलाया जायगा.

(३) इस अधिनियम के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, विश्वविद्यालय जंगम तथा स्थावर दोनों प्रकार की संपत्ति अर्जित करने तथा धारण करने, किसी ऐसी जंगम या स्थावर संपत्ति को, जो कि उसमें निहित हो गई हो, या विश्वविद्यालय के प्रयोजनों के लिये उसके द्वारा अर्जित की गई हो, पट्टे पर देने, बेचने या अन्यथा अन्तरित करने, संविदा करने और ऐसी समस्त अन्य बातें, जो इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये आवश्यक हों, करने के लिये सक्षम होगा.

(४) विश्वविद्यालय का मुख्यालय धारा ५ के अधीन जारी की गई अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किये गये स्थान पर रखा जायगा.

विश्वविद्यालय की शक्तियां.

७. विश्वविद्यालय को निम्नलिखित शक्तियां प्राप्त होंगी, अर्थात :—

(१) विद्या की ऐसी शाखाओं तथा [अध्ययन-पाठ्यक्रमों] पाठ्यक्रमों में, जिन्हें विश्वविद्यालय उचित समझे, शिक्षण, अध्यापन तथा प्रशिक्षण के लिये व्यवस्था करना और गवेषणा कार्य तथा ज्ञान के अभिवर्द्धन एवं प्रचार के लिये व्यवस्था करना;

(२) निम्नलिखित के अध्ययन को संवर्द्धित करना तथा उसमें अभिवृद्धि करना,—

(एक) कला तथा मानविकी (ह्यूमेनिटीज), विज्ञान, जिसके अन्तर्गत गृह विज्ञान तथा समाज विज्ञान आते हैं, प्रौद्योगिकी इंजीनियरी, वाणिज्य, विधि, शिक्षा, जिसके अन्तर्गत शारीरिक शिक्षा आती है, चिकित्सा शास्त्र (मेडिसिन) और आयुर्वेद तथा पत्रकारिता;

[(दो) संगीत तथा अन्य ललित कलाएं;]

(दो) संगीत, नृत्य, नाटक, रंग चित्रकारी (पेंटिंग) तथा मूर्तिकला;

(तीन) प्राच्य भाषाएं, संस्कृत विद्या तथा गवेषणा, प्राचीन भारतीय कलाएं और संस्कृति;

(चार) औद्योगिक संगठन तथा [कारबार] व्यवसाय प्रबन्ध

(पांच) कृषि, पशु चिकित्सा तथा सम्बद्ध विषयों के सिवाय, जिन पर जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय एक्ट, १९६३ (क्रमांक १२ सन् १९६३), की धारा ७ के अधीन अनन्य अधिकारिता रखता हो, ऐसे अन्य विषय जो कि अध्यादेशों द्वारा विहित किये जायं;

[(३) परीक्षाएं संचालित करना तथा ऐसे व्यक्तियों को, जिन्होंने विश्वविद्यालय या महाविद्यालय में किसी अध्ययन-पाठ्यक्रम का अध्ययन किया हो, उपाधिपत्र तथा प्रमाणपत्र देना और उपाधि तथा विद्या संबंधी अन्य विशिष्टताएं प्रदान करना :

परन्तु अध्यादेशों में, नीचे वर्णित व्यक्तियों की, जिन्होंने विश्वविद्यालय या महाविद्यालय में अध्ययन-पाठ्यक्रम का अध्ययन नहीं किया हो, परीक्षा लेने तथा उनको उपाधियां एवं विद्या सम्बन्धी अन्य विशिष्टताएं प्रदान करने के लिए उपबन्ध किया जा सकेगा :—

(एक) स्त्रियां;

(दो) मान्यता-प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में के अध्यापक तथा पुस्तकाध्यक्ष;

(तीन) अन्धे तथा बहरे व्यक्ति; और

(चार) ऐसे व्यक्ति जिन्होंने विश्वविद्यालय द्वारा मान्य किये गये पत्राचार पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया हो;]

(३) परीक्षाएं लेना तथा उन व्यक्तियों को, जिन्होंने कि ऐसी परीक्षाएं उत्तीर्ण कर ली हों, उपाधियां एवं विद्या संबंधी अन्य पदवियां प्रदान करना:

परन्तु विज्ञान संकाय में की स्नातक की उपाधि तक पहुंचाने वाली परीक्षाओं में किसी भी व्यक्ति को तब तक प्रवेश नहीं दिया जायगा जब तक कि ऐसे व्यक्ति ने, यदि उसने ऐसी परीक्षा के लिये ऐसा विषय लिया हो जिसके कि लिये प्रायोगिक (प्रेक्टिकल) कार्य का पाठ्यक्रम विहित किया गया हो, ऐसा कार्य किसी महाविद्यालय में पूरा न कर लिया हो तथा जब तक कि वह उस कार्य के इस प्रकार पूरा कर लेने के बारे में उस महाविद्यालय के प्राचार्य का प्रमाण-पत्र पेश न कर दे:

परन्तु यह और भी कि किसी भी व्यक्ति को,——

(एक) विज्ञान-संकाय में की किसी भी ऐसी परीक्षा में, जो कि विज्ञान स्नातक की उपाधि तक पहुंचाने वाली परीक्षा से भिन्न हो; या

(दो) कला-संकाय तथा वाणिज्य-संकाय से भिन्न संकायों में की किसी भी परीक्षा में

तब तक प्रवेश नहीं दिया जायगा जब तक कि उसने विश्वविद्यालय या किसी महाविद्यालय में किसी अध्ययन-पाठ्यक्रम का अध्ययन न किया हो :

परन्तु यह भी कि स्त्रियां इस बात के लिये पात्र होंगी कि उन्हें विश्वविद्यालय में या किसी महाविद्यालय में अध्ययन-पाठ्यक्रम का अध्ययन किये बिना विधि-संकाय में की स्नातक की उपाधि तक पहुंचाने वाली परीक्षा में प्रवेश दिया जाय.

( ) उपाधियों, उपाधिपत्रों, प्रमाणपत्रों तथा विद्या संबंधी अन्य विशिष्टताओं का प्रत्याहरण करना;

(५) उन व्यक्तियों को, जिन्होंने अध्यादेशों में अधिकथित शर्तों के अधीन स्वतन्त्र रूप से गवेषणा कार्य किया हो, उपाधि तथा विद्या सम्बन्धी अन्य विशिष्टताएं प्रदान करना;

(६) अनुमोदित व्यक्तियों को, परिनियमों में विहित की गई रीति में [मानोपाधियां] सम्मानिक उपाधियां तथा विद्या संबंधी अन्य विशिष्टताएं प्रदान करना;

(७) ऐसे व्यक्तियों के लिये, जो विश्वविद्यालय के नामांकित विद्यार्थी न हों, ऐसे व्याख्यानों तथा शिक्षण की व्यवस्था करना और उन्हें ऐसे उपाधिपत्र प्रदान करना जैसे कि विश्वविद्यालय अवधारित करे;

(८) परिनियमों या अध्यादेशों में विहित की गई रीति में महाविद्यालयों, अध्यापन-विभागों, [अध्ययन शालाओं] प्राध्ययन केन्द्रों तथा छात्रावासों को संधारित करना , उन महाविद्यालयों को, जो विश्वविद्यालय द्वारा संधारित न हों, अपने विशेषाधिकार देना तथा उन समस्त विशेषाधिकारों या उनमें से किसी भी विशेषाधिकार का प्रत्याहरण करना, और उन छात्रावासों को, जो विश्वविद्यालय द्वारा संधारित न हो, मान्यता देना तथा ऐसी मान्यता को प्रत्याहृत करना;

(९) ऐसी रीति में तथा ऐसे प्रयोजनों के लिये, जिन्हें कि विश्वविद्यालय अवधारित करे, अन्य विश्वविद्यालयों तथा प्राधिकारियों के साथ सहयोग करना;

(१०) इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार [प्राध्यापक] आचार्य पद जिनके अन्तर्गत [सेवानिवृत्त] [प्राध्यापकों] गुणवान आचार्यों के पद आते हैं, [प्रवाचक पद] उपाचार्य पद / [सहायक प्राध्यापक] सहायक आचार्य पद, व्याख्याता पद, तथा कोई अन्य अध्यापन पद, जो कि विश्वविद्यालय द्वारा अपेक्षित हों, संस्थित करना और ऐसे पदों पर व्यक्तियों को नियुक्त करना;

(११) अध्यापकों को इस रूप में मान्यता देना कि वे महाविद्यालयों में शिक्षण देने के लिये अर्हित हैं;

(१२) परिनियमों में विहित की गई शर्तों के अनुसार न्यासों तथा विन्यासों (एण्डाउमेंट्स) को धारण करना और उनका प्रबन्ध करना तथा [अधिछात्रवृत्तियां] अध्येतावृत्तियां [फेलोशिप्स], छात्र-वृत्तियां, छात्रसहायतावृत्तियां (एग्जीविशन्स), वजीफे (वर्सरीज), पदक एवं अन्य [इनामें] पुरस्कार संस्थित तथा प्रदान करना;

(१३) अध्यापन तथा गवेषणा के लिये विश्वविद्यालय की प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों, संग्रहालयों तथा अन्य साजसज्जा का आयोजन करना;

(१४) महाविद्यालयों तथा मान्यता प्राप्त संस्थाओं का निरीक्षण करना तथा यह सुनिश्चित करने के लिये उपाय करना कि उनमें शिक्षण अध्यापन या प्रशिक्षण का उचित स्तर बनाये रखा जाता है;

(१५) ऐसी फीस तथा अन्य प्रभारों की, जो अध्यादेशों द्वारा विहित किये जायें मांग करना, तथा [उनका सदाय] उनको प्राप्त करना;

(१६) विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के निवास, आचरण तथा अनुशासन का पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण करना और उनके स्वास्थ्य एवं सामान्य कल्याण में [अभिवृद्धि करने के हेतु इंतजाम करना,] अभिवृद्धि की व्यवस्था;

(१७) प्रशासनिक पदों का सृजन करना तथा उन पर नियुक्तियां करना

(१८) लिपिक वर्गीय तथा अन्य आवश्यक पदों का सृजन करना तथा उन पर नियुक्तियां करना;

(१९) विश्वविद्यालय द्वारा मान्य महाविद्यालयों तथा संस्थाओं में अध्यापन या स्नातकोत्तर गवेषणा कार्य का संचालन करना; समन्वय करना, विनियमन करना तथा नियंत्रण करना;

(२०) निम्नलिखित को संस्थित करना तथा उनका प्रबंध करना:—

(क) सूचना ब्यूरो;

(ख) नियोजन ब्यूरो; और

[(ग) मुद्रण तथा प्रकाशन विभाग, और

(घ) हिंदी प्रकाशन तथा अनुवाद ब्यूरो ;]

(ग) मुद्रण तथा प्रकाशन विभाग तथा अनुवाद ब्यूरो;

(२१) उन सेवाओं के लिये, जो संघ या राज्य सरकार के अधीन हों, प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित प्रशिक्षण की व्यवस्था करना;

(२२) निम्नलिखित के लिये व्यवस्था करना :--

(क) [विश्वविद्यालय के बाहर का] बहिवर्ती (एक्स्ट्राम्यूरल) अध्यापन तथा गवेषणा;

(ख) शारीरिक तथा सैन्य प्रशिक्षण;

(ग) खेलों तथा व्यायाम संबंधी क्रियाकलाप;

(२३) संबद्ध महाविद्यालयों तथा मान्यताप्राप्त संस्थाओं को क्रियाकलापों का नियंत्रण तथा समन्वय करना और उन्हें वित्तीय सहायता देना;

(२४) उन वर्गों तथा समुदायों में, जो शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े हुए हों, विश्वविद्यालयीन शिक्षा के प्रसार के लिये विशेष उपबन्ध करना;

(२५) स्वत: ही या अन्य विश्वविद्यालयों, या राज्य सरकार या संघ सरकार के सहयोग से हिंदी के अध्ययन के विकास में अभिवृद्धि करना;

(२६) विश्वविद्यालयों के वैतनिक [आफीसरों] अधिकारियों, अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों पर परिनियमों तथा अध्यादेशों के अनुसार, [अनुशासनिक] नियंत्रण रखना;

(२७) समस्त ऐसे कार्य [तथा बातें] चाहे वे पूर्वोक्त शक्तियों से आनुषंगिक हों या न हों, जो विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिये अपेक्षित हों, करना;

प्रादेशिक अधिकारिता.

८. (१) इस अधिनियम में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, विश्वविद्यालय को इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त की गई शक्तियों का विस्तार, समय-समय पर द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई प्रादेशिक अधिकारिता की सीमाओं से परे नहीं होगा.

(२) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी किसी भी विश्वविद्यालय की प्रादेशिक सीमाओं के भीतर, स्थित किसी भी महाविद्यालय या शिक्षण संस्था को भारत में विधि द्वारा निगमित किसी अन्य विश्वविद्यालय से किसी भी रीति में [सम्बद्ध] सहयुक्त नहीं किया जायेगा. और न उसको कोई विशेषाधिकार ही दिये जायेंगे :-

परन्तु इस उपधारा के उपबन्ध उन महाविद्यालयों तथा अन्य शिक्षण संस्थाओं के मामले में लागू नहीं होंगे जो इस अधिनियम के प्रारम्भ होने की तारीख को, सागर विश्वविद्यालय, जबलपुर विश्वविद्यालय, रविशंकर विश्वविद्यलय, तथा अवधेशप्रताप सिंह विश्वविद्यालय की प्रादेशिक सीमाओं, जैसा कि प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट है, के भीतर स्थित हों, और जो अनन्य रूपेण संगीत तथा ललित कलाओं में या उनमें से किसी में भी शिक्षण दे रही हों एवं जिन्हें इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय एक्ट, १९५६ (क्रमांक १९सन् १९५६) के अधीन इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, खैरागढ़ के विशेषाधिकार मिले हों या जिनके संबंध में यह समझा जाय, कि उन्हें उक्त विशेषाधिकार मिल गये हैं.

विश्वविद्यालय से संबन्धित समस्त बातों में विभेद का प्रतिषेध.

९. विश्वविद्यालय इस अधिनियम के द्वारा या अ ीन उसे प्रदत्त की गई शक्तियों का प्रयोग करने में या इस अधिनियम के द्वारा या अधीन उस पर अधिरोपित किये गये कृत्यों का पालन करने में केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, राजनैतिक या अन्य विचारधारा के आधार पर या इनमें से किसी एक के आधार पर भारत के किसी भी नागरिक के विरुद्ध विभद नहीं करगा.

विश्वविद्यालय में अध्यापन

१०. विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों के संबंध में, समस्त मान्यताप्राप्त अध्यापन कार्य, ऐसे अध्यापन का आयोजन करने के लिये उत्तरदायी प्राधिकारी तथा पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्या ऐसी होगी / ऐसा होगा जैसा कि यथास्थिति परिनियमों, अध्यादेशों या विनियमों दारा विहिति किया जाये.

परिदर्शक

[११. (१) मध्यप्रदेश का राज्यपाल विश्वविद्यालय का परिदर्शक होगा.

(२) परिदर्शक, अपने पद के आधार पर, विश्वविद्यालय का प्रधान होगा और जब वह उपस्थित हो, विश्वविद्यालय के किसी भी दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेगा.

(३) परिदर्शक अपनी इच्छा होने पर विश्वविद्यालय का औपचारिक रूप से परिदर्शन करेगा.

(४) मानोपाधि प्रदान करने की प्रत्येक प्रस्थापना परिदर्शक के पुष्टिकरण के अध्यधीन होगी.

(५) परिदर्शक ऐसी समस्त शक्तियों का प्रयोग करेगा, जो कि इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उसको प्रदत्त की जाये.]

विश्वविद्यालय का निरीक्षण.

१२. (१) राज्य सरकार को यह अधिकार होगा कि वह ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसे कि वह निदेश द, विश्वविद्यालय का, उसके भवनों, प्रयोग शालाओं, पुस्तकालयों, संग्रहालयों, कर्मशालाओं तथा साजसज्जा का और विश्वविद्यालय द्वारा संधारित किसी महाविद्यालय या छात्रावास का विश्वविद्यालय द्वारा संचालित अध्यापन तथा अन्य कार्य का और विश्वविद्यालय द्वारा ली जाने वाली परीक्षाओं के संचालन का निरीक्षण करवाये और विश्वविद्यालय से संसक्त किसी भी मामले के बारे में जच करवायें :

परन्तु राज्य सरकार, प्रत्येक मामले में, निरीक्षण करवाने, या जांच करवाने के अपने आशय की सूचना विश्वविद्यालय को देगी. और विश्वविद्यालय उसमें प्रतिनिधित्व करने का हकदार होगा :

(2) ऐसा व्यक्ति, ऐसे निरीक्षण या जांच के परिणाम की रिपोर्ट राज्य सरकार को देगा और राज्य सरकार, ऐसे निरीक्षण या जांच के परिणाम के संबंध में अपने विचार [कार्य पालिका परिषद] कार्य परिषद्, को संसूचित करेगी तथा उस पर [कार्यपालिका परिषद्] कार्यपरिषद् की राय अभिनिश्चित करने के पश्चात्, की जानेवाली कार्यवाही के संबंध में, विश्वविद्यालय को सलाह देगी.

(३) कार्यपालिका परिषद्], कार्य परिषद्, राज्य सरकार को, ऐसी कार्यवाही की, यदि कोई हो, जो उसने ऐसे निरीक्षण या जांच के परिणाम स्वरूप की हो या जिसका करना वह प्रस्थापित करे, रिपोर्ट देगी और ऐसी रिपोर्ट, ऐसे समय के भीतर, जैसा कि राज्य सरकार, निर्दिष्ट करे, भेजी जायेगी.

(४) जहां [कार्यपालिका परिषद्] कार्य परिषद्, युक्तियुक्त समय के भीतर, राज्य सरकार के समाधान योग्य कार्यवाही न करे, तो राज्य सरकार, [कार्यपालिका परिषद्] कार्य परिषद् द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण या किये गये किसी व्यपदेशन पर, विचार करने के पश्चात् ऐसे निर्देश, जारी कर सकेगी. जैसे कि वह उचित समझे. और [कार्यपालिका परिषद्] कार्य परिषद् उनका अनुपालन करेगी.

तीसरा अध्याय—विश्वविद्यालय के [आफिसर] अधिकारी

१३. विश्वविद्यालय के निम्नलिखित आफिसर होंगे, अर्थात्:— विश्वविद्यालय के [अफिसर] अधिकारी.

(एक) कुलाधिपति

(दो) कुलपति,

[(तीन) विश्वविद्यालय का प्राचार्य (रेक्टर),]

(चार) कुल सचिव,

(पांच) संकायों के [अधिष्ठाता] संकायाध्यक्ष, और

(छ:) विश्वविद्यालय की सेवा में के ऐसे अन्य [आफिसर],अधिकारी, जो कि परिनियमों, द्वारा विश्वविद्यालय के [आफिसर] अधिकारी घोषित किये जायें.

[१४. (१) कुलाधिपति कार्यपालिका परिषद् द्वारा सिफारिश किये गये, व्यक्तियों में से सभा द्वारा निर्वाचित किया जायेगा; कुलाधिपति.

(२) इस प्रकार निर्वाचित किया गया कुलाधिपति, विश्वविद्यलय का अवैतनिक, आफिसर होगा और वह निर्वाचन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि तक पदधारण करेगा. वह अपने पद के आधार पर सभा का अध्यक्ष होगा और जब वह उपस्थित हो, सभा के सम्मिलनों की और, परिदर्शक की अनुपस्थिति में विश्वविद्यालय के किसी भी दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेगा. उसे ऐसे भत्ते दिये जायेंगे, जो कि परिनियमों द्वारा अवधारित किये जायें :

परन्तु प्रथम कुलाधिपति राज्य सरकार द्वारा सीधा नियुक्त किया जायेगा, और वह, धारा (५) की उपधारा (१) के [illegible]

संबंध में के सिवाय, तब तक पद धारण करेगा, जब तक कि कुलाधिपति धारा (३) के खंड (तीन) में उपबन्धित किये गये अनुसार, सम्यक् रूपेण पुनर्गठित की गई, सभा द्वारा निर्वाचित न कर लिया जाये.

(३) कुलाधिपति को ऐसी शक्तियां होंगी जैसी कि इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उसको प्रदत्त की जायं.

(४) कुलाधिपति--

(क) विश्वविद्यालय के कार्यकलापों से संबंधित कोई भी कागज पत्र या जानकारी मंगा सकेगा, और

(ख) अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से धारा ५७ के अधीन आने वाले मामले के सिवाय, कोई भी मामला विश्वविद्यालय के किसी भी आफिसर या प्राधिकारी को, जिसने ऐसे मामले में पूर्व में विचार किया हो, पुनः विचार के लिये निर्देशित कर सकेगा.

(५) कुलाधिपति लिखित आदेश द्वारा, विश्वविद्यालय के किसी भी आफिसर या प्राधिकारी की, किसी भी ऐसी कार्यवाही को जो इस अधिनियम, परिनियमों, अध्यादेशों या विनियमों के अनुसार न हो. बातिल कर सकेगा :

परन्तु कोई भी ऐसा आदेश देने के पूर्व वह सम्बन्धित आफिसर या प्राधिकारी को यह कारण दर्शाने के लिये अपेक्षित करेगा कि ऐसा आदेश क्यों न दिया जाये और यदि उसके द्वारा इस संबंध में विनिर्दिष्ट किये गये समय के भीतर कोई कारण दर्शाया जाये, तो वह उस पर विचार करेगा.]

कुलाधिपति।

१४. (१) मध्यप्रदेश का राज्यपाल विश्वविद्यालय का पदेन कुलाधिपति होगा, वह अपने पद के आधार पर विश्वविद्यालय का प्रधान और सभा का अध्यक्ष होगा. और जब वह उपस्थित हो, सभा के सम्मिलनों की, और विश्वविद्यालय के किसी भी दीक्षाँत समारोह की अध्यक्षता करेगा.

(२) कुलाधिपति--

(क) विश्वविद्यालय के कार्यकलापों से संबंधित कोई भी कागज-पत्र या जानकारी मंगा सकेगा और,

(ख) अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से धारा ५७ के अधीन आने वाले मामलों के सिवाय कोई भी मामला विश्वविद्यालय के किसी भी अधिकारी या प्राधिकारी को, जिसने ऐसे मामले पर पूर्व में विचार किया हो, पुनर्विचार के लिये निर्देशित कर सकेगा.

(३) कुलाधिपति, लिखित आदेश द्वारा, विश्वविद्यालय के किसी भी अधिकारी या प्राधिकारी की किसी भी ऐसी कार्यवाही को, जो इस अधिनियम परिनियमों, अध्यादेशों या विनियमों के अनुरूप न हों. बातिल कर सकेगा :

परन्तु कोई भी ऐसा आदेश देने के पूर्व वह संबंधित अधिकारी या प्राधिकारी को यह कारण दर्शाने के लिये अपेक्षित करेगा कि ऐसा आदेश क्यों न दिया जाये और यदि उसके द्वारा इस संबंध में विनिर्दिष्ट किये गये समय के भीतर कोई कारण दर्शाया जाये तो वह उस पर विचार करेगा.

(४) सम्मानित उपाधि प्रदान करने की प्रत्येक प्रस्थापना कुलाधिपति के पुष्टीकरण के अध्यधीन होगी.

(५) कुलाधिपति ऐसी समस्त शक्तियों का प्रयोग करेगा जो कि इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उसको प्रदत्त की जाये.

१५. (१) कुलपति की नियुक्ति उपधारा (२) के अधीन गठित समिति द्वारा सिफारिश किये गये कम से कम तीन व्यक्तियों की तालिका (पेनल) में से शिक्षा मंत्री के परामर्श से [परिदर्शक] कुलाधिपति द्वारा की जायेगी: कुलपति

परन्तु यदि (परिदर्शक) कुलाधिपति इस प्रकार सिफारिश किये गये व्यक्तियों में से किसी को भी अनुमोदित न करे या उक्त समिति द्वारा सिफारिश किये गये व्यक्तियों में से [परिदर्शक] कुलाधिपति द्वारा अनुमोदित कोई व्यक्ति या व्यक्ति-गण नियुक्ति प्रतिग्रहीत करने के लिये रजामन्द न हों, तो [परदर्शक] कुलाधि-पति ऐसी समिति से नई सिफारिशें मंगा सकेगा:

परन्तु यह और भी कि कोई भी ऐसा व्यक्ति, जिसने ६२ वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो कुलपति नियुक्त नहीं किया जायेगा :

परन्तु यह भी कि प्रथम कुलपति राज्यसरकार द्वारा सीधा नियुक्त किया जायगा।

(२) [परिदर्शक] कुलाधिपति एक समिति नियुक्त करेगा जिसमें निम्न-लिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात:—

(एक) कार्यपालिका परिषद द्वारा निर्वाचित किया गया एक व्यक्ति;

(दो) मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य [न्यायमूर्ति] न्यायाधिपति द्वारा नाम निर्देशित किया गया एक व्यक्ति;

(तीन) [परिदर्शक] कुलाधिपति द्वारा नाम निर्देशित किया गया एक व्यक्ति,

[परिदर्शक] कुलाधिपति इन तीन व्यक्तियों में से एक को समिति का अध्यक्ष नियुत करेगा.

(३) उपधारा (२) के अधीन समिति गठित करने के लिये [परिदर्शक;] कुलाधिपति कुलपति की अवधि का अवसान होने से छः मास पूर्व, [कार्यपालिका परिषद] कार्यपरिषद तथा मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य [न्यायमूर्ति] न्यायाधिपति को अपने नाम निर्दिष्ट व्यक्तियों को चुनने के लिये अपेक्षित करेगा और यदि उनमें से कोई भी या दोनों इस बारे में [परिदर्शक] कुलाधिपति की संसूचना प्राप्त होने के एक मास के भीतर ऐसा करने में असफल रहे तो [परिदर्शक] कुलाधिपति यथास्थिति किसी एक या दोनों व्यक्तियों को नाम निर्देशित कर सकेगा और ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के संबंध में जो कि इस प्रकार नाम निर्देशित किया गया हो/किये गये हों, यह समझा जायगा कि वह/ये यथास्थिति कार्यपालिका परिषद या मुख्य [न्यायमूर्ति] न्यायाधिपति दारा निर्वाचित या नाम निर्देशित किया गया व्यक्ति है./किये गये व्यक्ति हैं

(४) किसी भी ऐसे व्यक्ति को, जो विश्वविद्यालय या महाविद्यालय से संसक्त हो, उपधारा (२) के अधीन समिति के लिये निर्वाचित नहीं किया जायगा.

(५) समिति विशिष्ट विद्वानों, शिक्षणविदों, शैक्षिक प्रशासकों के या ऐसे व्यक्तियों के, जिन्हें विश्वविद्यालयीन शिक्षा से संशक्त अध्यापन में या वैसे ही क्षेत्रों में उनकी प्रसिद्धि के कारण वैसा सम्मान दिया जाता हो, नामों पर विचार करेगी और अपने गठन की तारीख से छः सप्ताह के भीतर या चार सप्ताह से अनधिक ऐसे समय के भीतर, जो कि [परिदर्शक] कुलाधिपति द्वारा बढाया जाय, तालिका प्रस्तुत करेगी.

(६) यदि किसी कारण से समिति उपधारा (५) में विनिर्दिष्ट की गई कालावधि के भीतर तालिका प्रस्तुत करने में असफल रहे, तो [परिदर्शक] कुलाधिपति राज्य सरकार के परामर्श से, उक्त उपधारा में विनिर्दिष्ट किये गये व्यक्तियों में से किसी भी ऐसे व्यक्ति को, जिसे वह उपयुक्त समझे, कुलपति नियुक्त कर सकेगा.

(७) कुलपति तीन वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा और वह क्रमवर्ती तीसरी पदावधि के लिये पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु उसकी अवधि का अवसान हो जाने पर भी वह पद पर तब तक बना रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी नियुक्त न कर दिया जाय और वह अपना पद ग्रहण न कर ले, किन्तु यह कालावधि छः मास से अधिक नहीं होगी.

(८) कुलपति विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक [आफिसर अधिकारी होगा और उसकी उपलब्धियां एवं सेवा के अन्य निबन्धन तथा शर्तें परिनियमों द्वारा विहित की जायंगी.

(९) उपकुलपति की मृत्यु के कारण, उसके पद त्याग के कारण या अन्यथा उसका पद रिक्त हो जाने की दशा में वह रिक्ति, यथासंभव शीघ्र, इस धारा में अधिकथित की गई रीति में भरी जायगी.

(१०) जहां कुलपति का पद छुट्टी, रुग्णता या अन्य कारण से अस्थायी रूप से रिक्त हो जाय, वहां कुलाधिपति, यथासंभव शीघ्र कुलपति के पद का कार्य चलाने के लिये ऐसा इन्तजाम करेगा जैसा कि वह उचित समझे. जब तक ऐसे इन्तजाम न किये गये हों, [विश्वविद्यालय का प्राचार्य (रेक्टर) या यदि विश्वविद्यालय का आचार्य (रेक्टर) भी उपलभ्य न हों,] तो कुलसचिव कुलपति के चालू कर्तव्य करेगा.

स्पष्टीकरण :—इस धारा के प्रयोजनों के लिये, विश्व विद्यालय से सम्बद्ध किसी महाविद्यालय के शासी निकाय के सदस्य को विश्वविद्यालय या महाविद्यालय से संसक्त व्यक्ति नहीं समझा जायगा.

कतिपय विश्वविद्यालयों में कुलपति की नियुक्ति के लिये विशेष उपबन्ध.

[१६. (२) इस धारा के उपबन्ध ऐसे विश्वविद्यालयों को लागू होंगे जिन्हें कि राज्य सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के परामर्श से, अधिसूचना द्वारा ऐसे विश्वविद्यालय होना घोषित करे जो कि पर्याप्त विकसित हो गये हों तथा जिन्होंने परम्परायें स्थापित कर ली हों.

(२) धारा १५ में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, उपधारा (१) के अधीन अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किये गये विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति इस धारा में अधिकथित रीति में की जायगी.

(२) परिदर्शक कुलपति की पदावधि का अवसान होने के तीन मास पूर्व—

(एक) सभा से यह अपेक्षा करेगा कि वह उस तालिका में से, जिसमें कि वे तीन नाम होंगे जिसकी कि कार्यपालिका परिषद् द्वारा सिफारिश की जाय, कार्यपालिका परिषद् द्वारा तालिका की सिफारिश की जाने की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर कुलपति का निर्वाचन करे और उसे परिदर्शक के पास अग्रेषित करें;

(दो) कार्यपालिका परिषद् से यह अपेक्षा करेगा कि वह सभा को ऐसी तालिका की सिफारिश करे जिसमें ऐसे व्यक्तियों के तीन नाम हों जो विशिष्ट विद्वान, शिक्षणविद्, प्रशासक या ऐसे व्यक्ति हों जो विश्वविद्यालयीन शिक्षा से संशक्त अध्यापन या वैसे ही क्षेत्र में अपनी प्रसिद्धि के कारण सम्मानित हो :

परन्तु कार्यपालिका परिषद् सभा को ऐसी तालिका कुलपति की पदावधि का अवसान होने के कम से कम साठ दिन पूर्व अग्रेषित करेगी और ऐसी तालिका में कार्यपालिका परिषद् के एक से अधिक सदस्य का नाम सम्मिलित नहीं होगा.

(४) परिदर्शक उपधारा (३) के अधीन सभा द्वारा निर्वाचित किये गये व्यक्ति को कुलपति नियुक्त करेगा.

परन्तु यह भी कि विश्वविद्यालय के अधीन किसी भी पद पर नियुक्ति के संबंध में इस उपधारा के अधीन कोई भी कार्यवाही नहीं की जायगी.

(५) धारा १५ की उपधारा (१) के द्वितीय परन्तुक उपधारा (७), (८), (९) तथा (१०) के उपबन्ध इस धारा के अधीन नियुक्त किये गये कुलपति को यथा-आवश्यक परिवर्तनों सहित उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार कि वे उक्त धारा के अधीन नियुक्त किये गये कुलपति को लागू होते हैं.]

कुलपति की शक्तियां तथा कर्त्तव्य.

१७. (१) कुलपति विश्वविद्यालय का प्रधान प्रशासी तथा विद्या विषयक आफिसर होगा और कुलाधिपति की अनुपस्थिति में सभा के सम्मिलनों की अध्यक्षता करेगा. वह कार्यपालिका परिषद् का तथा विद्या परिषद् का पदेन सदस्य तथा अध्यक्ष, सभा का सदस्य तथा विश्वविद्यालय के ऐसे अन्य प्राधिकारियों का, जिनका कि वह सदस्य हों, अध्यक्ष होगा. वह विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकारी या, अन्य निकाय के किसी भी सम्मेलन में उपस्थित होने तथा बोलने का हकदार होगा किन्तु वह उसमें मत देने का तब तक हकदार नहीं होगा जब तक कि वह संबंधित प्राधिकारी या निकाय का सदस्य न हो.

(२) यह सुनिश्चित करना कुलपति का कर्त्तव्य होगा कि इस अधिनियम, परिनियमों, अध्यादेशों तथा विनियमों का निष्ठापूर्वक अनुपालन किया जाता है और उसे इस प्रयोजन के लिये समस्त आवश्यक शक्तियां प्राप्त होंगी.

(३) कुलपति को सभा, [कार्यपालिका परिषद्] कार्य परिषद् तथा विद्या परिषद् के सम्मिलन बुलाने की शक्ति होगी. वह विश्वविद्यालय के किसी अन्य [आफिसर] अधिकारी को यह शक्ति प्रत्यायोजित कर सकेगा.

(४) यदि कुलपति की राय में कोई ऐसी आपातस्थिति उत्पन्न हो गई हो जिसमें तुरन्त कार्यवाही की जाना अपेक्षित हो, तो कुलपति ऐसी कार्यवाही करेगा जैसी कि वह आवश्यक समझे और उसे उस प्राधिकारी के, जो कि मामूली [क्रम] अनुक्रम में उस मामले के संबंध में कार्यवाही करता, आगामी सम्मिलन में अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करेगा :

परन्तु कुलपति द्वारा की गई कार्यवाही से विश्वविद्यालय तीन मास से अधिक कालावधि के लिये किसी भी आवर्ती व्यय के हेतु वचनवद्ध नहीं होगा :

परन्तु यह और भी कि जहां कुलपति द्वारा की गई ऐसी कोई कार्यवाही विश्वविद्यालय की सेवा में के किसी व्यक्ति पर प्रभाव डालती हो, वहां ऐसा व्यक्ति, उस तारीख से, जिसको कि उसे ऐसी कार्यवाही की सूचना प्राप्त हुई हो, तीस दिन के भीतर [कार्यपालिका परिषद्] कार्य परिषद् को अपील प्रस्तुत करने का हकदार होगा. [.] :—

परन्तु यह भी कि विश्वविद्यालय के अधीन किसी भी पद पर नियुक्ति के संबंध में इस उपधारा के अधीन कोई भी कार्यवाही नहीं की जायगी.

(५) उपधारा (४) के अधीन कुलपति द्वारा की गई कार्यवाही समुचित प्राधिकारी द्वारा की गई कार्यवाही समझी जायगी जब तक कि वह उपधारा (४) के अधीन कुलपति द्वारा की गई रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् ऐसे प्राधिकारी द्वारा अपास्त न कर दी जाय या उक्त उपधारा के द्वितीय परन्तुक के अधीन [कार्यपालिका परिषद्] कार्य परिषद् द्वारा अपास्त न कर दी जाय.

(६) कुलपति विश्वविद्यालय के कार्यकलापों पर सामान्य नियंत्रण रखेगा और विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों के विनिश्चयों को प्रभावशील करेगा.

(७) कुलपति ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा जो कि परिनियमों, अध्यादेशों तथा विनियमों द्वारा विहित की जायं.

कुलपति का हटाया जाना.

१७-क (१) कुलपति में अविश्वास अभिव्यक्त करने वाला प्रस्ताव, अवचार या जानबूझकर किये गये लोप या विश्वविद्यालय के हित पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कार्यों के किये जाने के आधार पर या असमर्थता के आधार पर तथा निम्नलिखित निर्बन्धनों के अध्यधीन रहते हुए किया जा सकेगा, अर्थात् :—

(क) ऐसा प्रस्ताव लाने के आशय की लिखित सूचना, जिस पर सभा की तत्समय कुल सदस्य संख्या के कम से कम एक-तिहाई सदस्यों ने हस्ताक्षर किये हों, सभा के सम्मिलन के लिये नियत की गई तारीख के कम से कम पूरे सात दिन पूर्व कुलसचिव को दे दी जाय; और

(ख) ऐसी सूचना के साथ यथास्थिति अवचार या जानबूझकर किये गये लोप या विश्वविद्यालय के हित पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कार्यों के किये जाने संबंधी या असमर्थता संबंधी विशिष्टियां अन्तर्विष्ट करने वाले प्रस्ताव की, जिसे कि लाना प्रस्थापित हो, प्रतिलिपि भेजी जाय;

(२) सभा का सम्मिलन प्रारम्भ होने पर, पीठासीन अधिकारी, उपधारा (१) के अधीन दी गई सूचना तथा प्रस्थापित प्रस्ताव का मूल पाठ पढ़कर सुनायेगा और सभा के उन सदस्यों से, जो उस प्रस्ताव पर चर्चा किये जाने के पक्ष में हों, अपने स्थानों पर खड़े होने के लिये अपेक्षित करेगा.

(३) यदि सभा की तत्समय कुल सदस्य संख्या में से कम से कम एक-तिहाई सदस्य अपने-अपने स्थानों पर खड़े हो जायं, तो पीठासीन अधिकारी ऐसे प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिये तुरन्त एक तारीख नियत करेगा जो उस दिन से पांच दिन के अधिक पश्चात की नहीं होगी.

(४) कुलपति उस सम्मिलन की अध्यक्षता नहीं करेगा जिसमें ऐसे प्रस्ताव पर चर्चा की जाय किन्तु वह विचार-विमर्श के समय बोलने तथा उसमें भाग लेने का हकदार होगा. सम्मिलन की अध्यक्षता कुलपति से भिन्न ऐसे व्यक्ति द्वारा की जायगी जिसे कि कुलाधिपति इस सम्बन्ध में नामनिर्देशित करे.

(५) कोई भी ऐसा प्रस्ताव तब तक पारित हुआ नहीं समझा जायगा जब तक कि सभा के उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों में से कम से कम दो तिहाई सदस्यों की बहुसंख्या ऐसे प्रस्ताव के पक्ष में मत न दे और जब तक कि ऐसी बहुसंख्या तत्समय सभा का गठन करने वाले सदस्यों की कुल संख्या के आधे से अधिक न हो.

(६) इस धारा के उपबन्धों के अनुसार सभा में पारित किये गये संकल्प के, कुलाधिपति को प्रस्तुत किये जा चुकने के पश्चात, कुलाधिपति द्वारा पारित किये गये आदेश से ही कुलपति को पद से हटाया जायगा अन्यथा नहीं.

[१८. (१) एक विश्वविद्यालय-प्राचार्य (रेक्टर) होगा जो राज्य सरकार द्वारा अपने नियंत्रणाधीन आफिसरों में से प्रतिनियुक्त किया जायगा. रेक्टर.

(२) विश्वविद्यालय का प्राचार्य (रेक्टर) प्रथमतः चार वर्ष की कालावधि तक पद धारण करेगा किन्तु ऐसी कालावधि समय-समय पर, एक समय में चार वर्ष की और कालावधि के लिये तब तक बढ़ाई जा सकेगी जब तक कि उसकी अधिवार्षिकी की आयु न हो जाय.

(३) इस अधिनियम के उपबन्धों तथा उसकी प्रतिनियुक्ति के निबन्धनों के अध्यधीन रहते हुए, विश्वविद्यालय के प्राचार्य (रेक्टर) की सेवा की निबन्धन तथा शर्तें परिनियमों द्वारा विहित की जायंगी.

(४) विश्वविद्यालय का प्राचार्य (रेक्टर) कुलपति के ऐसे कर्त्तव्यों का पालन करेगा तथा ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जो कि कुलपति के परामर्श से कुलाधिपति द्वारा उसको समनुदेशित की जायं और वह ऐसे अन्य कर्त्तव्यों का पालन करेगा तथा ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा जो कि परिनियमों द्वारा विहित की जायं/किये जायं.

(५) कुलपति की अनुपस्थिति में, विश्वविद्यालय का प्राचार्य (रेक्टर) विश्वविद्यालय के विभिन्न प्राधिकारियों के, जिनके कि कुलपति तथा विश्वविद्यालय का प्राचार्य (रेक्टर) दोनों ही सदस्य हों, सम्मिलनों की अध्यक्षता करेगा.]

कुल सचिव.

१६. (१) कुल सचिव पूर्णकालिक वैतनिक [ग्राफिसर] अधिकारी होगा और वह सभा के, [कार्यपालिका परिषद] कार्य परिषद के, विद्या परिषद के तथा वित्त समिति के सचिव के रूप में कार्य करेगा. वह इस सम्बन्ध में बनाये जानेवाले परिनियमों के अनुसार [कार्यपालिका परिषद] कार्य परिषद द्वारा नियुक्त किया जायगा और उसकी उपलब्धियां तथा सेवा की शर्तें ऐसी होंगी जो कि परिनियमों द्वारा विहित की जायं :

परन्तु प्रथम कुलसचिव राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जायगा और वह तीन वर्ष से अनधिक ऐसी कालावधि तक और ऐसे निबन्धनों तथा शर्तों पर, जिन्हें कि कुलाधिपति अवधारित करे, पद धारण करेगा.

(२) वित्त समिति तथा [कार्यपालिका परिषद] कार्य परिषद की शक्तियों के अध्यधीन रहते हुए कुलसचिव यह देखने के लिये उत्तरदायी होगा कि समस्त धन उसी प्रयोजन के लिये व्यय किये जाते हैं जिसके कि लिये वे मंजूर या आवंटित किये गये हैं.

(३) इस अधिनियम के अधीन अन्यथा उपबंधित के सिवाय, समस्त संविदाएं विश्वविद्यालय की ओर से कुलसचिव द्वारा हस्ताक्षरित की जायगी.

(४) कुल सचिव ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा ऐसे कर्त्तव्यों का पालन करेगा जो कि परिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों द्वारा उस पर अधिरोपित किये जायं या उसको प्रदत्त की जायं.

कतिपत परिस्थितियों में प्रशासी [ग्राफिसर] अधिकारी को नियुक्त करने की [परिदर्शक] कुलाधिपति की शक्ति.

२०. (१) यदि [परिदर्शक] कुलाधिपति का, उसको इस बारे में अभ्यावेदन किया जाने पर या अन्यथा, विश्वविद्यालय के कार्यकलापों के संबंध में ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसी कि वह उचित समझे, समाधान हो जाय कि विश्वविद्यालय-कार्यालय में भ्रष्टाचार फैल गया है या गम्भीर अदक्षता आ चुकी है, जो विश्वविद्यालय के हितों के लिये अपायकर है, तो वह राज्य सरकार को यह सिफारिश कर सकेगा कि तीन वर्ष से अनधिक ऐसी कालावधि के लिये, जैसी कि वह उचित समझे, सरकार के किसी [ग्राफिसर] अधिकारी को प्रशासी ग्राफिसर के रूप में प्रतिनियुक्त किया जाय.

(२) उपधारा (१) के अधीन सिफारिश किये गये अनुसार राज्य सरकार द्वारा किसी [ग्राफिसर] अधिकारी के प्रतिनियुक्त कर दिये जाने पर, कुलसचिव उस कालावधि के दौरान, जिसमें कि प्रशासी [ग्राफिसर] अधिकारी पदारूढ़ रहे, अपने पद के कृत्यों का पालन नहीं करेगा और इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन कुलसचिव को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग तथा उस पर अधिरोपित किये गये कर्त्तव्यों का पालन पूर्वोक्त कालावधि के दौरान प्रशासी [ग्राफिसर] अधिकारी द्वारा उसी प्रकार किया जायगा मानों कि वह कुलसचिव हो.

(३) कुलसचिव ऐसे कर्त्तव्यों का पालन करेगा तथा ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जो कि प्रशासी [ग्राफिसर] अधिकारी द्वारा उसे समनुदेशित की जाय किये जायं.

(४) प्रशासी [ग्राफिसर] अधिकारी, यदि राज्य सरकार ऐसा निदेश दे, विश्वविद्यालय.निधि में से भुगतान प्राप्त कर सकेगा

अन्य [ग्राफिसर] अधिकारी.

२१. धारा १३ में निर्दिष्ट किये गये विश्वविद्यालय के अन्य [ग्राफिसरों] अधिकारियों की नियुक्ति ऐसी रीति में की जायगी और उनकी सेवा की शर्तें एवं उनकी शक्तियां तथा कर्त्तव्य ऐसे होंगे जो कि परिनियमों, अध्यादेशों तथा विनियमों द्वारा विहित किये जायं/की जायं.

अध्याय चार--विश्वविद्यालय के प्राधिकारी

२२. विश्वविद्यालय के प्राधिकारी निम्नलिखित होंगे :-- विश्वविद्यालय के प्राधिकारी.

(एक) सभा,

(दो) [कार्यपालिका परिषद्] कार्य परिषद्,

(तीन) विद्या परिषद्,

(चार) विद्या परिषद् की स्थायी समिति,

(पांच) संकाय,

(छः) अध्ययन [बोर्ड] मण्डल,

(सात) वित्त समिति, और

(आठ) ऐसे अन्य प्राधिकारी जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकारी घोषित किये जायं.

२३. (१) सभा में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात् :-- सभा का संघठन.

समूह--क

(क) कुलाधिपति,

[(दो) शिक्षा मंत्री, मध्यप्रदेश,

(तीन) राज्य मंत्री, शिक्षा, मध्यप्रदेश,

(चार) मध्यप्रदेश का शिक्षा उप मंत्री, यदि कोई हो, जो महाविद्यालयीन शिक्षा का भारसाधक हो,]

(दो) शिक्षा मंत्री, मध्यप्रदेश या राज्य मंत्री, शिक्षा या उप मंत्री, शिक्षा जो भी शिक्षा मंत्री द्वारा नामनिर्देशित किया जाय.

(पांच) कुलपति,

[(छः) राज्य में के अन्य विश्वविद्यालयों के कुलपति,

(सात) विश्वविद्यालय का प्राचार्य (रेक्टर),]

(आठ) सचिव, मध्यप्रदेश शासन, शिक्षा विभाग या उसका नाम निर्दिष्ट व्यक्ति, जो शासन के उपसचिव [या महाविद्यालयीन शिक्षा संयुक्त संचालक] के पद से निम्न पद का न हो,

(नौ) सभापति, मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मण्डल,

(दस) संचालक, लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश.

(दस-क) संचालक, महाविद्यालयीन शिक्षा, मध्यप्रदेश या उसका नाम निर्दिष्ट व्यक्ति जो महाविद्यालयीन शिक्षा के संयुक्त संचालक, के पद से निम्न पद का न हो;

(दस-ख) संचालक, तकनीकी शिक्षा, मध्यप्रदेश या उसका नामनिर्दिष्ट व्यक्ति जो तकनीकी शिक्षा के संयुक्त संचालक के पद से निम्न पद का न हो;

(दस-ग) विश्वविद्यालय के मुख्यालय पर स्थित नगरपालिक निगम का महापौर या नगरपालिका परिषद का अध्यक्ष, जैसी भी की दशा हो.

(दस-घ) उस जिले की, जिसमें कि विश्वविद्यालय का मुख्यालय स्थित हो, जिला पंचायत का सभापति.

समूह--ख

(ग्यारह) समस्त संकायों के [अधिष्ठाता] संकायाध्यक्ष,

[(बारह) संघटक महाविद्यालयों के समस्त प्राचार्य,]

(बारह) संघटक महाविद्यालयों के तीन प्राचार्य जिनमें से कम से कम दो प्राचार्य उन संघटक महाविद्यालयों में से होंगे जो राज्य सरकार के न हो, ये तीन प्राचार्य कुलाधिपति द्वारा ज्येष्ठता के अनुसार बारी-बारी से नामनिर्दिष्ट किये जायंगे;

[(तेरह) सम्बद्ध महाविद्यालयों के पांच प्राचार्य जिनमें से दो से अनधिक प्राचार्य उन सम्बद्ध महाविद्यालयों में से होंगे जो राज्य सरकार के न हों, ये पांच प्राचार्य कुलाधिपति द्वारा ज्येष्ठता के अनुसार बारी-बारी से नामनिर्देशित किये जायंगे;]

(तेरह) सम्बद्ध महाविद्यालयों के दो प्राचार्य जिनमें से एक प्राचार्य उन सम्बद्ध महाविद्यालयों में से होगा जो राज्य सरकार के न हो, ये दो प्राचार्य कुलाधिपति द्वारा ज्येष्ठता के अनुसार बारी-बारी से नामनिर्देशित किये जायंगे.

(चौदह) विश्वविद्यालय के विभागाध्यक्ष या [अध्ययन शालाओं] प्राध्ययन केन्द्रों के प्राचार्य/संचालक, जो सब मिलकर [दस] तीन रखे जायंगे और जो कुलाधिपति द्वारा ज्येष्ठता के अनुसार बारी-बारी से नामनिर्देशित किये जायंगे;

[(पन्द्रह) विश्वविद्यालय या महाविद्यालय के प्राध्यापकों से भिन्न पांच अध्यापक जिनमें से अधिक से अधिक दो अध्यापक उन महाविद्यालयों में से होंगे जो राज्य सरकार के न हों, ये पांच अध्यापक कुलाधिपति द्वारा नाम निर्देशित किये जायंगे.]

(पन्द्रह) विश्वविद्यालय या किसी महाविद्यालय के आचार्यों से भिन्न छः अध्यापक जिनमें से अधिक से अधिक तीन अध्यापक उन महाविद्यालयों में से होंगे जो राज्य सरकार के न हो, ये छः अध्यापक सभा द्वारा एकल संक्रमणीय मत द्वारा सहयोजित किये जायंगे;

समूह—ग

(सोलह) [पांच] पन्द्रह प्रतिनिधि जो विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रीकृत स्नातकों द्वारा अपने में से ऐसे ढंग के अनुसार निर्वाचित किये जायंगे जैसा कि अध्यादेशों द्वारा विहित किया जाय;

(सत्रह) [पांच] एक लाख रुपये या अधिक संदान करने वाला प्रत्येक दाता;

[(अठारह) उद्योग, श्रम, कृषि तथा वाणिज्य का और कला का, जिसके अन्तर्गत विद्या-वृत्तियां आती हैं, प्रतिनिधित्व करने वाले अधिक से अधिक पांच व्यक्ति जो परिदर्शक द्वारा नाम निर्देशित किये जायेंगे;].

(अठारह) विदत वृत्तियों को सम्मिलित करते हुए उद्योग, श्रम, कृषि, वाणिज्य तथा कला का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिक से अधिक पांच व्यक्ति जो सभा द्वारा एकल संक्रमणीय मत द्वारा सहयोजित किये जायंगे.

[(उन्नीस) कार्यपालिका परिषद् द्वारा विश्वविद्यालय के बाहर से नाम निर्देशित किये गये पांच व्यक्ति, जो शिक्षा देने या वैज्ञानिक गवेषणा का संचालन करने या कला का सृजन करने से संबंधित हों या विद्वज्जन हों;]

(उन्नीस) विद्यार्थियों के दो प्रतिनिधि, जो विश्वविद्यालय की स्नातकोत्तर कक्षाओं के विद्यार्थियों में से ऐसी रीति में तथा ऐसे ढंग के अनुसार जैसा कि अध्यादेश में विहित किया जाय, निर्वाचित किये जायंगे;

[(बीस) परिदर्शक के पांच नामनिर्दिष्ट व्यक्ति जिनमें ऐसे व्यक्ति सम्मिलित होंगे जो राज्य या संघ में प्रख्यात हों;]

(बीस) राज्य विधान सभा के पांच प्रतिनिधि जो विधान सभा द्वारा निर्वाचित किये जायंगे;

(इक्कीस) राज्य सरकार के पांच नामनिर्दिष्ट व्यक्ति;

(बाईस) [कार्यपालिका परिषद्] कार्य परिषद् के समस्त ऐसे सदस्य, जो उपर्युक्त क तथा ख समूहों के अधीन किसी भी हैसियत में सभा के सदस्य न बने हों;

स्पष्टीकरण.—(एक) कोई भी व्यक्ति एक से अधिक पद (आयटम) के अधीन सभा का सदस्य होने के लिये पात्र नहीं होगा; और

(दो) राज्य के भीतर के किसी भी विश्वविद्यालय या किसी भी महाविद्यालय का कोई भी वैतनिक कर्मचारी समूह ग के अधीन सदस्य होने के लिये पात्र नहीं होगा.

(२) उपधारा (१) के समूह ख तथा ग के अधीन यथास्थिति नामनिर्देशित या निर्वाचित सदस्यों की पदावधि का पर्यवसान सभा की अवधि, जो [पांच] तीन वर्ष की होगी, के पर्यवसान के साथ होगा[.]:

परन्तु विधान सभा का प्रतिनिधित्व करने वाला सदस्य, विधान सभा का विघटन हो जाने पर भी अपने उत्तराधिकारी के निर्वाचित हो जाने तक पद पर बना रहेगा;

परन्तु यह और भी कि यदि ऐसा सदस्य नई विधान सभा के लिये निर्वाचित नहीं किया जाता है, तो वह निर्वाचन का परिणाम घोषित होने की तारीख से अपने पद पर नहीं रह जायगा.

(३) उपधारा (१) के पद (सत्रह) में विनिर्दिष्ट किया गया प्रत्येक दाता सभा का आजीवन सदस्य रहेगा :

परन्तु जहां ऐसा दाता अविभक्त हिन्दू कुटुम्ब, न्यास, फर्म, कंपनी या निगमित निकाय हो, वहां वह, सभा की सदस्यता के प्रयोजनों के लिये, उस तारीख से, जिसको कि विश्वविद्यालय द्वारा दान प्रतिग्रहीत किया जाय, पन्द्रह वर्ष की कालावधि का अवसान होने पर दाता नहीं रहेगा और पूर्वोक्त कालावधि के दौरान, वह प्रतिनिधि, जो ऐसे दाता द्वारा समय-समय पर नामनिर्देशित किया जाय, दाता समझा जायगा.

सभा के सम्मिलन. [२४. सभा का सम्मिलन एक कलेण्डर वर्ष में कम से कम एक बार तथा ऐसे अन्तरालों पर, जो कि परिनियमों द्वारा विहित किये जायं, होगा.]

सभा के सम्मिलन. २४. सभा का सम्मिलन एक कलेण्डर वर्ष में कम से कम दो बार जनवरी तथा अक्टूबर में होगा तथा ऐसे अन्तरालों पर हो सकेगा जो कि परिनियमों द्वारा विहित किये जायं.

सभा की शक्तियां तथा उसके कर्त्तव्य. २५. <u>(१) सभा विश्वविद्यालय का उच्चतम प्राधिकारी होगी.</u>

(२) इस अधिनियम के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, सभा निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग करेगी और निम्नलिखत कर्त्तव्यों का पालन करेगी, अर्थात्:—

(क) विश्वविद्यालय से संबंधित समस्त विषयों के संबंध में परामर्शी निकाय के रूप में कार्य करना;

(ख) वार्षिक रिपोर्टों, वार्षिक लेखाओं तथा वित्तीय प्राक्कलनों पर विचार करना और उन पर संकल्प पारित करना;

[(ग) विश्वविद्यालय की कार्यपालिका परिषद्, विद्या-परिषद् तथा अन्य प्राधिकारियों के कार्यों का पुनर्विलोकन करना और ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना तथा ऐसे अन्य कर्त्तव्यों का पालन करना जो कि इस अधिनियम तथा परिनियमों द्वारा उसे प्रदत्त की जाय या उस पर अधिरोपित किये जायं]

(ग) विश्वविद्यालय की कार्य परिषद्, विद्या-परिषद् तथा अन्य प्राधिकारियों के कार्यों का पुनर्विलोकन करना; और

(घ) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना तथा ऐसे अन्य कर्त्तव्यों का पालन करना जो कि इस अधिनियम तथा परिनियमों द्वारा सभा को प्रदत्त की जाय या उस पर अधिरोपित किये जाये.

२५. (१) विश्वविद्यालय की कार्य पालक प्राधिकारी होगी और उसमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात् :— [कार्यपालिका परिषद् कार्य परिषद्

(एक) कुलपति;

[(दो) विश्वविद्यालय का प्राचार्य (रेक्टर)]

[(तीन) संकायों के चार अधिष्ठाता, जो विश्वविद्यालय के पूर्णकालिक अध्यापक हों और जो कुलाधिपति द्वारा ज्येष्ठता के अनुसार बारी-बारी से नामनिर्देशित किये गये हों;]

(तीन) संकायों के चार संकायाध्यक्ष जो पूर्णकालिक अध्यापक हों, जिनमें से दो संकायाध्यक्ष विज्ञान, इंजीनियरी तथा चिकित्सा शास्त्र (मेडीसन) संबंधी संकायों में से होंगे और शेष संकाया-ध्यक्ष अन्य बचे हुए संकायों में से होंगे, ये चार संकायाध्यक्ष कुलाधिपति द्वारा ज्येष्ठता के अनुसार बारी-बारी से नाम निर्देशित किये हुए होंगे;

[(चार) संघटक महाविद्यालयों के दो प्राचार्य जो कुलाधिपति द्वारा ज्येष्ठता के अनुसार बारी-बारी से नामनिर्देशित किये जायेंगे;

(पांच) सभा द्वारा अपने सदस्यों में से निर्वाचित किये गये दो व्यक्ति जिनमें से कम से कम एक ऐसा अध्यापक होगा जो विश्व-विद्यालय के ध्यापन विभाग में के या विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालय में के प्राध्यापक के पद से निम्न पद का न हो:

परन्तु प्रथम परिषद् के संघटन के समय उनके स्थान कुलाधिपति द्वारा नाम निर्देशित किये गये व्यक्तियों द्वारा भरे जायंगे.]

(चार) संघटक महाविद्यालयों के दो प्राचार्य जिनमें से एक प्राचार्य उन संघटक महाविद्यालयों में से होगा जो राज्य सरकार के हों और दूसरा प्राचार्य उन संघटक महाविद्यालयों में से होगा जो राज्य सरकार के न हों, ये दो प्राचार्य कुलाधिपति द्वारा ज्येष्ठता के अनुसार बारी-बारी से नाम निर्देशित किये जायेंगे;

(पांच) सभा द्वारा अपने सदस्यों में से एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित किये गये चार व्यक्ति जिनमें से कम से कम दो व्यक्ति धारा २३ की उपधारा (१) के खण्ड (सोलह) के अधीन सभा के लिये निर्वाचित किये गये रजिस्ट्रीकृत स्नातकों में से होंगे:

परन्तु प्रथम परिषद् के संघटन के समय उनके स्थान कुलाधिपति द्वारा नाम निर्देशित किये गये व्यक्तियों द्वारा भरे जायेंगे.

(छः) सचिव, मध्यप्रदेश शासन, शिक्षा विभाग या उसका नामनिर्दिष्ट व्यक्ति जो शासन के उपसचिव या महाविद्यालय शिक्षा के संयुक्त संचालक के पद से निम्न पद का न हो;

[(सात) ऐसे दो व्यक्ति जो परिदर्शक द्वारा शिक्षणविदों या शैक्षिक प्रशासकों में से नाम निर्देशित किये गये हों और जो धारा १ में विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार विश्वविद्यालय से संशक्त न हों;]

[(आठ) ऐसे दो व्यक्ति जो कुलाधिपति द्वारा नामनिर्देशित किये गये हों;]

(आठ) ऐसे दो व्यक्ति जो कुलाधिपति द्वारा विधान सभा के उन सदस्यों में से, जो कि सभा के सदस्य हों, नामनिर्देशित किये गये हों.

[(नौ) ऐसे दो व्यक्ति जो राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित किये गय हों.]

(नौ) ऐसा एक व्यक्ति जो राज्य सरकार द्वारा नाम निर्देशित किया गया हो.

[(२) पद (तीन), (चार), (पांच), (सात), (आठ) तथा (नौ) के अन्तर्गत आने वाले सदस्यों की पदावधि ऐसी होगी जैसी कि परिनियमों द्वारा विहित की जाय.]

(२) कार्यपरिषद् के पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्यों की पदावधि उस सभा की अवधि के साथ समाप्त होगी जिसकी कि विद्यमानता के दौरान उन सदस्यों ने वह पद ग्रहण किया हो.

[कार्यपालिका परिषद] कार्य परिषद् की शक्तियां तथा कर्त्तव्य

२७. (१) ऐसी शर्तों के, जो इस अधिनियम के उपबन्धों द्वारा या उनके अधीन विहित की जायं, अध्यधीन रहते हुए [कार्यपालिका परिषद्] कार्य परिषद को या निम्नलिखित शक्तियां होंगी और वह निम्नलिखित कर्त्तव्यों का पालन करेगी, अर्थात् :—

(एक) विश्वविद्यालय की संपत्ति तथा निधियों को धारण करना, उन पर नियंत्रण रखना तथा उनका प्रबन्ध करना;

(दो) इस अधिनियम तथा परिनियमों द्वारा उसे दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा उसे सौंपे गये कर्त्तव्यों का पालन करते हुए, विश्वविद्यालय की ओर से संविदाएं करना, उनमें फेरफार करना उन्हें कार्यान्वित करना तथा उन्हें रद्द करना;

(तीन) विश्वविद्यालय की सामान्य मुद्रा का रूप अवधारित करना उसकी अभिरक्षा की व्यवस्था करना तथा उसके उपयोग को विनियमित करना;

(चार) विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिये विश्वविद्यालय के अधिकार में रखी निधियों का प्रबन्ध करना;

(पांच) वित्त समिति द्वारा उसको भेजे गये विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखाओं तथा वार्षिक वित्तीय प्राक्कलनों की, उन सीमाओं के अध्यधीन रहते हुए, जो कि वित्त समिति द्वारा धारा ३८ की उपधारा (६) के अधीन निर्धारित की जाय [सूक्ष्म जांच] संवीक्षा करना और उन्हें सभा की ओर भेजना;

(छः) धारा २३ की उपधारा (२) के खण्ड (आठ) के अध्यधीन रहते हुए वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी समय—

(क) बजट अनुदान की रकम कम करना;

(ख) बजट अनुदान के भीतर की किसी रकम के, एक उपशीर्ष से किसी अन्य उपशीर्ष को या किसी एक उपशीर्ष के अन्तर्गत आने वाले किसी अधीनस्थ शीर्ष से किसी अन्य उपशीर्ष के अन्तर्गत आनेवाले किसी अधीनस्थ शीर्ष को अन्तरित किये जाने की मंजूरी देना ; या

(ग) किसी उपशीर्ष के भीतर की पांच हजार से अनधिक किसी रकम के, एक अधीनस्थ शीर्ष से किसी अन्य अधीनस्थ शीर्ष को या एक प्रधान इकाई से दूसरी प्रधान इकाई को अन्तरित किये जाने की मंजूरी देना;

(सात) समस्त महाविद्यालयों तथा छात्रावासों की वित्तीय अपेक्षाओं का पूर्ण विवरण प्रतिवर्ष राज्य सरकार के समक्ष रखना;

[(आठ) राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी से और इस अधिनियम एवं परिनियमों के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए महाविद्यालयों को विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार देना.]

(आठ) राज्य सरकार की पूर्व सहमति से और इस अधिनियम एव परिनियमों के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, महाविद्यालयों को विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार देना.

(नौ) विश्वविद्यालय का कार्य चलाने के लिये आवश्यक भवनों, परिसरों उपस्कर उपकरणों (एपरेटस), पुस्तकों तथा अन्य साधनों की व्यवस्था करना;

(दस) विश्वविद्यालय के पक्ष में न्यासों वसीयतों (विक्वेस्ट्स) दोनों और किसी जंगम या स्थावर संपत्ति के अन्तरणों का विश्व-विद्यालय की ओर से प्रतिग्रहीत करना.

(ग्यारह) विश्वविद्यालय के वित्त लेखाओं तथा विनिधानों का प्रबन्ध करना और उनका विनियमन करना;

(बारह) परिनियमों के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, विश्वविद्यालय की ओर से किसी जंगम या स्थावर संपत्ति को अन्तरित करना;

(तेरह) निम्नलिखित को संस्थित करना :—

[(क) मुद्रण तथा प्रकाशन विभाग.]

(क) मुद्रण, प्रकाशन तथा अनुवाद ब्यूरा.

(ख) सूचना ब्यूरो;

(ग) नियोजन ब्यूरो; और

[(घ) हिन्दी प्रकाशन तथा अनुवाद ब्यूरो;]

(चौदह) निम्नलिखित के लिये व्यवस्था करना :—

(क) (एक) [विश्वविद्यालय के बाहर का] बहिर्वर्ती (एक्स्ट्राम्युरल) अध्यापन तथा गवेषणा; और

(दो) विश्वविद्यालय विस्तार संबंधी क्रियाकलाप;

(ख) अनिवार्य शारीरिक तथा सैन्य प्रशिक्षण;

(ग) विद्यार्थी संघ;

(घ) खेलों तथा व्यायाम संबंधी क्रिया-कलाप; और

(ङ) विद्यार्थी-कल्याण;

(पन्द्रह) विद्या-परिषद् की समस्त प्रस्थापनाओं की, बजट को; ढांचे के भीतर उनकी कार्यान्वित की दृष्टि से सूक्ष्म जांच करना;

(सोलह) ऐसे [प्राध्यापक] आचार्य पदों [प्रवाचक] उपाचार्य पदों सहायक प्राध्यापक पदों, [व्याख्याता] प्राध्यापक पदों या अन्य अध्यापन पदों को जिनकी कि विद्या परिषद् द्वारा प्रस्थापना की जाय संस्थित करना :

परन्तु कोई भी अध्यापन पद राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना संस्थित नहीं किया जायगा.

(सत्रह) विद्या-परिषद् से संबंधित रिपोर्ट प्राप्त होने पर विश्वविद्यालय के किन्हीं [प्राध्यापक] आचार्य पदों, [प्रवाचक] उपाचार्य पदों/ सहायक [प्राध्यापक] आचार्य पदों [व्याख्याता] प्राध्यापक पदों या अन्य अध्यापन पदों को समाप्त करना या निलंबित करना;

(अठारह) विश्वविद्यालय द्वारा संधारित महाविद्यालयों, विभागों गवेषणा या विशेषित अध्ययनों की संस्थाओं, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों, संग्रहालयों तथा छात्रावासों का प्रबन्ध करना;

(उन्नीस) छात्रावासों को मान्यता देना और विश्वविद्यालय के ऐसे अध्यापकों के लिये, जिन्हें कि विश्वविद्यालय द्वारा, वेतन दिया जाता हो, आवास-स्थान की व्यवस्था करना;

(बीस) संबंद्ध महाविद्यालयों, मान्यता प्राप्त संस्थाओं तथा छात्रावासों के निरीक्षणों का इन्तजाम करना तथा उनके निरीक्षण के लिये निदेश देना तथा उनकी दक्षता बनाये रखने तथा उनके कर्मचारी

वृन्द के सदस्यों के लिये नियोजन की उचित शर्तों को तथा पर्याप्त वेतनों के संदाय को सुनिश्चित करने के लिये अनुदेश जारी करना और ऐसे अनुदेशों की अवहेलना की जाने की दशा में संबद्ध करने या मान्यता देने की शर्तों में उपान्तरण करने या ऐसे अन्य उपाय करने की, जिन्हें कि वह उस संबंध में आवश्यक तथा उचित समझे, सभा से सिफारिश करना;

(इक्कीस) एक महाविद्यालय संहिता, उसमें शासकीय महाविद्यालयों से भिन्न महाविद्यालयों को संबद्ध किये जाने संबंधी निबन्धन तथा शर्तें, अधिकथित करते हुये तैयार करना;

(बाईस) सम्बद्ध महाविद्यालयों, मान्यता प्राप्त संस्थाओं, या छात्रावासों से रिपोर्ट, विवरणियां तथा अन्य जानकारी मंगवाना;

(तेईस) विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के प्रवेश, आचरण तथा अनुशासन का पर्यवेक्षण करना तथा नियंत्रण करना और उनके स्वास्थ्य तथा सामान्य कल्याण में अभिवृद्धि करने के लिये इन्तजाम करना;

(चौबीस) परिनियमों द्वारा विहित की गई रीति में, [मानोपाधियां] सम्मानिक उपाधियां तथा विद्या संबंधी विशिष्टतायें, प्रदान करने की [परिदर्शक] कुलाधिपति से सिफारिश करना·

(पच्चीस) [अधिछात्र वृत्तियां] अध्येतावृत्तियां, छात्र वृत्तियां [विद्यावृत्तियां] अध्ययन वृत्तियां, छात्र सहायता वृत्तियां, पदक तथा पारितोषिक प्रदान करना;

(छब्बीस) इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, विश्वविद्यालय के [आफिसरों] अधिकारियों (जो कुलपति [तथा विश्वविद्यालय, के प्राचार्य (रेक्टर)] से भिन्न हों), अध्यापकों तथा अन्य सेवकों की नियुक्ति करना, उनके कर्तव्य और उनकी सेवा शर्तें परिनिश्चित करना और उनके पदों में होने वाली अस्थायी रिक्तियों को भरने की व्यवस्था करना;

(सत्ताईस) किसी संबंद्ध महाविद्यालय या मान्यता प्राप्त संस्था के, कर्मचारी वृन्द के सदस्य को विश्वविद्यालय के अध्यापक के रूप में मान्यता देना और ऐसी मान्यता का प्रत्याहरण करना;

(अट्ठाईस) परीक्षकों का पारिश्रमिक नियत करना और विश्वविद्यालय की परीक्षाओं, तथा अन्य जांचों (टेस्ट्स) के संचालन का तथा उनके परिणामों को प्रकाशित करने का इंतजाम करना;

(उन्तीस) ऐसी फीस तथा अन्य प्रभार, जो अध्यादेशों द्वारा विहित किये जायें/की जायं, नियत करना, उनकी मांग करना, और उन्हें प्राप्त करना;

(तीस) अध्यादेश बनाना, उनमें संशोधन करना और उन्हें रद्द करना;

(इकतीस) विद्यापरिषद् द्वारा विरचित नियमों को प्रतिग्रहीत करना अस्वीकर करना, या विद्यापरिषद् की ओर विचारार्थ वापस करना किंतु उनमें संशोधन न करना.

(बत्तीस) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना और, और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करना. जैसे कि इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन, उसे प्रदत्त की जायें या उस पर अधिरोपित किये जायें.

(तेंतीस) अपनी कोई भी शक्तियां विश्वविद्यालय के कुलपति [विश्वविद्यालय के प्राचार्य (रेक्टर)], विश्वविद्यालय के कुल-सचिव या विश्वविद्यालय के ऐसे अन्य [आफीसर] अधिकारी को या उसके (विश्वविद्यालय के) द्वारा नियुक्त की गई किसी समिति को, जिसे कि वह उचित समझे, विनियमों द्वारा प्रत्यायोजित करना.

[कार्यपालिका परिषद्] कार्य परिषद्, उपधारा (१) के खंड (दस) तथा (बारह) में निर्दिष्ट की गई संपत्ति के समस्त प्रतिग्रहणों या अन्तरणों के संबंध में सभा को रिपोर्ट करेगी.

[कार्यपालिका परिषद्] कार्य परिषद, कुलाधिपति की पूर्व मंजूरी के बिना किसी भी स्थावर संपत्ति का अन्तरण नहीं करेगी या उसके अन्तरण प्रतिग्रहीत नहीं करेगी.

२८. (१) विद्या-परिषद्, विश्वविद्यालय की विद्या संबंधी निकाय होगी, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:--

(एक) कुलपति.

[(दो) विश्वविद्यालय का प्राचार्य (रेक्टर)],

(तीन) संचालक, महाविद्यालयीन शिक्षा, मध्य प्रदेश कि उसका नाम निर्दिष्ट व्यक्ति, जो शासन के उपसचिव, या महाविद्यालयीन शिक्षा के संयुक्त संचालक के पद से निम्न पद का न हो.

(तीन-क) संचालक, तकनीकी शिक्षा या उसका नाम निर्दिष्ट व्यक्ति जो तकनीकी शिक्षा के संयुक्त संचालक के पद से निम्न पद का न हो;

(चार) सभापति, मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल,

(पांच) संकायों के [अधिष्ठाता] संकायाध्यक्ष,

(छः) अध्ययन बोर्डों के सभापति;

(सात) विश्वविद्यालय के [प्राध्यापक] आचार्य, जो ऊपर के पद (पांच) तथा (छः) के अन्तर्गत आने वाले व्यक्तियों से भिन्न हों ;

(आठ) महाविद्यालयों के प्राचार्य तथा [अध्ययन शालाओं] प्राध्ययन केंद्रों के संचालक प्राचार्य, जो ऊपर के पद, (पांच) (छः) तथा (सात) के अन्तर्गत आनेवाले व्यक्तियों से भिन्न हों;

(नौ) विश्वविद्यालय के पांच अध्यापक, जो पूर्व वर्णित पदों में से किसी भी पद के अन्तर्गत न आते हों, और जो कुलपति के परामर्श से, कुलाधिपति द्वारा नियुक्त किये जायेंगे;

(दस) विश्वविद्यालय या किसी महाविद्यालय के कर्मचारियों से इतर चार व्यक्ति, जो विश्वविद्यालय द्वारा मान्य विषयों में अपने विशेष ज्ञान के कारण विद्या-परिषद द्वारा सहयोजित किये गये हों;

(ग्यारह) ऐसे दो व्यक्ति जो सभा द्वारा अपने सदस्यों में से एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित किये गये हों;

(बारह) ऐसे दो व्यक्ति जो कार्य परिषद् द्वारा अपने सदस्यों में एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित किये गये हों.

(२) विद्या परिषद् की कुल सदस्य संख्या की, जो कि परिनियमों द्वारा विहित की जाये, कम से कम एक तिहाई संख्या से गण पूर्ति होगी.

(३) विद्या परिषद् को किसी ऐसे विशिष्ट काम काज की, जो कि परिषद् के समक्ष विचारार्थ आवे, विषय वस्तु का विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले दो व्यक्तियों को सदस्य के रूप में सहयोजित करने की शक्ति होगी. इस प्रकार सहयोजित किये गये सदस्यों को, ऐसे कामकाज के, जिसके कि संबंध में व सहयोजित किये जायं, संपादन के बारे में परिषद् के सदस्यों के समस्त अधिकार होंगे.

[(४) विद्या-परिषद् के समस्त सदस्य, जो पदेन सदस्यों द्वारा तथा उपधारा (३) में निर्दिष्ट किये गये सदस्यों से भिन्न हों, तीन वर्ष की अवधि के लिये पद धारण करेंगे]

(४) विद्या परिषद् के पदेन सदस्यों से भिन्न समस्त सदस्यों की तथा उपधारा (३) में निर्दिष्ट किये गये सदस्यों की पदावधि उस सभा की अवधि के साथ समाप्त होगी जिसकी कि विद्यमानता के दौरान उन सदस्यों ने वह पद ग्रहण किया हो.

विद्या परिषद् की शक्तियां तथा कर्तव्य.

२६. (१) विद्या-परिषद् को विश्वविद्यालय में किये जाने वाले अध्यापन, की जाने वाली गवेषणा और ली जानेवाली परीक्षाओं का नियंत्रण करने की तथा उनका सामान्य विनियमन करने की शक्ति होगी और वह उनका स्तर बनाये रखने के लिये उत्तरदायी होगी.

(२) पूर्वगामी उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना और इस अधिनियम के अन्य उपबन्धों के तथा ऐसी शर्तों के, जो इस अधिनियम के अधीन, परिनियमों या अध्यादेशों द्वारा विहित की जायं, अध्यधीन रहते हुये, विद्या-परिषद् निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग करेगी तथा निम्नलिखित कर्तव्यों का पालन करेगी अर्थात:—

(एक) संबंधित अध्ययन बोर्डों के परामर्श से, पाठ्यक्रम निर्धारित करते हुये विनियम बनाना;

(दो) संकायों को विषय आवंटित करने के लिये प्रस्थापना करना और अधिसदस्यों (फैलोज) को तथा उनके अपने सदस्यों को संकायों के लिये नियत करना;

(तीन) विभागों, गवेषणा और विशेषित अध्ययन संस्थाओं, पुस्तकालयों/प्रयोगशालाओं तथा संग्रहालयों की स्थापना के लिये प्रस्थापना करना;

(चार) विश्वविद्यालय द्वारा अपेक्षित [प्राध्यापक] आचार्य पदों, [प्रवाचक] उपाचार्य पदों, सहायक [प्राध्यापक] आचार्य पदों, [व्याख्याता पदों] प्राध्यापक तथा अध्यापकों के अन्य पदों को संस्थित करने के लिये और ऐसे पदों के कर्तव्यों को विहित करने तथा उनकी उपलब्धियां नियत करने के लिये प्रस्थापना करना;

(पांच) [अधिछात्रवृत्तियों] अध्येतावृत्तियों, छात्रवृतियों [विद्या वृत्तियों] अध्ययनवृत्तियों, छात्रसहायता वृत्तियों, पदक तथा पारितोषकों को संस्थित करने के लिये प्रस्थापना करना और उनके प्रदाय किये जाने के लिये विनियम बनाना;

(छः) परीक्षाओं की समतुल्यता विहित करते हुये, विद्या संबंधी श्रेष्ठता बनाये रखने के लिये तथा [अध्ययन] पाठ्यक्रमों के स्तर को सुनिश्चित करने के लिये विनियम बनाना.

(सात) व्यक्तियों को विश्वविद्यालय के अध्यापकों के रूप में मान्यता देने के लिये अर्हतायें विहित करना तथा ऐसी मान्यता प्रदान करना;

(आठ) साधारणतः विद्या संबंधी समस्त विषयों पर [कार्य पालिका परिषद] कार्य परिषद को सलाह देना; और

(नौ) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना तथा ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करना जो इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उसे प्रदत्त किये जायं या उस पर अधिरोपित किये जाये;

विद्या परिषद की स्थायी समिति

३० (१) विद्या-परिषद की स्थायी समिति, विद्या परिषद् की कार्यपालिका निकाय होगी और उसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे:—

(एक) कुलपति;

(दो) संकायों के [अधिष्ठिता] संकायाध्यक्ष;

(तीन) नीचे दिये गये अनुसार, महाविद्यालयों के चार प्राचार्य;

(क) संघटक महाविद्यालय का एक प्राचार्य जो कुलपति द्वारा ज्येष्ठता के अनुसार बारी-बारी से नामनिर्देशित किया जायगा;

(ख) महिला महाविद्यालय का एक प्राचार्य, जो कुलपति द्वारा ज्येष्ठता के अनुसार बारी-बारी से नामनिर्देशित किया जायेगा;

(ग) ऐसे संबद्ध महाविद्यालय का जो कि राज्य सरकार या विश्वविद्यालय का न हो, एक प्राचार्य जो कुलपति द्वारा ज्येष्ठता के अनुसार बारी-बारी से नामनिर्देशित किया जायगा;

(घ) ऊपर के खंड (क) (ख) तथा (ग) के अन्तर्गत महाविद्यालयों से भिन्न किसी महाविद्यालय का एक प्राचार्य, जो कुलपति द्वारा ज्येष्ठता के अनुसार बारी-बारी से नामनिर्देशित किया जायगा.

(२) कोई भी व्यक्ति उपधारा (१) के एक से अधिक खंड या उपखंड के अधीन, स्थायी समिति का सदस्य नियुक्त किये जाने का पात्र नहीं होगा.

(३) स्थायी समिति विद्या-परिषद के सामान्य नियंत्रण के अध्यधीन रहते हुये विद्यापरिषद की धारा २६ में विनिर्दिष्ट किये गये ऐसे समस्त कृत्यों का निर्वहन करेगी जो विद्या-परिषद् द्वारा समय-समय पर उसे सौंपे जायं.

३१. (१) विश्वविद्यालय में निम्नलिखित समस्त या उनमें से कोई भी संकाय होंगे, अर्थात:-- **संकाय.**

(एक) कला;

(दो) समाज विज्ञान ;

(तीन) विज्ञान;

(चार) विधि;

(पांच) शिक्षा;

(छः) इंजीनियरी;

(सात) चिकित्सा शास्त्र (मेडीसीन)

(आठ) आयुर्वेद;

(नौ) गृह-विज्ञान;

(दस) वाणिज्य;

(ग्यारह) शारीरिक शिक्षा;

[(बारह) संगीत एवं ललित कलायें;]

[(बारह) संगीत, नृत्य, नाटक, रंग चित्रकारी (पेंटिंग) तथा मूर्तिकला;

(तेरह) इंडोलाजी;

(चौदह) प्रोद्योगिकी;]

[(चौदह-क) सैन्य विज्ञान. (मिलिटरी साईन्स)

(पन्द्रह) ऐसे अन्य संकाय जो परिनियमों द्वारा विहित किये जायं :

परन्तु वे विश्वविद्यालय, जिनको धारा ८ की उपधारा (२) का परन्तुक लागू होता हो, संगीत तथा ललित कलाओं का संकाय नहीं खोलेंगे.

(२) प्रत्येक संकाय में ऐसे सदस्य होंगे और उसे ऐसी शक्तियां होंगी, जैसा कि परिनियमों द्वारा विहित किया जाय.

(३) प्रत्येक संकाय में ऐसे विषय होंगे जो कि उसे अध्यादेशों द्वारा सौंपे जायं.

(४) प्रत्येक संकाय का एक [अधिष्ठाता] संकायाध्यक्ष होगा जो कुलाधिपति द्वारा दो वर्ष की कालावधि के लिये निम्नानुसार नियुक्त किया जायगा, अर्थात्:—

(क) जहां संकाय को सौंपे गये विषयों के अध्यापकों में, विश्वविद्यालयीन अध्यापन विभागों या [अध्ययनशालाओं के प्राध्यापक] प्राध्ययन केन्द्रों के आचार्य हों, वहां ज्येष्ठता के अनुसार बारी बारी से प्रत्येक ऐसा [प्राध्यापक] आचार्य;

(ख) जहां संकाय को सौंपे गये विषयों के अध्यापकों में, विश्वविद्यालयीन अध्यापन विभागों या [अध्ययन शालाओं] प्राध्ययन केन्द्रों का केवल एक [प्राध्यापक] आचार्य हो, वहां प्रथमतः ऐसा [प्राध्यापक] आचार्य और बाद में विश्वविद्यालय से संबद्ध किसी संघटक महाविद्यालय में का प्रत्येक महाविद्यालय [प्राध्यापक] आचार्य जो संकाय को सौंपे गये किसी विषय का अध्यापन करता हो और जो महाविद्यालय में ऐसे विषय का विभागाध्यक्ष हो, ज्येष्ठता के अनुसार बारी-बारी से;

(ग) जहां संकाय को सौंपे गये विषयों के अध्यापकों में, विश्वविद्यालीन अध्यापन विभागों या [अध्ययनशालाओं] प्राध्ययन केन्द्रों या यथापूर्वोक्त किसी संघटक महाविद्यालय का कोई [प्राध्यापक] आचार्य न हो, वहां विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालय का ऐसा प्रत्येक अध्यापक, जो संकाय को सौंपे गये किसी विषय का अध्यापन करता हो, ज्येष्ठता के अनुसार बारी-बारी से;

(घ) जहां संकाय को सौंपे गये विषयों के अध्यापकों में, विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालयों का एक ही अध्यापक हो वहां प्रथमतः ऐसा अध्यापक और बाद में, विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालय में का ऐसा प्रत्येक प्राचार्य जो संकाय को सौंपे गये विषयों में से किसी एक विषय का अध्यापन करता हो, ज्येष्ठता के अनुसार बारी-बारी से;

(ङ) जहां संकाय को सौंपे गये विषयों के अध्यापकों में [व्याख्याता] प्राध्यापक के पद से उच्च पद का कोई अध्यापक न हों, वहां विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालय का प्रत्येक प्राचार्य जो संकाय को सौंपे गये विषयों में से किसी एक विषय का अध्यापन करता हो ज्येष्ठता के अनुसार बारी-बारी से.

३२. (१) प्रत्येक संकाय में ऐसे अध्ययन विभाग होंगे जैसे कि अध्यादेशों द्वारा विहित किये जायं. अध्ययन विभाग

[(२) किसी भी ऐसे विभाग का अध्यक्ष--

(एक) उस विभाग में का विश्वविद्यालयीन प्राध्यापक होगा यदि उस विभाग में एक से अधिक विश्वविद्यालयीन प्राध्यापक हों, तो उनमें से एक होगा जो कुलपति द्वारा नामनिर्देशित किया जायगा.

(दो) जहां विभाग में कोई विश्वविद्यालयीन प्राध्यापक न हो, वहां विश्वविद्यालय (जिसके अन्तर्गत संघटक या संबद्ध महाविद्यालय आते हैं) के उस विषय या उन विषयों के जो उस विभाग में सम्मिलित किया गया हो/किये गये हों, अध्यापकों में से एक ऐसा अध्यापक होगा जो प्राध्यापक पद से निम्न पद का न हो और जो कुलपति द्वारा नामनिर्देशित किया जायगा:

परन्तु इस प्रकार नामनिर्देशित किया गया व्यक्ति ऐसा अध्यापक होगा जो ऐसे विषय या विषयों में के सिवाय, जिनमें स्नातकोत्तर अध्यापन की सुविधाएं विश्वविद्यालय में या महाविद्यालयों में से किसी भी महाविद्यालय में विद्यमान न हों, स्नातकोत्तर स्तर तक का अध्यापन करता हो.]

(२) किसी भी ऐसे विभाग का अध्यक्ष विश्वविद्यालय (जिसके अन्तर्गत संघटक या संबंद्ध महाविद्यालय आते हैं) के उस विषय या उन विषयों के, जो उस विभाग में सम्मिलित किया गया हो/ किये गये हों, अध्यापकों में से एक ऐसा अध्यापक होगा जो आचार्य के पद से निम्न पद का न हो और जो कुलपति द्वारा ज्येष्ठता के अनुसार बारी-बारी से नामनिर्देशित किया गया हो.

परन्तु इस प्रकार नामनिर्देशित किया गया व्यक्ति ऐसा अध्यापक होगा जो ऐसे विषय या विषयों में के सिवाय जिनमें स्नातकोत्तर अध्यापन की सुविधाएं विश्वविद्यालय में या महाविद्यालयों में से किसी भी महाविद्यालय में विद्यमान न हों स्नातकोत्तर स्तर तक का अध्यापन करता हो.

(३) विभागाध्यक्ष की नियुक्ति के निबन्धन तथा शर्तें उसके कर्त्तव्य एवं कृत्य अध्यादेशों द्वारा विहित किये जायेंगे.

३३. ऐसे अन्य प्राधिकारियों के, जो कि परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकारी होना घोषित किये जायं, संघटन, उनकी शक्तियों तथा कर्त्तव्यों के लिये उपबन्ध परिनियमों द्वारा विहित की गई रीति में किये जायेंगे. विश्वविद्यालय [अधिकारी के अन्य प्राधिकारी.

पांचवां अध्याय—विश्वविद्यालय के बोर्ड

अध्यापक बोर्ड.

३४. (१) प्रत्येक ऐसे विषय के लिये, या विषयों के समूह के लिये जैसा कि परिनियमों द्वारा विहित किया जाय, एक अध्ययन बोर्ड होगा.

(२) प्रत्येक बोर्ड में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे:—

(एक) उन विषयों के, जिनके लिये बोर्ड का गठन किया गया हो, अध्ययन विभागों के विभागाध्यक्ष;

(दो) (क) महाविद्यालयों में के महाविद्यालयीन विभागों के दो विभागाध्यक्ष जो स्नातकोत्तर स्तर तक उक्त विषयों का अध्यापन करते हों, जो कुलपति द्वारा ज्येष्ठता के अनुसार बारी-बारी से नामनिर्देशित किये जायेंगे;

(ख) महाविद्यालयों में के महाविद्यालयीन विभागों के दो विभागाध्यक्ष जो उपाधि (डिग्री) स्तर तक उक्त विषयों का अध्यापन करते हों, जो कुलपति द्वारा ज्येष्ठता के अनुसार बारी-बारी से नामनिर्देशित किये जायेंगे;

[(ग) उक्त विषयों के अधिक से अधिक दो अध्यापक जो कुलपति द्वारा नाम निर्देशित किये जायंगे.]

(ग) उक्त विषयों के अधिक से अधिक दो अध्यापक जो कुलपति द्वारा ज्येष्ठता के अनुसार बारी-बारी से नामनिर्देशित किये जायेंगे.

(तीन) दो सदस्य बोर्ड द्वारा सहयोजित किये जायंगे जिनमें से एक उस विषय में या विषयों के समूह में, जिसक कि लिये बोर्ड गठित किया गया हो, विश्वविद्यालय से बाहर का कोई विशेषज्ञ होगा तथा एक सदस्य उस विषय या विषयों के समूह क मान्यता प्राप्त गवेषणा-संस्थान, यदि कोई हो, में से होगा.

(३) अध्ययन बोर्ड का अध्यक्ष, कुलपति द्वारा बोर्ड के सदस्यों में से जो [उपधारा (२) के खण्ड (एक) में निर्दिष्ट किये गये हैं, नामनिर्देशित किया जायगा.] उपधारा (२) के खण्ड (एक) तथा (दो) म निर्दिष्ट किये गये हैं, ज्येष्ठता के अनुसार बारी-बारी से नाम निर्देशित किया जायगा.

(३-क) अध्ययन बोर्ड की शक्तियां तथा कर्तव्य ऐसे होंगे जैसे कि परिनियमों द्वारा विहित किये जायं.

(४) अध्ययन बोर्ड की अवधि पांच वर्ष होगी.]

(४) अध्ययन बोर्ड की अवधि विद्या-परिषद् की अवधि के साथ समाप्त होगी

३५. (१) विश्वविद्यालय में ऐसे अन्य बोर्ड होंगे जो परिनियमों द्वारा विहित किये जायं. **गठित किये जाने वाले बोर्ड.**

(२) उपधारा (१) के अधीन गठित किये गये बोर्डों का संघठन, उनकी अवधि, शक्तियां तथा कर्तव्य वही होंगे जो परिनियमों द्वारा विहित किये जायं.

छटवां अध्याय---वित्त व्यवस्था

३६. (१) विश्वविद्यालय एक निधि स्थापित करेगा जो विश्वविद्यालय निधि कहलायेगी. **विश्वविद्यालय निधि.**

(२) निम्नलिखित विश्वविद्यालय निधि का भाग होंगे या उसमें संदत्त किये जायेंगे :—

(क) केन्द्रीय या राज्य सरकार या किसी निगमित निकाय द्वारा दिया गया कोई भाटक, अभिदाय या अनुदान;

(ख) न्यास, वसीयत, दान, विन्यास (एण्डाउमेन्ट्स) तथा अन्य अनुदान, यदि कोई हो;

(ग) समस्त स्त्रोतों से हुई विश्वविद्यालय की आय जिसके अन्तर्गत फीस तथा प्रभारों से प्राप्त आय आती है;

(घ) विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त की गई समस्त अन्य राशियां.

(३) विश्वविद्यालय-निधि [कार्यपालिका परिषद्] कार्य परिषद् के विवेकानुसार, रिजर्व बैंक आफ इन्डिया एक्ट, १९३४ (क्रमांक २ सन् १९३४) में यथा-परिभाषित किसी भी अनुसूचित बैंक में रखी जायगी या इंडियन ट्रस्ट्स एक्ट १८८२ (क्रमांक २ सन् १८८२) द्वारा प्राधिकृत प्रतिभूतियों में विनिहित की जायेगी.

(४) इस धारा की कोई भी बात किसी न्यास के प्रबन्ध के लिये विश्वविद्यालय द्वारा या उसकी ओर से निष्पादित किये गये न्यास की किसी भी घोषणा द्वारा विश्व-विद्यालय द्वारा प्रतिग्रहीत की गई या उस पर अधिरोपित की गई किसी बाध्यता पर किसी भी प्रकार से प्रभाव नहीं डालेगी.

३७. विश्वविद्यालय निधि का उपयोजन निम्नलिखित उद्देश्यों के लिये एवं निम्नलिखित क्रम से किया जायगा :— **उद्देश्य जिनके लिये विश्वविद्यालय निधि का उपयोजन किया जायगा.**

(क) इस अधिनियम तथा उसके अधीन बनाये गये परिनियमों, अध्यादेशों तथा विनियमों के प्रयोजनों के लिये विश्वविद्यालय द्वारा उपगत किये गये ऋणों के प्रतिसंदाय के लिये;

(ख) विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित किये गये महाविद्यालयों, विभागों निवास-स्थान तथा छात्रावासों के [संभारक्षण] अनुरक्षण के लिये;

(ग) विश्वविद्यालय-निधि की संपरीक्षा के खर्च के संदाय के लिये;

(घ) किन्हीं भी ऐसे वाद या कार्यवाहियों के, जिनमें कि विश्वविद्यालय एक पक्षकार हो, व्ययों के लिये;

(ङ) विश्वविद्यालय के [आफिसरों] अधिकारियों तथा सेवकों के और इस अधिनियम तथा उसके अधीन बनाये गये परिनियमों, अध्यादेशों तथा विनियमों के प्रयोजनों के लिये तथा उन प्रयोजनों को अग्रसर करने के लिये महाविद्यालयों में तथा विश्वविद्यालय के विभागों में नियोजित किये गये अध्यापकवृन्द तथा स्थापना के सदस्यों के वेतनों तथा भत्तों के संदाय के लिये और किन्हीं भी ऐसे [आफिसरों] अधिकारियों तथा सेवकों, अध्यापकवृन्द के सदस्यों को या ऐसी स्थापनाओं के सदस्यों की किसी भविष्य निधि के अभिदायों के संदाय के लिये;

(च) सभा [कार्यपालिका परिषद्] कार्य परिषद् तथा विद्या परिषद् एवं विद्या परिषद की स्थायी समिति के सदस्यों और विश्वविद्यालय के किन्हीं अन्य प्राधिकारियों के सदस्यों और/या इस अधिनियम तथा उसके अधीन बनाये गये परिनियमों, अध्यादेशों तथा विनियमों के किसी भी उपबन्ध के अनुसरण में विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों मे से किसी भी प्राधिकारी द्वारा नियुक्त किसी समिति या किन्ही बोर्डों के सदस्यों के यात्रा भत्तों तथा अन्य भत्तों के संदाय के लिये;

(छ) इस अधिनियम तथा उसके अधीन बनाये गये परिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों के उपबन्धों को कार्यान्वित करने में विश्वविद्यालय द्वारा उपगत किये गये किन्हीं भी व्ययों के संदाय के लिये.

वित्त समिति.

३८. (१) "वित्त समिति" में निम्नलिखित सदस्य होंगे—

(एक) कुलपति (अध्यक्ष);

[(दो) विश्वविद्यालय का प्राचार्य (रेक्टर);]

(तीन) सचिव, मध्यप्रदेश शासन, शिक्षा विभाग या उसका नामनिर्दिष्ट व्यक्ति जो शासन के उप-सचिव या महाविद्यालयीन शिक्षा के संयुक्त संचालक के पद से निम्न पद का न हो;

(चार) सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग या उसका नाम निर्दिष्ट व्यक्ति जो शासन के उप-सचिव के पद से निम्न पद का न हो;

[(पांच) कार्यपालिका परिषद् के चार सदस्य जो कार्यपालिका परिषद् द्वारा निर्वाचित किये जायेंगे, जिनमें से कम से कम दो सदस्य ऐसे सदस्य होंगे जो सभा द्वारा कार्यपालिका परिषद् के लिये निर्वाचित किये गये हों.]

(पांच) कार्यपरिषद् के दो सदस्य जो कार्यपरिषद् द्वारा निर्वाचित किये जायेंगे, जिनमें से एक सदस्य ऐसा सदस्य होगा जो सभा द्वारा कार्यपरिषद् के लिये निर्वाचित किया गया हो.

(२) वित्त समिति के तीन सदस्यों से गणपूर्ति होगी.

(३) वित्त-समिति के निर्वाचित सदस्य तीन वर्ष की अवधि के लिये पदधारण करेंगे.

(४) वित्त समिति लेखाओं को तथा व्यय की प्रस्थापनाओं की परीक्षा करने के लिये प्रत्येक वर्ष में कम से कम दो बार सम्मिलन करेगी.

(५) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखे तथा वित्तीय प्राक्कलन समिति के समक्ष विचारार्थ तथा टीका-टिप्पणी के लिये रखे जायेंगे और तत्पश्चात अनुमोदन के लिये [कार्यपालिका परिषद्] कार्य परिषद् को भेजे जायेंगे.

(६) वित्त समिति समय-समय पर, वर्ष के कुल आवर्ती व्यय और कुल अनावर्ती व्ययों के लिये सीमा नियत करेगी जो विश्वविद्यालय के संसाधनों पर आधारित प्रकार होगी, जिनके अन्तर्गत उत्पादी कार्यों की दशा में उधारों के आगम आयेंगे. इस प्रकार नियत की गई सीमाओं से अधिक कोई भी व्यय विश्वविद्यालय द्वारा वित्त समिति के पूर्व अनुमोदन के बिना, उपगत नहीं किया जायगा. वित्त समिति किसी ऐसे व्यय को तत्समय वित्त समिति का गठन करने वाले सदस्यों की कुल संख्या के दो तिहाई बहुमत से ही अनुमोदित करेगी अन्यथा नहीं.

(७) ऐसे व्यय से जिसका कि बजट में प्रावधान किया गया हो, भिन्न कोई भी व्यय विश्वविद्यालय द्वारा, वित्त-समिति के पूर्व अनुमोदन के बिना, उपगत नहीं किया जायगा.

(८) वित्त समिति विश्वविद्यालय की निधियों पर सामान्य पर्यवेक्षण रखेगी और उसकी वित्तीय नीति के संबंध में सलाह देगी.

सातवाँ अध्याय—परिनियम, अध्यादेश तथा विनियम

३६. इस अधिनियम के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, परिनियमों में निम्नलिखित समस्त विषयों या उनमें से किसी भी विषय के लिये उपबन्ध हो सकेंगे, अर्थात :— परिनियम.

(क) ऐसे निकायों का संघटन, शक्तियां तथा कर्त्तव्य जिन्हें समय-समय पर गठित करना आवश्यक समझा जाय;

(ख) खण्ड (क) में निर्दिष्ट किये गये निकायों के सदस्यों के निर्वाचन या नियुक्ति की रीति और उनकी पदावधि जिसके अन्तर्गत प्रथम सदस्यों का पद पर बना रहना तथा सदस्यों की रिक्तियों का भरा जाना आता है, और उन निकायों से संबंधित अन्य समस्त विषय जिनके लिये उपबन्ध करना आवश्यक या वांछनीय हो;

(ग) कुलपति की उपलब्धियां और उसकी सेवा के अन्य निबन्धन तथा शर्तें उसकी शक्तियां तथा कर्त्तव्य;

(घ) [विश्वविद्यालय के प्राचार्य (रेक्टर)] कुलसचिव एवं विश्वविद्यालय के अन्य [आफिसरों] अधिकारियों तथा सेवकों की शक्तियां तथा कर्त्तव्य और उनकी सेवा की शर्तें;

(ङ) विश्वविद्यालय के [आफिसरों] अधिकारियों, अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के फायदे के लिये पेंशन या भविष्य-निधि का गठन और बीमा स्कीम का स्थापन ;

(च) उपाधियां प्रदान करने के लिये दीक्षान्त समारोह का किया जाना;

(छ) [मानोपाधियों] सम्मानिक उपाधियों का प्रदान किया जाना;

(ज) उपाधियों, उपाधिपत्रों, प्रमाणपत्रों तथा विद्या संबंधी अन्य विशिष्टताओं का प्रत्याहरण;

(झ) विश्वविद्यालय द्वारा संधारित संकायों, छात्रावासों, महाविद्यालयों, [अध्ययनशालाओं] प्राध्ययन केन्द्रों तथा संस्थाओं का स्थापन तथा उनकी समाप्ति;

(ञ) वे शर्तें जिनके अधीन महाविद्यालयों तथा अन्य संस्थाओं को विश्वविद्यालयों के विशेषाधिकार दिये जा सकेंगे और ऐसे विशेषाधिकारों का प्रत्याहरण;

(ट) संबद्ध महाविद्यालयों तथा मान्यता-प्राप्त संस्थाओं के [प्राध्यापकों, प्रवाचकों, सहायक प्राध्यापकों, व्याख्याताओं] आचार्यों उपाचार्यों, सहायक आचार्यों, प्राध्यापकों तथा अन्य अध्यापकों, की अर्हताए;

(ठ) विन्यासों (एण्डाउमेण्ट्स) का प्रबन्ध और [अधिछात्रवृत्तियों] अध्येतावृत्तियां, छात्रवृत्तियां, [विद्यावृत्तियों] अध्ययन वृत्तियों, छात्र सहायता वृत्तियों (एक्जीविशन्स) वजीफों (बर्सरीज) ,पदकों, पारितोषकों तथा अन्य पुरस्कारों का संस्थित किया जाना और उनके प्रदान किये जाने की शर्तें;

(ड) विश्वविद्यालय के अध्यापकों का वर्गीकरण;

(ढ) [आफिसरों] अधिकारियों की उपलब्धियां तथा उनकी सेवा के निबन्धन एवं शर्तें और विश्वविद्यालय के अध्यापकों की, जिन्हें कि विश्वविद्यालय द्वारा वेतन दिया जाता हो, वेतनमान से भिन्न उपलब्धियां तथा सेवा के निबन्धन एवं शर्तें;

(ण) इस अधिनियम के प्रयोजन के लिये ज्येष्ठता अवधारित करने का ढंग ;

(त) रजिस्ट्रीकृत स्नातकों के रजिस्टर का बनाये रखा जाना;

[(थ) हिन्दी प्रकाशन तथा अनुवाद ब्यूरो का स्थापन तथा संघटन; और]

(थ) मुद्रण तथा प्रकाशन विभाग एवं अनुवाद ब्यूरो का स्थापन तथा संघटन; और

(द) ऐसे समस्त अन्य विषय जो इस अधिनियम के अनुसार परिनियमों द्वारा उपबंधित किये जाते हैं या उपबंधित किये जायें.

४०. (१) धारा ५ के अधीन स्थापित विश्वविद्यालय के प्रथम परिनियम [धारा ४५ के अधीन गठित की जानेवाली समिति द्वारा] समन्वय समिति द्वारा तैयार किये जायेंगे. परिनियम किस प्रकार बनाये जायेंगे.

(२) [सभा] समन्वय समिति इसमें इसके पश्चात् आनेवाली रीति में परिनियम पारित करके समय-समय पर कोई परिनियम बना सकेगी, उसे संशोधित या निरस्त कर सकेगी.

(३) समन्वय समिति स्वप्रेरणा से या [कार्यपालिका परिषद्] कार्य परिषद् द्वारा प्रस्थापना की जाने पर परिनियम के प्रारूप पर विचार कर सकेगी. किसी ऐसे प्रारूप की दशा में जो [कार्यपालिका परिषद्] कार्य परिषद् द्वारा तैयार न किया गया हो, समन्वय समिति, उस पर विचार करने के पूर्व, [कार्यपालिका परिषद्] कार्य परिषद् की राय अभिप्राप्त करेगी :

परन्तु यदि [कार्यपालिका परिषद्] कार्य परिषद् स्वयं को प्रारूप प्राप्त होने की तारीख से तीन मास के भीतर अपनी राय न भेजे, तो समन्वय समिति प्रारूप पर विचार करने के लिये अग्रसर हो सकेगी.

(४) जहां प्रारूप की प्रस्थापना [कार्यपालिका परिषद्] कार्य परिषद् द्वारा की गई हो, वहां समन्वय समिति परिनियम को अनुमोदित कर सकेगी या उसे अस्वीकार कर सकेगी या उसे, किसी ऐसे संशोधनों के साथ जिसका कि समन्वय समिति सुझाव दे, पूर्णतः या अंशतः पुनर्विचार के लिये [कार्यपालिका परिषद्] कार्य परिषद् को वापस कर सकेगी.

(५) इसके पश्चात् कि उपधारा (४) के अधीन वापस किये गये किसी प्रारूप पर तथा समन्वय समिति द्वारा सुझाये गये किसी संशोधन पर [कार्य पालिका परिषद्] कार्य परिषद द्वारा और विचार किया जा चुका हो, वह [कार्यपालिका परिषद्] कार्य परिषद् की तत्सम्बन्धी रिपोर्ट के साथ समन्वय समिति के समक्ष पुनः उपस्थापित किया जायगा और समन्वय समिति परिनियम को उपान्तरणों के साथ या उपान्तरणों के बिना अनुमोदित कर सकेगी.

(६) समन्वय समिति किसी परिनियम के या परिनियम के किसी संशोधन के या किसी परिनियम के निरसन के——

(क) ऐसे प्रारूप पर जो विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी की प्रास्थिति, शक्ति, या संघटन पर प्रभाव डालता हो, विचार तब तक नहीं करेगी और [कार्यपालिका परिषद्] कार्य परिषद् उस प्रारूप की प्रस्थापना तब तक नहीं करेगी जब तक ऐसे प्राधिकारी को ऐसी प्रस्थापना पर राय प्रकट करने का अवसर न दे दिया गया हो; या

(ख) ऐसे प्रारूप पर, जो महाविद्यालयों को विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार दिये जाने की शर्तों पर प्रभाव डालता हो, विचार तब तक नहीं करेगी और [कार्यपालिका परिषद्] कार्य परिषद् उस प्रारूप की प्रस्थापना तब तक नहीं करेगी जब तक कि विद्या परिषद् को प्रस्थापना पर राय प्रगट करने का अवसर न दे दिया गया हो, और ऐसी राय, [कार्यपालिका परिषद्] कार्य परिषद् द्वारा किसी भी ऐसे प्रारूप के साथ, जिसकी कि वह प्रस्थापना करे, समन्वय समिति को अग्रेषित की जायगी.

(७) जहां समन्वय समिति परिनियमों को उपान्तरणों के साथ या उपान्तरणों के बिना अनुमोदित कर दे, वहां वे ऐसी तारीख से प्रभावशील हो जायेंगे जिसे कि समन्वय समिति विनिर्दिष्ट करें.

अध्यादेश.

४१. इस अधिनियम तथा परिनियमों के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए अध्यादेशों में निम्नलिखित समस्त विषयों या उनमें से किसी भी विषय के लिये उपबन्ध हो सकेंगे :—

(एक) महाविद्यालयों, [अध्ययनशालाओं] प्राध्ययन केन्द्रों तथा प्रयोगशालाओं में विद्यार्थियों का प्रवेश और फीस का उद्ग्रहण तथा उनका नामांकन;

(दो) विश्वविद्यालय की समस्त उपाधियों, उपाधि-पत्रों तथा प्रमाण-पत्रों के लिये निर्धारित किये जाने वाले [अध्ययन] पाठ्यक्रम;

(तीन) विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदान की जाने वाली उपाधियां, उपाधिपत्र, प्रमाणपत्र तथा विद्या संबंधी अन्य विशिष्टताएं उनके लिए अर्हताएं, और उनके लिये प्रदान किये जाने तथा अभिप्राप्त किये जाने के सम्बन्ध में अपनाये जाने वाले साधन;

(चार) विश्वविद्यालयों में [अध्ययन] पाठ्यक्रमों के हेतु और विश्वविद्यालय की परीक्षाओं, उपाधियों तथा उपाधिपत्रों के लिये प्रवेश देने के हेतु प्रभारित की जाने वाली फीस;

(पांच) [अधिछात्रवृत्तियों] अध्येतावृत्तियों, छात्रवृत्तियों, [विद्या वृत्तियों] अध्ययनवृत्तियां, छात्र सहायता वृत्तियों (एक्जीविशन्स), पदकों तथा पारितोषकों आदि के प्रदान किये जाने की शर्तें;

(छः) उपाधियों तथा विद्या-संबंधी अन्य विशिष्टताओं से संबंधित परीक्षाओं में सम्मिलित होने के लिये शर्तों का निर्धारित किया जाना;

(सात) गवेषणा के लिये उपाधियां तथा विद्या संबंधी अन्य विशिष्टताएं प्रदान करने के लिये शर्तों का निर्धारित किया जाना;

(आठ) परीक्षाओं का संचालन;

(नौ) विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों में अनुशासन बनाये रखना;

(दस) महाविद्यालयों, [अध्ययन शालाओं] प्राध्ययन केन्द्रों के विद्यार्थियों के निवास की शर्तें और छात्रावासों में निवास के लिये फीस का उद्ग्रहण;

(ग्यारह) छात्रावासों की मान्यता तथा उनका निरीक्षण;

(बारह) विशेष इन्तजाम, यदि कोई हों, जो महिला विद्यार्थियों के निवास, अनुशासन तथा अध्यापन के सम्बन्ध में किये जा सकते हों और उनके लिये विशेष [अध्ययन] पाठ्यक्रम का विहित किया जाना;

(तेरह) सदाचार संबंधी शिक्षण का दिया जाना;

(चौदह) विश्वविद्यालय द्वारा प्रतिष्ठापित या सन्धारित महाविद्यालयों एवं अन्य संस्थाओं का प्रबन्ध;

(पन्द्रह) उन महाविद्यालयों तथा अन्य संस्थाओं का, जिन्हें विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार दिये गये हों, पर्यवेक्षण तथा निरीक्षण;

(सोलह) विश्वविद्यालय के अध्यापकों को, जिन्हें कि विश्वविद्यालय द्वारा वेतन दिया जाता हो, संख्या, अर्हता तथा नियुक्ति की शर्तें जिनके अन्तर्गत उनके वेतनमान आते हैं;

(सत्रह) किसी अन्य विश्वविद्यालय या निकाय के साथ संयुक्त रूप से विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त किये जाने वाले बोर्डों एवं समितियों के कर्त्तव्य तथा शक्तियां;

(अठारह) विद्यार्थियों के स्थानान्तरण के संबंध में सम्बद्ध महाविद्यालय तथा मान्यता प्राप्त संस्थाओं द्वारा अनुपालन तथा प्रवर्तित किये जाने वाले नियम;

(उन्नीस) सम्बद्ध महाविद्यालयों तथा मान्यता प्राप्त संस्थाओं द्वारा रखा जाने वाला विद्यार्थियों का रजिस्टर;

(बीस) विश्वविद्यालय के उन अध्यापकों के, जिन्हें कि विश्वविद्यालय द्वारा वेतन दिया जाता हो, कर्त्तव्य;

(इक्कीस) विश्वविद्यालय द्वारा या उसकी ओर से संविदाओं या करारों के निष्पादन का ढंग;

(बाईस) वे दरें, जिन पर विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों के सदस्यों के लिए तथा विश्वविद्यालय के [आफिसरों] अधिकारियों एवं कर्मचारीवृन्द के लिये भी यात्रा-भत्ता तथा दैनिक भत्ता स्वीकार किया जा सकेगा; और

(तेईस) ऐसे समस्त अन्य विषय जो इस अधिनियम या परिनियमों के अनुसार, अध्यादेशों द्वारा भी उपबंधित किये जाने हैं या उपबंधित किये जायं [:]

[परन्तु पद (सोलह) के अधीन कोई भी अध्यादेश, धारा 56 के अधीन राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं बनाया जायगा.]

अध्यादेश किस प्रकार बनाये जायंगे

४२. (१) प्रथम अध्यादेश के सिवाय समस्त अध्यादेश [कार्यपालिका परिषद्] कार्य परिषद् द्वारा बनाये जायेंगे.

(२) [कार्यपालिका परिषद्] कार्य परिषद् द्वारा बनाया गया अध्यादेश उसके बनाये जाने की तारीख से [सात] तीस दिन का अवसान हो जाने पर या किसी अन्य भावी तारीख को प्रवृत्त होगा जिसे कि [कार्यपालिका परिषद्] कार्य परिषद् विनिर्दिष्ट करे.

(३) [ऐसा अध्यादेश, जो उपधारा (२) के अधीन प्रभावशील हो गया हो,] इस प्रकार बनाया गया अध्यादेश, यथाशक्य शीघ्र, समन्वय समिति के समक्ष उसके अनुमोदन के लिये रखा जायगा और समन्वय समिति उसे किसी उपान्तरण के साथ या उपान्तरण के बिना अनुमोदित कर सकेगी या अस्वीकार कर सकेगी और उसे, किसी ऐसे संशोधन के साथ जिसका कि वह सुझाव दे, पूर्णतः या अंशतः पुनर्विचार के लिये वापस भेज सकेगी.

(४) यदि समन्वय समिति अध्यादेश को अस्वीकार कर दे, तो वह ऐसी बातों के सिवाय, जो उसके (अध्यादेश के) अधीन की गई हो या की जाने से छोड़ दी गई हों, अन्य बातों के संबंध में, उसके अस्वीकार किये जाने की तारीख के ठीक पश्चात् आने वाली तारीख से प्रवृत्त नहीं रहेगा.

(५) यदि समन्वय समिति अध्यादेश को किसी उपान्तरण के साथ अनुमोदित करे, तो वह समिति द्वारा किये गये उपान्तरणों सहित, ऐसे अनुमोदन के ठीक पश्चात् आनेवाली तारीख से प्रभावशील होगा.

अध्यादेश के संबंध में प्रक्रिया.

४३. [(१) धारा ४२ की उपधारा (१) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी,—

(क) कोई अध्यादेश, जो विद्यार्थियों के प्रवेश पर प्रभाव डालता हो या विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के समकक्ष मान्य की जाने वाली परीक्षाओं को या विश्वविद्यालय के उपाधि-पाठ्यक्रमों (डिग्री कोर्सेज) में प्रवेश के लिये धारा ४६ की उपधारा (१) में वर्णित की गई और अर्हताओं को विहित करता हो, कार्यपालिका परिषद् द्वारा तब तक नहीं बनाया जायगा जब तक कि उसके प्रारूप की प्रस्थापना विद्या परिषद् द्वारा न की गई हो; या

(ख) कोई अध्यादेश, जो परीक्षकों की शर्तों तथा उनके कर्त्तव्यों पर और परीक्षाओं के संचालन या स्तर या किसी अध्ययन-पाठ्यक्रम पर प्रभाव डालता हो, कार्यपालिका परिषद् द्वारा संबंधित संकाय या संकायों की प्रस्थापना के अनुसार बनाये जाने के सिवाय तथा तब तक नहीं बनाया जायगा जब तक कि ऐसे अध्यादेश के प्रारूप की प्रस्थापना विद्या परिषद् द्वारा न की गई हो; या

(ग) कोई अध्यादेश, जो विश्वविद्यालय के अध्यापकों की, जिन्हें कि विश्वविद्यालय द्वारा वेतन दिया जाता हो, संख्या, अर्हताओं तथा उपलब्धियों पर प्रभाव डालता हो, कार्यपालिका परिषद् द्वारा तब तक नहीं बनाया जायगा जब तक कि उसके प्रारूप की प्रस्थापना विद्या-परिषद् द्वारा न की गई हो.]

(१) धारा ४२ की उपधारा (१) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कार्य परिषद् द्वारा—

(क) कोई भी ऐसा अध्यादेश, जो विद्यार्थियों के प्रवेश पर प्रभाव डालता हो या विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के समकक्ष मान्य की जाने वाली परीक्षाओं को या विश्वविद्यालय के उपाधिपाठ्यक्रमों (डिग्री कोर्सेज) में प्रवेश के लिये धारा ४६ की उपधारा (१) में वर्णित की गई और अर्हताओं को विहित करता हो;

(ख) कोई भी ऐसा अध्यादेश, जो परीक्षकों की शर्तों तथा उनके कर्त्तव्यों पर और परीक्षाओं के संचालन या स्तर या किसी पाठ्यक्रम पर प्रभाव डालता हो, संबंधित संकाय या संकायों की प्रस्थापना के अनुसार बनाये जाने के सिवाय;

(ग) कोई भी ऐसा अध्यादेश, जो विश्वविद्यालय के अध्यापकों की, जिन्हें कि विश्वविद्यालय द्वारा वेतन दिया जाता हो, संख्या, अर्हताओं तथा उपलब्धियों पर प्रभाव डालता हो; और

(घ) कोई भी ऐसा अध्यादेश, जो विद्या-परिषद् के क्षेत्र के भीतर आने वाले किसी अन्य विषय पर प्रभाव डालता हो;

विद्या परिषद् से पूर्व परामर्श किये बिना और उस पर उसकी टीका-टिप्पणियां अभि-प्राप्त किये बिना नहीं बनाया जायगा.

(२) [कार्यपालिका परिषद] कार्य परिषद् को यह शक्ति नहीं होगी कि वह ऐसे प्रारूप को, जिसकी कि प्रस्थापना उपधारा (१) के अधीन विद्या परिषद् द्वारा की गई हो, संशोधित करे किन्तु वह उस प्रस्थापना को अस्वीकार कर सकेगी या प्रारूप को किसी ऐसे संशोधन के साथ जिसका कि [कार्यपालिका परिषद्] कार्य परिषद् सुझाव दे, पूर्णतः या अंशतः पुनर्विचार के लिये विद्या परिषद् को वापस कर सकेगी.

(३) इसके पश्चात् कि उपधारा (२) के अधीन वापस किये गये किसी प्रारूप पर तथा [कार्यपालिका परिषद्] कार्य परिषद् द्वारा सुझाये गये किसी संशोधन पर विद्या परिषद् द्वारा और विचार किया जा चुका हो, वह, विद्या परिषद् की तत्सम्बन्धी रिपोर्ट के साथ [कार्यपालिका परिषद] कार्य परिषद् के समक्ष पुनः उपस्थापित किया जायगा और तब [कार्य पालिका परिषद] कार्य परिषद् ऐसी रीति में, जैसी कि वह उचित समझे, उस प्रारूप के संबंध में कार्यवाही कर सकेगी.

[(४) जहां कार्यपालिका परिषद् ने विद्या परिषद् द्वारा प्रस्तावित किसी अध्यादेश का प्रारूप अस्वीकार कर दिया हो, वहां विद्या-परिषद् समन्वय समिति को अपील कर सकेगी और समन्वय समिति यह निर्देश दे सकेगी कि ऐसा अध्यादेश ऐसी तारीख से प्रभावशील होगा जो कि उस निदेश में विनिर्दिष्ट की जाय.]

४३-क. विश्वविद्यालय के अधिकारियों तथा अन्य सेवकों या विश्वविद्यालय के उन अध्यापकों के, जिन्हें कि विश्वविद्यालय द्वारा वेतन दिया जाता हो, वेतनमानों से संबंधित कोई भी परिनियम या अध्यादेश राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं बनाये जायेंगे. *अधिकारियों आदि के वेतन के मान से सम्बन्धित परिनियम तथा अध्यादेश किस प्रकार बनाये जायेंगे.*

४४. (१) विश्वविद्यालय के प्राधिकारी तथा अन्य निकाय,-- *विनियम.*

(क) अपने सम्मिलन में अनुपालन की जाने वाली प्रक्रिया को तथा गणपूर्ति के लिये अपेक्षित सदस्यों की संख्या को अधिकथित करते हुए;

(ख) ऐसे समस्त विषयों के लिये जो कि इस अधिनियम, परिनियमों या अध्यादेशों के अनुसार, विनियमों द्वारा विहित किये जाने हों, उपबन्ध करते हुए; और.

(ग) ऐसे समस्त अन्य विषयों के लिये, जो एकाकी रूप से ऐसे प्राधिकारियों से या उनके द्वारा नियुक्त की गई समितियों से संबंधित हों और जिनके लिये इस अधिनियम, परिनियमों या अध्यादेशों द्वारा उपबन्ध न किया गया हो, उपबन्ध करते हुए;

इस अधिनियम, परिनियमों या अध्यादेशों से संगत विनियम बना सकेंगे.

(२) विश्वविद्यालय का प्रत्येक प्राधिकारी तथा निकाय ऐसे विनियम बनायेगा जिनमें ऐसे प्राधिकारी के सदस्यों को, सम्मिलनों की तारीखों की तथा कामकाज की, जिस पर उन सम्मिलनों में विचार किया जाना हो, सूचना दिये जाने एवं सम्मिलनों की कार्यवाहियों का अभिलेख रखे जाने के लिये उपबन्ध हो.

(३) [कार्यपालिका परिषद्] कार्य परिषद् सभा से भिन्न किसी प्राधिकारी या निकाय द्वारा इस धारा के अधीन बनाये गये किसी भी विनियम को उपान्तरित या बातिल कर सकेगी:

परन्तु विश्वविद्यालय का कोई भी प्राधिकारी या निकाय, जिसका ऐसे उपांतरण या बातिलीकरण से समाधान न हो, समन्वय समिति को अपील कर सकेगा जिसका इस मामले में विनिश्चय अन्तिम होगा.

प्रथम परिनियम तथा अध्यादेश बनाये जाने के लिये समिति.

[४५. इस अधिनियम के प्रवृत्त होने पर, प्रथम परिनियम तथा अध्यादेश, धारा ४० तथा धारा ४२ में किसी बात के होते हुए भी, कुलपति शिक्षा विभाग के शासन सचिव, या उसके नाम निर्दिष्ट व्यक्ति, जो शासन के उपसचिव या महाविद्यालयीन शिक्षा के संयुक्त संचालक के पद से निम्न पद का न हो, विधि विभाग के शासन सचिव या उसके नाम निर्दिष्ट व्यक्ति, जो उपसचिव के पद से निम्न पद का न हो, तथा कुलाधिपति द्वारा नाम निर्देशित किये गये एक व्यक्ति से मिलकर बनी हुई समिति द्वारा बनाये जायेंगे. ये प्रथम परिनियम तथा अध्यादेश, ऐसी तारीख को प्रवृत्त होंगे जिसके कि संबंध में कुलाधिपति निर्देश दे:

परन्तु प्रथम परिनियम बनाने के लिए उक्त समिति को प्रदत्त की गई शक्ति का प्रयोग यथा स्थिति धारा (१) की उपधारा (३) के अधीन नियत की गई तारीख, से एक वर्ष के भीतर या धारा (५) की उपधारा (१) के अधीन अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की गई तारीख से एक वर्ष के भीतर किया जायेगा]

समन्वय समिति.

४६. [(१) एक समन्वय समिति होगी जिसमें द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट किये गये विश्वविद्यालयों के कुलपति होंगे. परिदर्शक ज्येष्ठतम कुलपति को उसके अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करेगा. महाविद्यालयीन शिक्षा का संयुक्त संचालक उस समिति के सचिव के रूप में कार्य करेगा.]

(१) एक समन्वय समिति होगी जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे:—

(एक) कुलाधिपति;

(दो) द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट किये गये विश्वविद्यालयों के कुलपति;

(तीन) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का अध्यक्ष या उसका नामनिर्दिष्ट व्यक्ति;

(चार) सचिव, मध्यप्रदेश शासन, शिक्षा विभाग;

(पांच) सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग या उसका नामनिर्दिष्ट व्यक्ति जो उपसचिव के पद से निम्न पद का न हो;

(छः) सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि विभाग या उसका नामनिर्दिष्ट व्यक्ति जो उपसचिव के पद से निम्न पद का न हो;

कुलाधिपति समन्वय समिति का अध्यक्ष होगा तथा सचिव, मध्यप्रदेश शासन, शिक्षा विभाग उस समिति का सचिव होगा.

(१-क) इस अधिनियम के प्रवृत्त होने पर, प्रथम परिनियम तथा अध्यादेश धारा ४० तथा ४२ में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी समन्वय समिति द्वारा बनाये जायंगे. प्रथम परिनियम ऐसी तारीख को प्रवृत्त होंगे जिसके कि संबंध में कुलाधिपति निदेश दे:

परन्तु इस उपधारा के अधीन शक्ति का प्रयोग यथास्थिति धारा १ की उपधारा (३) के अधीन नियत की गई तारीख से या धारा ५ की उपधारा (१) के अधीन अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की गई तारीख से एक वर्ष की कालावधि के भीतर किया जायगा.

(२) समन्वय समिति, द्वितीय अनुसूची में नामित विश्वविद्यालयों के परिनियमों तथा अध्यादेशों में एकरूपता सुनिश्चित करने की दृष्टि से नीचे वर्णित की गई शक्तियों का प्रयोग करेगी तथा नीचे वर्णित किये गये कृत्यों का निर्वहन करेगी:—

(एक) विभिन्न विश्वविद्यालयों में प्रवृत्त समस्त परिनियमों तथा अध्यादेशों की परीक्षा का कार्य हाथ में लेना और उन्हें रूपान्तरित करना;

(दो) विश्वविद्यालयों की [कार्यपालिका परिषद्] कार्य परिषद् द्वारा भेजे गये परिनियमों तथा अध्यादेशों को अनुमोदित करना;

(तीन) धारा ४० तथा ४२ में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, साधारणतः समस्त विश्वविद्यालयों के लिये या किसी विशिष्ट विश्वविद्यालय के लिये स्वप्रेरणा से परिनियमों तथा अध्यादेशों की विरचना करना;

(चार) ऐसी शक्तियों का प्रयोग करना तथा ऐसे कृत्यों का निर्वहन करना जो कि इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन समन्वय समिति को प्रदत्त की जाय या उस पर अधिरोपित किये जायं.

(३) जहां समन्वय समिति उपधारा (२) के खंड (तीन) के अधीन किसी परिनियम या अध्यादेश की विरचना करें, वहां वह ऐसी तारीख विनिर्दिष्ट करेगी जिससे कि वह किसी विश्वविद्यालय या समस्त विश्वविद्यालयों के संबंध में प्रवृत्त होगा और ऐसी तारीख से ऐसे विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालयों में उस विषय पर प्रवृत्त परिनियम या अध्यादेश निरस्त हो जायेंगे.

(४) समन्वय समिति अपने कामकाज का संचालन ऐसी रीति में करेगी जैसी कि राज्य सरकार द्वारा नियमों द्वारा विहित की जाय.

(५) [परिदर्शक] कुलाधिपति राज्य में के समस्त विश्वविद्यालयों में, ऐसे विषयों के संबंध में जो कि विद्या संबंधी न हों, एकरूपता सुनिश्चित करने की दृष्टि से समन्वय समिति को समय-समय पर निदेश जारी कर सकेगा और समन्वय समिति के लिये यह बाध्यकर होगा कि वह ऐसे निदेश का पालन उसमें (निदेश में) विनिर्दिष्ट की गई कालावधि के भीतर करे.

[(६) समन्वय समिति के सम्मिलन भोपाल में होंगे और वह दो मास में कम से कम एक बार सम्मिलन करेगी.]

(६) समन्वय समिति का सम्मिलन तीन मास में कम से कम एक बार होगा.

आठवां अध्याय---नामांकन तथा उपाधियां, आदि

विद्यार्थियों का निवास स्थान.

४७. विश्वविद्यालय का प्रत्येक विद्यार्थी छात्रावास में निवास करेगा या अन्यत्र ऐसी शर्तों के अधीन निवास करेगा जैसा कि परिनियमों तथा अध्यादेशों द्वारा विहित की जायं.

छात्रावास.

४८. (१) विश्वविद्यालय द्वारा सन्धारित छात्रावासों से भिन्न छात्रावास ऐसे होंगे जिन्हें कि [कार्यपालिका परिषद] कार्य परिषद द्वारा, ऐसी साधारण या विशेष शर्तों पर जैसी कि अध्यादेशों द्वारा विहित की जायं, मान्यता दी जाय.

(२) छात्रावासों के प्रतिपालकों (वार्डन्स) की तथा अधीक्षण कर्मचारी वृन्द की नियुक्ति परिनियमों द्वारा विहित की गई रीति में की जायगी,

(३) छात्रावासों में निवास करने की शर्तें अध्यादेशों द्वारा विहित की जायगी और प्रत्येक छात्रावास इस बात के अध्यधीन होगा कि विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या [आफिसर] अधिकारी जो [कार्यपालिका परिषद्] कार्य परिषद द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत किया गया हो, द्वारा उसका निरीक्षण किया जाय.

(४) [कार्यपालिका परिषद्] कार्य परिषद् को यह शक्ति होगी कि वह किसी छात्रावास की मान्यता को इस आधार पर निलंबित कर दे या उसका प्रत्याहरण कर ले कि उसका संचालन अध्यादेशों द्वारा विहित की गई शर्तों के अनुसार नहीं किया जाता:

परन्तु ऐसी कोई भी कार्यवाही ऐसे छात्रावास के प्रबंध प्राधिकारी को ऐसा व्यपदेशन, जैसा कि वह उचित समझे, करने का अवसर दिये बिना नहीं की जावेगी.

विश्वविद्यालयीन पाठ्यक्रमों के लिये प्रवेश.

४९. (१) विद्यार्थी उपाधि संबंधी [अध्ययन] पाठ्यक्रम में प्रवेश पाने के तब तक पात्र नहीं होंगे जब तक कि उन्होंने मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, १९६५ (क्रमांक २३, सन् १९६५) के अधीन ली गई अंतिम परीक्षा या कोई ऐसी परीक्षा, जो इस धारा के उपबन्धों के अनुसार उसके समतुल्य मान्य की गई हो, पास न कर ली हो तथा जब तक कि वे ऐसी और अर्हताएं न रखते हों जो अध्यादेशों द्वारा विहित की जायं तथा जब तक कि विश्वविद्यालय के विद्यार्थी के रूप में उनके नाम अंकित न कर लिये गये हों.

(२) विश्वविद्यालय, राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी से, उपाधि संबंधी [अध्ययन] पाठ्यक्रम में प्रवेश के प्रयोजनार्थ किसी भी उपाधि को, जो किसी अन्य विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की गई हो, अपनी उपाधि के समतुल्य होना या किसी अन्य परीक्षा को मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, १९६५ (क्रमांक २३, सन् १९६५) के अधीन ली गई अंतिम परीक्षा के समतुल्य होना मान्य कर सकेगा.

[(३) जब तक कि विद्या परिषद् की सिफारिश पर दिये गये कार्यपालिका परिषद् के विशेष आदेश द्वारा इस उपधारा के उपबंधों से छूट न दे दी गई हो, किसी भी विद्यार्थी को, उपाधि तक पहुंचाने वाले अध्ययन पाठ्यक्रम में तब तक प्रवेश नहीं दिया जायगा जब तक कि महाविद्यालय के सदस्य के रूप में उसका नाम अंकित न कर लिया गया हो या उसने पत्राचार पाठ्यक्रम उत्तीर्ण न किय

हो और कोई भी ऐसी छूट ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए दी जा सकेगी जिन्हें कि कार्यपालिका परिषद् उचित समझे.

(४) वे विद्यार्थी जिन्हें उपधारा (३) के उपबंधों से छूट दी गई हो, तथा वे विद्यार्थी, जिन्हें उपाधि तक पहुंचाने वाले अध्ययन पाठ्यक्रम से भिन्न अध्ययन पाठ्यक्रमों में, अध्यादेश द्वारा विहित की गई शर्तों के अनुसार प्रवेश दिया गया हो, विश्वविद्यालय के महाविद्यालयीन विद्यार्थी होंगे].

(३) उपधारा (३-क) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए किसी भी विद्यार्थी को, उपाधि तक पहुंचाने वाले पाठ्यक्रम में तब तक प्रवेश नहीं दिया जायगा जब तक कि किसी महाविद्यालय के सदस्य के रूप में उसका नाम अंकित न कर लिया गया हो.

(३-क) किसी भी विद्यार्थी को—

(एक) विज्ञान संकाय में स्नातक की उपाधि तक;

(दो) कला संकाय में या वाणिज्य संकाय में स्नातक की उपाधि तक;

(तीन) जहां ऐसा विद्यार्थी कोई स्त्री हो वहां विधि संकाय में स्नातक की उपाधि तक ;

पहुंचाने वाले पाठ्यक्रम में प्रवेश दिया जायगा चाहे किसी महाविद्यालय के सदस्य के रूप में उसका नाम अंकित किया गया हो या नहीं.

(४) जो विद्यार्थी किसी महाविद्यालय के सदस्य के रूप में नामांकित न हो वे विश्वविद्यालय के अमहाविद्यालयीन विद्यार्थी होंगे.

परीक्षकों तथा [संयामकों] अनुसीमकों (माडरेटर्स)

५०. (१) परिनियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुये, समस्त परीक्षक तथा परीक्षा के प्रश्नों के [संयामकों] अनुसीमकों (माडरेटर्स) कुलपति द्वारा उस समिति के परामर्श से नियुक्त किये जायेंगे जिसमें कि निम्नलिखित सदस्य होंगे. · ·

(एक) संबंधित संकाय का [अधिष्ठाता] संकायाध्यक्ष जो उस समिति का अध्यक्ष होगा,

(दो) संबंधित अध्ययन-बोर्ड का अध्यक्ष,

(तीन) संबंधित अध्ययन विभाग का अध्यक्ष,

(चार) संबंधित अध्ययन-बोर्ड का एक सदस्य जो उस प्रयोजन के लिये कुलपति द्वारा नाम निर्देशित किया जायगा.

(२) यदि परीक्षा के दौरान कोई परीक्षक किसी कारण से उस रूप में कार्य करने में असमर्थ हो जाय, तो कुलपति उस रिक्ति को भरने के लिये परीक्षक की नियुक्ति करगा.

महाविद्यालयों का निरीक्षण एवं रिपोर्ट

५१. (१) प्रत्येक महाविद्यालय ऐसी रिपोर्टें, विवरणियां तथा अन्य जानकारी देगा जैसी कि [कार्यपालिका परिषद्] कार्य परिषद विद्या परिषद की राय अभिप्राप्त करने के पश्चात् महाविद्यालय या संस्था की दक्षता का निर्णय कर सकने के लिये अपेक्षित करे.

(२) [कार्यपालिका परिषद्] कार्य परिषद् समय-समय पर एक या एक से अधिक सक्षम व्यक्तियों द्वारा जो कि [कार्यपालिका परिषद्] कार्य परिषद् द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत किया गया हो /किये गये हों, ऐसे महाविद्यालय या संस्था का निरीक्षण करवायेगी.

(३) [कार्यपालिका परिषद्] कार्य परिषद् ऐसे किसी महाविद्यालय या संस्था से, जिसका इस प्रकार निरीक्षण किया गया हो, विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर ऐसी कार्यवाही करने के लिये अपेक्षा कर सकेगी, जैसी कि उसे आवश्यक प्रतीत हो.

(४) यदि महाविद्यालय या संस्था उपधारा (३) के अधीन विहित की गई कालावधि के भीतर कार्य परिषद् को समाधान प्रद रूप में कार्यवाही करने में चूक जाय, तो राज्य सरकार, कार्य परिषद् की उस संबंध में की गई सिफारिश पर, ऐसे महाविद्यालय या संस्था का प्रबंध तीन वर्ष से अनधिक ऐसी कालावधि तक के लिये, जैसी कि वह उचित समझे, ग्रहण कर सकेगी:.

परन्तु राज्य सरकार प्रत्येक मामले में संबंधित महाविद्यालय या संस्था को सूचना देगी जिसमें वह तारीख, जिससे कि तथा वह अधिकारी, जो कि प्रबन्ध ग्रहण करेगा, विनिर्दिष्ट किया जायगा / की जायगी.

रजिस्ट्रीकृत स्नातक

५२. निम्नलिखित व्यक्ति ऐसी फीस का संदाय करने पर, जैसी कि परिनियमों द्वारा विहित की जाय, रजिस्ट्रीकृत स्नातकों के रजिस्ट्रर में, जो कि ऐसे प्ररूप में रखा जायगा जैसा कि परिनियमों द्वारा विहित किया जाय, अपने नाम अंकित कराने के हकदार होंगे:—

(क) विश्वविद्यालय का कोई स्नातक,

(ख) भारत में विधि द्वारा निगमित किसी अन्य विश्वविद्यालय का कोई स्नातक जिसे स्नातक हुए कम से कम तीन वर्ष हो गये हों और जो विश्वविद्यालय की अधिकारिता के भीतर निवास कर रहा हो.

नवां अध्याय— संपरीक्षा

वार्षिक रिपोर्ट

५३. विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट [कार्यपालिका परिषद] कार्य परिषद् के निदेश के अधीन तैयार की जायगी और सभा को ऐसी तारीख को या उसके पूर्व भेजी जायगी जो कि परिनियमों द्वारा विहित की जाय, और उस पर सभा द्वारा अपने वार्षिक सम्मिलन में विचार किया जायगा. सभा उस पर संकल्प पारित कर सकेगी और उसे [कार्यपालिका परिषद्] कार्य परिषद् को संसूचित कर सकेगी.

लेखाओं की संपरीक्षा.

५४. (१) विश्वविद्यालय के लेखाओं को संपरीक्षा राज्य के स्थानीय निधि लेखा परीक्षक द्वारा प्रत्येक वर्ष में कम स कम एक बार ऐसे अन्तरालों पर की जायगी जो पन्द्रह मास से अधिक न हो.

(२) लेखे, जबकि उनकी संपरीक्षा कर ली जाय, राजपत्र में प्रकाशित किये जायेंगे और संपरीक्षा-रिपोर्ट सहित लेखाओं की एक-एक प्रति [कार्यपालिका परिषद्] कार्य परिषद् द्वारा सभा को तथा राज्य सरकार को भेजी जायगी.

(३) उपधारा (२) के अधीन लेखे तथा रिपोर्ट प्राप्त होने पर, राज्य सरकार विश्वविद्यालय से ऐसी जानकारी मंगा सकेगा, जैसा कि वह आवश्यक समझे और [कार्यपालिका परिषद्] कार्य परिषद् से यह अपेक्षा की जायगी कि वह उसका प्रदाय करे.

दसवां अध्याय—विश्वविद्यालय में अध्यापन-पदों पर नियुक्ति

अध्यापन पदों पर नियुक्ति.

५५. (१) कोई भी व्यक्ति—

(एक) [प्राध्यापक, प्रवाचक, सहायक प्राध्यापक या व्याख्याता] आचार्य, उपाचार्य, सहायक आचार्य या प्राध्यापक के रूप में, या

(दो) विश्वविद्यालय के किसी अन्य अध्यापन-पद पर, जिसका कि विश्वविद्यालय द्वारा वेतन दिया जाता हो, उपधारा (२) के अनुसार गठित की गई वरण समिति की सिफारिशों पर ही नियुक्त किया जायगा अन्यथा नहीं :

परन्तु यदि पूर्वोक्त अध्यापन-पदों में से किसी पद पर नियुक्ति के तीन मास से अधिक काल तक चालू रहने की प्रत्याशा न हो और विश्वविद्यालय द्वारा संधारित विभाग या संस्था के हित के अपाय के बिना उसमें विलम्ब न किया जा सकता हो तो [कार्यपालिका परिषद] कार्य परिषद उपधारा (२) के अधीन गठित की गई वरण समिति की सिफारिश अभिप्राप्त किये बिना ही ऐसी नियुक्ति कर सकेगी किन्तु इस प्रकार नियुक्त किये गये व्यक्ति को, वरण समिति की सिफारिश पर के सिवाय, उसी पद पर तीन मास से अधिक की कालावधि के लिये नहीं रखा जायगा या विश्वविद्यालय की सेवा में के किसी अन्य पद पर नियुक्त नहीं किया जायगा.

(२) वरण समिति के निम्नलिखित सदस्य होंगे :—

(एक) कुलपति —अध्यक्ष;

(दो) संबंधित विषय का विश्वविद्यालय का विभागाध्यक्ष, यदि वह [प्राध्यापक] आचार्य हो, या जहां संबंधित विषय का विश्वविद्यालय का विभागाध्यक्ष [प्राध्यापक] आचार्य न हो या जब [प्राध्यापक] आचार्य के पद के लिये वरण किया जाना हो, तब संबंधित संकाय का [अधिष्ठाता] संकायाध्यक्ष;

(तीन) विषय के तीन विशेषज्ञ जो विश्वविद्यालय अनुदान, आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा बनाये रखी गई विशेषज्ञों की सूची के आधार पर तथा द्वितीय अनुसूची में वर्णित विश्वविद्यालयों की विद्यापरिषदों की सिफारिशों के आधार पर तैयार की गई नामों की संयुक्त तालिका (पेनल) में से राज्य सरकार द्वारा नाम निर्देशित किये जायेंगे;

(चार) [परिदर्शक] कुलाधिपति द्वारा नाम निर्देशित किया गया एक प्रख्यात शिक्षण विज्ञ, जो विश्वविद्यालय में कोई वित्तीय हित न रखता हो या जो विश्वविद्यालय से किसी भी अन्य रीति में संसक्त न हों;

(पांच) राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या उसके द्वारा नाम निर्देशित किया गया राज्य लोक सेवा आयोग का एक सदस्य.

(३) समिति विभिन्न अभ्यार्थियों के [जिनके अन्तर्गत विद्वत्ता में विशिष्ट स्थान रखने वाले कोई ऐसा प्रख्यात व्यक्ति भी आता है जिसने कि आवेदन न किया हो.] गुणागुण का अन्वेषण करेगी और [कार्यपालिका परिषद] कार्य परिषद को उन व्यक्तियों के, जिन्हें कि वह पदों के लिये उपयुक्त समझती हो, नामों की, यदि कोई हो, योग्यता क्रम में लगाकर सिफारिश करेगी :

परन्तु कोई भी सिफारिश तब तक नहीं की जायगी जब तक कि उस सम्मिलन में, जिसमें कि ऐसी सिफारिश के बारे में विनिश्चय किया जाना हो, उपधारा (२) के खंड (तीन) के अधीन नामनिर्देशित किये गये कम से कम दो विशेषज्ञ उपस्थित न हों [:].

[परन्तु यह और भी कि विद्वता में विशिष्ट स्थान रखने वाले किसी ऐसे प्रख्यात व्यक्ति के, जिसने आवेदन न किया हो नाम की सिफारिश [परिदर्शक] कुलाधिपति की पूर्व सहमति से ही की जायगी अन्यथा नहीं].

[(४) कार्यपालिका परिषद उन व्यक्तियों में से, जिनकी कि उपधारा (३) के अधीन इस प्रकार सिफारिश की गई हो, अंतिम वरण करेगी].

(४) कार्यपरिषद् उस क्रम में नियुक्त करेगी जिस क्रम में कि प्रवरण-समिति द्वारा अभ्यार्थियों का क्रमांकन किया गया हो:

परन्तु यदि कार्यपरिषद प्रवरण-समिति द्वारा उपदर्शित किये गये क्रम का अनुसरण न करना चाहती हो, तो वह उस मामले को, उसके संबंध में कारण विनिर्दिष्ट करते हुए कुलाधिपति को निर्दिष्ट करेगी और उस पर कुलाधिपति का विनिश्चय अंतिम होगा.

उप अध्यापकों का वेतन जिन्हें कि विश्वविद्यालय द्वारा वेतन दिया जाता हो.

५६. विश्वविद्यालय के अध्यापकों के, जिन्हें कि विश्वविद्यालय द्वारा वेतन दिया जाता हो, वेतन का संदाय उन वेतनमानों के अनुसार होगा जो [कार्यपालिका परिषद्] कार्य परिषद् द्वारा [राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से] अध्यादेश द्वारा नियत किये गये हों.

ग्यारहवां अध्याय—अनुपूरक उपबंध

वश्वविद्यालय के प्राधिकारियों तथा निकायों के संघटन संबंधी विवाद.

५७. यदि इस अधिनियम या किसी परिनियम; अध्यादेश या विनियम के किन्हीं उपबंधों के निर्वचन के संबंध में या इस संबंध में कि क्या कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय के सदस्य के रूप में सम्यकरूपेण निर्वाचित या नियुक्त किया गया है या उसका सदस्य होने का हकदार है, कोई प्रश्न उद्भूत हो जाय, तो मामला कुलाधिपति को निर्दिष्ट किया जायगा, जिसका उस संबंध में विनिश्चय अंतिम होगा :

परन्तु कोई ऐसा विनिश्चय करने के पूर्व कुलाधिपति, उसके द्वारा प्रभावित हुए व्यक्ति या व्यक्तियों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देगा.

स्पष्टीकरण.— इस धारा में अभिव्यक्ति 'निकाय' के अंतर्गत इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन गठित की गई कोई समिति आती है.

५७-क. इस अधिनियम के अधीन किन्हीं भी प्राधिकारियों या निकायों के बीच उत्पन्न हुआ कोई भी विवाद सभा को निर्दिष्ट किया जायगा, जिसका उस संबंध में विनिश्चय अंतिम तथा संबंधित प्राधिकारियों या निकायों को आबद्धकर होगा. प्राधिकारियों या निकायों के बीच विवाद.

५८. जहां विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी को इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा समितियां नियुक्त करने की शक्ति दी गई हो, वहां उन समितियों में, अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, संबंधित प्राधिकारी के सदस्य तथा ऐसे अन्य व्यक्ति, यदि कोई हों, जिन्हें प्राधिकारी प्रत्येक मामले में उचित समझे, होंगे. समितियों का गठन.

५९. इस अधिनियम में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकारी या अन्य निकाय के पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्यों में हुई समस्त आकस्मिक रिक्तियां यथाशक्य सुविधानुसार शीघ्रता से उस व्यक्ति या निकाय द्वारा भरी जायंगी जिसने कि उस सदस्य को, जिसका कि स्थान रिक्त हुआ है, नियुक्त, निर्वाचित या सहयोजित किया हो और किसी आकस्मिक रिक्ति पर नियुक्त, निर्वाचित या सहयोजित किया गया व्यक्ति ऐसे प्राधिकारी या निकाय का उस अवधि के शेष काल के लिये सदस्य रहेगा जिसके लिये कि वह व्यक्ति, जिसके स्थान की उसने पूर्ति की हो, सदस्य रहा होता. आकस्मिक रिक्तियों का भरा जाना.

६०. विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकारी या निकाय का कोई भी कार्य या कार्यवाही केवल इस कारण से अविधिमान्य नहीं होगी कि— विश्वविद्यालय तथा निकायों की कार्यवाहियां रिक्तियों के कारण अविधिमान्य नहीं होंगी.

(क) उसमें कोई स्थान रिक्त है या उसके गठन में कोई त्रुटि है, या

(ख) उसके सदस्य के रूप में कार्य करने वाले किसी व्यक्ति के निर्वाचन, नामनिर्देशन या नियुक्ति में कोई त्रुटि है, या

(ग) उसकी प्रक्रिया में कोई ऐसी अनियमितता है जो मामले के गुणागुण पर प्रभाव न डालती हो.

६१. (१) विश्वविद्यालय का प्रत्येक वैतनिक [आफिसर] अधिकारी तथा अध्यापक जिसे कि विश्वविद्यालय, द्वारा वेतन दिया जाता हो, लिखित संविदा के अधीन, जो कि विश्वविद्यालय में रखी जायगी, नियुक्त किया जायगा, और उसकी एक प्रति संबंधित [आफिसर] अधिकारी या अध्यापक को दी जायगी. सेवा की शर्तें.

(२) विश्वविद्यालय या उसके [आफिसरों] अधिकारियों या अध्यापकों में से किसी भी [आफिसर] अधिकारी या अध्यापक के बीच हुई किसी संविदा से उद्भूत होने वाला कोई विवाद संबंधित [आफिसर] अधिकारी या अध्यापक के निवेदन पर या विश्वविद्यालय की प्रेरणा पर कुलाधिपति द्वारा, माध्यस्थम के अधिकरण को, जिसमें [कार्यपालिका परिषद्] कार्य परिषद् द्वारा नियुक्त किया गया एक सदस्य, संबंधित [आफिसर] अधिकारी या अध्यापक, द्वारा नामनिर्देशित किया गया एक सदस्य, तथा कुलाधिपति द्वारा नियुक्त किया गया अधिनिर्णायक होगा, निर्दिष्ट किया जायगा और अधिकरण का विनिश्चय अंतिम होगा तथा उसे किसी भी विधि न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जायगा.

(३) ऐसे किसी भी विषय के संबंध में, जिसका कि अधिकरण को निर्दिष्ट किया जाना उपधारा (२) द्वारा अपेक्षित है, विधि न्यायालय में कोई भी वाद या कार्यवाही नहीं होगी.

पेन्शन तथा भविष्य निधि.

६२. (१) विश्वविद्यालय अपने [आफिसरों] अधिकारियों, अध्यापकों लिपिकवर्ग के कर्मचारीवृन्द तथा सेवकों के फायदे के लिए ऐसी रीति में तथा ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जैसी कि परिनियमों द्वारा विहित की जाय, ऐसी पेन्शन, बीमा या भविष्य-निधि का गठन करेगा जिसे कि वह उचित समझे.

(२) जहां कोई ऐसी पेन्शन, बीमा या भविष्य निधि इस प्रकार गठित की गई हो या जहां कोई ऐसी पेन्शन, बीमा या भविष्य-निधि राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किये जा चुके नियमों के अधीन किसी महाविद्यालय, द्वारा गठित की गई हो, वहां राज्य सरकार यह घोषित कर सकेगी कि प्राविडेन्ट फण्डस एक्ट, १९२५ (क्रमांक १९ सन् १९२५), के उपबन्ध ऐसी निधि को इस प्रकार लागू होंगे मानों कि वह सरकार भविष्य-निधि हो.

कार्य तथा आदेशों का संरक्षण.

६३. विश्वविद्यालय के किसी [आफिसर] अधिकारी अध्यापक या अन्य कर्मचारी के विरुद्ध किसी भी ऐसी बात के लिये, जो कि उसके द्वारा इस अधिनियम या परिनियमों या अध्यादेशों या विनियमों के अधीन सदभावपूर्वक की गई हो या जिसका सदभावपूर्वक किया जाना आशयित रहा हो, कोई वाद, अभियोजन या अन्य वैधिक कार्यवाही नहीं होगी.

कुलपति की असाधारण शक्तियां.

६४. (१) इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, धारा ५ के अधीन स्थापित किये गये विश्वविद्यालयों के प्रथम कुलपति को, अपनी नियुक्ति की तारीख से एक वर्ष की कालावधि के लिए निम्नलिखित शक्तियां, होंगी, अर्थात्:—

(क) कुलाधिपति के पूर्व अनुमोदन से किसी ऐसे विषय के लिए, जिसका कि प्रथम परिनियमों द्वारा उपबन्ध न किया गया हो, उपबन्ध करने के हेतु अतिरिक्त परिनियम बनाना;

(ख) अस्थायी प्राधिकारियों तथा निकायों का गठन करना और उनकी सिफारिशों पर, विश्वविद्यालय के कार्य के संचालन के लिये उपबन्ध करते हुए नियम बनाना;

(ग) राज्य सरकार के नियंत्रण के अध्यधीन रहते हुए ऐसे वित्तीय इन्तजाम करना जो कि इस अधिनियम या उसके किसी अन्य भाग के प्रवर्तित किये जा सकने के लिये आवश्यक हों;

(घ) कुलाधिपति की मंजूरी से, ऐसी नियुक्तियां करना जो कि इस अधिनियम या उसके किसी भाग के प्रवर्तित किये जा सकने के लिये आवश्यक हों;

(ङ) कुलाधिपति की पूर्व मंजूरी से अपने ऐसे कृत्यों का निर्वहन करने के लिये जिनके कि संबंध में वह निदेश दे, ऐसी समितियां नियुक्त करना जैसी कि वह उचित समझे.

(च) साधारणत: समस्त या किन्हीं भी ऐसी शक्तियों का प्रयोग करना जो इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा सभा, कार्यपालिका परिषद्] कार्य परिषद् विद्या परिषद्, किसी संकाय या वित्तीय समिति को प्रदत्त की गई हों;

परन्तु सभा की किसी भी शक्ति का प्रयोग कुलाधिपति के अनुमोदन से ही किया जायगा अन्यथा नहीं.

(२) उपधारा (१) के पद (ख), (घ), तथा (ङ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कुलपति द्वारा पारित कोई भी आदेश कुलपति की नियुक्ति की तारीख से एक वर्ष की कालावधि का अवसान होने के पश्चात् प्रभावी नहीं रहेंगे.

६५. कोई भी व्यक्ति विश्वविद्यालय में या किसी भी महाविद्यालय में— शिक्षण देने के लिये अनुमोदन.

(क) तब तक शिक्षण नहीं देगा जब तक कि ऐसा व्यक्ति विद्या परिषद् द्वारा उस संबंध में निर्धारित की गई अर्हताएं न रखता हो; और

(ख) ऐसे विषय या विषयों में तथा उसी स्तर तक, जिसके कि लिये विद्या परिषद् ने उसकी अर्हताएं अनुमोदित की हों, शिक्षण देगा, इसके सिवाय नहीं,

६६. (१) ["प्राध्यापक"] (प्रोफेसर) "आचार्य" से अभिप्रेत है ऐसा अध्यापक, जो [कार्यपालिका परिषद्] कार्य परिषद् द्वारा ऐसे वेतनमान पर नियुक्त किया गया हो जो कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुमोदित तथा राज्य सरकार द्वारा प्रतिग्रहीत किये गये वेतनमान से कम न हो [और जहां विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुमोदित वेतनमान राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में अनुमोदित किये गये वेतनमान से अधिक हो, वहां राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किये गये वेतनमान पर नियुक्त किया गया हो]. [प्राध्यापक] (प्रोफेसर) आचार्य सहायक [प्राध्यापक] आचार्य (असिस्टेन्ट प्रोफेसर [प्रवाचक] (रीडर), उपाचार्य आदि

(२) ["अतिथि प्राध्यापक"] "अतिथि प्राचार्य" से अभिप्रेत है ऐसा प्राध्यापक जो [कार्य पालिका परिषद्] कार्य परिषद् द्वारा नियत वर्षों की अवधि के लिये आमंत्रित किया गया हो या [कार्यपालिका परिषद्] कार्य परिषद् द्वारा संविदा में नियत की गई अल्पावधि के लिये, नियुक्त किया गया हो.

(३) ["महाविद्यालय प्राध्यापक"] "महाविद्यालय आचार्य" से अभिप्रेत है किसी संघटक महाविद्यालय में किसी विषय के स्नातकोत्तर विभाग का अध्यक्ष और उसके अंतर्गत ऐसे महाविद्यालय का प्राचार्य, जो कि उस महाविद्यालय में स्नातकोत्तर विषय का विभागाध्यक्ष हो, आता है यदि ऐसा प्राचार्य विद्या परिषद् को समाधानप्रद रूप में यह साबित कर दे कि वह प्राचार्य के पद के प्रशासनिक कार्य के अतिरिक्त उस विषय की गवेषणा के सम्बन्ध में मार्गदर्शन करने तथा उस विषय का अध्यापन करने में लगा रहता है [:] :—

[परन्तु ऐसा प्राचार्य पद में प्राध्यापक से ऊंचा नहीं होगा].

(४) प्राध्यापक से भिन्न अध्यापकों का वर्गीकरण ऐसा होगा जैसा कि परिनियमों द्वारा विहित किया जाये :

परन्तु कार्यपालिका परिषद् द्वारा प्रवाचक (रीडर) के रूप में नियुक्त किये गये किसी भी अध्यापक को महाविद्यालय-प्राध्यापक के पद से निम्न पद नहीं दिया जायेगा :

परन्तु यह और भी कि प्रथम परन्तुक में की कोई भी बात किसी प्रवाचक को पद में—

(एक) संघटक महाविद्यालय के प्राचार्य के; 'या

(दो) अधिष्ठाता के रूप में नियुक्त किये जाने के प्रयोजन के लिये महाविद्यालय प्राध्यापक के;

पद के बराबर होने का हकदार नहीं बनायेगी.]

(४) अन्य अध्यापकों का वर्गीकरण ऐसा होगा जैसा कि परिनियमों द्वारा विहित किया जाये.

[(५) प्राध्यापकों, महाविद्यालयों-प्राध्यापकों तथा प्रवाचकों महाविद्यालय आचार्यों तथा आचार्यों से भिन्न समस्त अध्यापक पद में बराबर होंगे;

परन्तु निर्देशक, पद में, ऐसे बराबर पद वाले अध्यापकों से नीचे रहेंगे.

(६) समस्त प्राध्यापक विश्वविद्यालय के संघटक महाविद्यालयों के पदेन अधिसदस्य (फैलोज) होंगे. कुलपति, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालयों के मामले में राज्य सरकार के परामर्श से तथा अशासकीय महाविद्यालयों के मामले में [शासी-निकाय के अध्यक्ष] शासी निकाय के परामर्श से [प्राध्यापकों] आचार्यों को अधिसदस्यों के रूप में अभिहित कर सकेगा.

(७) कुलपति, विश्वविद्यालय के अध्यापन विभाग तथा महाविद्यालय के अध्यापन विभाग में समन्वय सुनिश्चित करने का दृष्टि से [प्राध्यापक] आचार्य को, पदेन अधिसदस्य के रूप में उसकी हैसियत में ऐसे कर्तव्य समनुदेशित कर सकेगा जिनके कि परिणामस्वरूप वह महाविद्यालय के विद्या संबंधी क्रियाकलापों से सम्बद्ध बना रहे.

विश्वविद्यालय के प्राधिकारी के सदस्य की पदावधि

६७. (१) जब कभी इस अधिनियम के अनुसार, किसी व्यक्ति को ज्येष्ठता के अनुसार बारी-बारी से कोई पद धारण करना हो या किसी प्राधिकारी का सदस्य होना हो, तो ऐसी ज्येष्ठता, परिनियमों के अनुसार अवधारित की जायेगी :

परन्तु जब तक कि ऐसे परिनियम न बनाये जायें, किसी विशिष्ट संवर्ग में ज्येष्ठता ऐसे संवर्ग में की गई निरन्तर सेवा की अवधि के आधार पर अवधारित की जायगी और जहां दो या अधिक व्यक्तियों की उसी संवर्ग में की गई सेवा की अवधि एकसी हो, वहां "ज्येष्ठता" आयु में ज्येष्ठता के आधार पर अवधारित की जायेगी.

(२) जब कभी कोई व्यक्ति उसके द्वारा धारित श्रोहदे या पद के श्राधार पर किसी प्राधिकारी का सदस्य बन जाय, तो वह उस दशा में जब कि वह श्रपनी सदस्यता की श्रवधि का श्रवसान होने के पूर्व ऐसे श्रोहदे या पद पर न रहे, तत्काल ही ऐसे प्राधिकारी का सदस्य नहीं रहेगा.

परन्तु केवल इसी कारण से कि वह ऐसी कालावधि के लिये, जो चार मास से श्रनधिक हो, छूट्टी पर चला गया है, उसके संबंध में यह नहीं समझा जायगा कि वह श्रोहदे या पद का धारणकर्ता नहीं रह गया है.

विश्वविद्यालय के सदस्य या [श्राफिसर] श्रधिकारी का त्यागपत्र.

६८. (१) सभा [कार्यपालिका परिषद] कार्य परिषद, विद्या परिषद् या किसी श्रन्य विश्वविद्यालयीन प्राधिकारी या समिति के पदेन सदस्य से भिन्न कोई सदस्य या संकाय का [श्रधिष्ठाता] संकायाध्यक्ष, कुल सचिव को संबोधित पत्र द्वारा श्रपनी पद त्याग सकेगा श्रौर त्यागपत्र कुलसचिव द्वारा पत्र प्राप्त किया जाने के समय से ही प्रभावशील हो जायगा.

(२) विश्वविद्यालय [के श्रधिष्ठाता] का संकायाध्यक्ष से भिन्न कोई भी [श्राफिसर] श्रधिकारी, चाहे वह वैतनिक हो या श्रन्यथा हो, कुलसचिव को संबोधित पत्र द्वारा श्रपना पद त्याग सकेगा. ऐसा त्यागपत्र केवल उसी तारीख से प्रभावी होगा जिसको कि वह उस प्राधिकारी द्वारा प्रतिग्रहीत कर लिया जाय जो कि रिक्ति को भरने के लिये सक्षम हो.

किसी प्राधिकारी की सदस्य होने के लिये निरर्हता.

६९. (१) कोई भी व्यक्ति, विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों में से किसी भी प्राधिकारी का सदस्य चुने जाने के लिये या होने के लिये निरर्हित होगा.—

(क) यदि वह विकृत चित्त का हों;

(ख) यदि वह बहरा हो, मूक हो, या किसी सांसर्गिक रोग से पीड़ित हों;

(ग) यदि वह श्रनुन्मोचित दिवालिया हो;

(घ) यदि वह किसी विधि-न्यायालय द्वारा किसी ऐसे श्रपराध के लिये सिद्धदोष ठहराया गया हो, जिसमें कि नैतिक पतन श्रन्तर्वेलित हो, श्रौर उसके संबंध में, कारावास से, जो छः मास से कम का हो, दण्डित किया गया हो.

(२) यदि इस संबंध में कि क्या कोई व्यक्ति, उपधारा (१) में वर्णित निर्हरताश्रों में से किसी निर्हरता के श्रध्यधीन है या रहा था, कोई प्रश्न उद्भूत हो तो वह प्रश्न कुलाधिपति के विनिश्चय के लिये निर्दिष्ट किया जायगा श्रौर उस पर उसका (कुलाधिपति का) विनिश्चय श्रन्तिम होगा श्रौर ऐसे विनिश्चय के विरुद्ध किसी भी विधि-न्यायालय में कोई वाद या श्रन्य कार्यवाही नहीं होगी.

स्नातकों के रजिस्टर में से या विश्वविद्यालय के किस प्राधिकारी या निकाय में से किसी सदस्य को हटाने की शक्ति.

७०. (१) कुलाधिपति, [कार्यपालिका परिषद] कार्य परिषद् के निवेदन पर किसी भी व्यक्ति का नाम स्नातकों के रजिस्टर में से हटा सकेगा श्रौर किसी व्यक्ति का नाम विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या निकाय की सदस्यता पर से हटा सकेगा, यदि वह —

(एक) घोर कदाचार का दोषी हो, या

(दो) ऐसा कार्य करता हो जो विश्वविद्यालय के हित पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला हों :

परन्तु कुलाधिपति, प्रारंभिक जांच करवायेगा तथा यदि उसका यह समाधान हो जाय कि प्रथमदृष्टया मामला बनता है, तो यह यथास्थिति ऐसे रजिस्ट्रीकृत नातक या किसी प्राधिकारी या निकाय के सदस्य पर लिखित आरोप-पत्र की तामील करेगा जिसमें यथास्थिति कदाचार का या विश्वविद्यालय के हित पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कार्य का विवरण रहेगा.

(२) आरोप-पत्र के उत्तर पर, जो कि उसके पास यथास्थिति रजिस्ट्रीकृत स्नातक, विश्वविद्यालय के प्राधिकारी या निकाय के सदस्य द्वारा उपधारा (१) के अधीन भेजा गया हो, विचार करने के पश्चात कुलाधिपति, यदि वह यह समझता है कि आगे की कार्यवाही आवश्यक है, जांच ऐसे अधिकरण को न्यस्त कर सकेगा जिसमें [यथास्थिति परिदर्शक का नामनिर्दिष्ट व्यक्ति, कुलाधिपति का नामनिर्दिष्ट व्यक्ति तथा अभियुक्त रजिस्ट्रीकृत स्नातक या सदस्य का नामनिर्दिष्ट व्यक्ति] यथास्थिति कुलाधिपति का नाम निर्दिष्ट व्यक्ति कुलपति का नामनिर्दिष्ट व्यक्ति तथा सम्बन्धित रजिस्ट्रीकृत स्नातक या सदस्यों का नामनिर्दिष्ट व्यक्ति होगा.

(३) अधिकरण यथास्थिति [अभियुक्त रजिस्ट्रीकृत स्नातक या सदस्य] संबंधित रजिस्ट्रीकृत स्नातक या सदस्य को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् तथा तथा ऐसे साक्ष्य की, जो कि आवश्यक हो, परीक्षा करने के पश्चात् अपना निष्कर्ष अभिलिखित करेगा और उसे कुलाधिपति की ओर अग्रेषित करेगा :

(४) कुलाधिपति अधिकरण की रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्, ऐसे अन्तिम आदेश पारित करेगा जैसे कि वह आवश्यक समझे :

परन्तु कोई भी आदेश तब तक पारित नहीं किया जायगा जब तक कि यथास्थिति [अभियुक्त रजिस्ट्रीकृत स्नातक या सदस्य] सम्बन्धित रजिस्ट्रीकृत स्नातक या सदस्य को, यह कारण बतलाने का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो कि उसके विरुद्ध समुचित कार्यवाही क्यों न की जाये.

कठिनाईयों का निराकरण.

७१. यदि इस अधिनियम के प्रारंभ होने के पश्चात् विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी के [प्रथम] संघटन या पुनर्संघटन के संबंध में या अन्यथा इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रथमतः प्रभावशील करने में कोई कठिनाई उद्भूत हो, तो राज्य सरकार, अवसर द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार, आदेश द्वारा कोई भी ऐसा कार्य कर सकेगी जो कि कठिनाई का निराकरण करने के प्रयोजन के लिये उसे आवश्यक प्रतीत हो.

प्रथम अनुसूची

[धारा २ (एक) देखिये]

निरसित अधिनियमितियां

१. यूनिवर्सिटी आफ सागर एक्ट, १९४६ (क्रमांक १६ सन् १९४६)

२. मध्य भारत विक्रम विश्वविद्यालय विधान, १९५५ (क्रमांक १८ सन् १९५५).

३. जबलपुर यूनिवर्सिटी एक्ट, १९५६ (क्रमांक २० सन् १९५६).

४. रविशंकर यूनिवर्सिटी एक्ट, १९६३ (क्रमांक १३ सन् १९६३).

५. इन्दौर यूनिवर्सिटी एक्ट, १९६३ (क्रमांक १४ सन् १९६३).

६. जिवाजी यूनिवर्सिटी एक्ट, १९६३ (क्रमांक १५ सन् १९६३).

७. अवधेश प्रतापसिंह विश्वविद्यालय अधिनियम, १९६८ (क्रमांक २२ सन् १९६८).

८. भोपाल विश्वविद्यालय अधिनियम, १९७० (क्रमांक २८ सन्, १९७०).

द्वितीय अनुसूची

[धारा २ (दो) देखिये]

विश्वविद्यालय का नाम	मुख्यालय	प्रादेशिक अधि कारिता
(१)	(२)	(३)
सागर विश्वविद्यालय ..	सागर ..	वे क्षेत्र जो राजस्व जिला बालाघाट, छिंदवाड़ा, सागर, नरसिंहपुर, सिवनी, दमोह, मंडला, पूर्वी-निमाड़, बैतूल तथा होशंगाबाद की सीमाओं के भीतर समाविष्ट हैं.
विक्रम विश्वविद्यालय ..	उज्जैन ..	वे क्षेत्र जो राजस्व जिला रतलाम, उज्जैन, मन्दसौर, देवास, धार, झाबुआ, पश्चिमी-निमाड़, [सीहोर, रायसेन, विदिशा,] राजगढ़ तथा शाजापुर की सीमाओं के भीतर समाविष्ट हैं.
जबलपुर विश्वविद्यालय ..	जबलपुर ..	वे क्षेत्र जो राजस्व जिला जबलपुर की सीमाओं के भीतर समाविष्ट हैं.
रविशंकर विश्वविद्यालय ..	रायपुर ..	वे क्षेत्र जो राजस्व जिला रायपुर, दुर्ग, बस्तर, बिलासपुर, रायगढ़ तथा सरगुजा की सीमाओं के भीतर समाविष्ट हैं.
इन्दौर विश्वविद्यालय ..	इन्दौर ..	वे क्षेत्र जो राजस्व जिला इन्दौर की सीमाओं के भीतर समाविष्ट हैं.
जिवाजी विश्वविद्यालय ..	ग्वालियर ..	वे क्षेत्र जो राजस्व जिला ग्वालियर, भिन्ड, मुरैना, शिवपुरी, गुना तथा दतिया की सीमाओं के भीतर समाविष्ट हैं.
अवधेश प्रतापसिंह विश्वविद्यालय	रीवा ..	वे क्षेत्र जो राजस्व जिला रीवा, सतना, सीधी, शहडोल, छतरपुर, पन्ना, तथा टीकमगढ़ की सीमाओं के भीतर समाविष्ट हैं.
भोपाल विश्वविद्यालय ..	भोपाल ..	वे क्षेत्र जो राजस्व जिला सीहोर, रायसेन तथा विदिशा की सीमाओं के भीतर समाविष्ट हैं.

शाकेमुभो—१०९६—सविस—२०-९-७०—८००.